खण्ड–511, अंक–02
शुक्रवार, 25 माघ, शक सम्वत् 1941
(14 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड 511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2021

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
विपक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा कराये जाने की मांग	7-12
प्रश्नोत्तर	13-59
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	59-60
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	60-62
जनपद कानपुर नगर के गंगा बैराज पुल पर जन रक्षा एवं पर्यावरण रक्षा हेतु जाली लगवाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
गोरखपुर महानगर में पैडलेगंज से देवरिया बाईपास तिराहा से रूस्तमपुर चौराहा होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक फ्लाई ओवर बनवाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा धन स्वीकृत कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा मुड़रभा से रामअवध चौहान के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	63-64
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर एवं मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत हिम्मतनगर सुजानगंज के सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बिरोहिया पिकअप वियर के पुनर्निर्माण एवं भरपुरा रजवहा के पुनरोद्धार की परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अर्न्तगत कतिपय ग्रामों में एवं नदियों में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	65
जनपद झांसी के किसानों की मूंगफली खरीद के दाम का अभी तक भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत दांदरपुर से अहेरीपुर बकेवर रोड सब्जी मण्डी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत चोला चौकी उच्चीकृत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान स्थापित कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत हुलासनगला रेलवे फाटक पर पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	67-68
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा रजबहा की सफाई कराते हुए ग्राम सिंघई से डुमरी तक दोनों किनारों को पक्का कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	68
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत बगहीडाड़ पुल के पास झौवाड़ी मोड़ से अशरफपुर होते हुए खालिसपुर बाजार तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से केसवारा डामर रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
उत्तर प्रदेश में वनटांगिया मजदूरों को मूलभूत सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बम्सा के ग्राम गढ़ा बाघराम में माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजवाहा की लाइनिंग एवं पिचिंग कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के नगर देवबन्द स्थित रेलवे सम्पार 69 को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	71
प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71-72
प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पूर्व शासनादेश लागू किये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर जे स्थित पार्कों एवं जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	73
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	74
कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	74-75
श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	75
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	75-76
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	76-77
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	77-78
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	78
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	79
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	80
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	80-109
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	109-123
लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने विषयक डॉ0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	123
जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	123
जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	123
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	124
जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	124
जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	124
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्ड पीठ की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	125
प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	125
जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	125
जनपद-गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	125-126
जनपद-झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	126
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित) ...	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछा कर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	126
जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिटौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	126-127
जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की तहसील पैलानी के ग्राम-जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	127
जनपद-वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित)	127
खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (स्थगित) ...	127
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्थगित) ...	127-128
जनपद-फिरोजाबाद में यमुना नदी के तट से सटे दरों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके झील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्थगित)	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलेक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्थगित)...	128
जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रज भूषण राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्थगित)	128
जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत अपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्थगित)...	128
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	129-130
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	130
जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	130-134
जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज व विकास खण्ड मुसाफिरखाना में 14वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	134-135
जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	135-138
कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच कराये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	138-143

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ 84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दर की दुकान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	...		143-145
जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	...			145-146
नत्थियाँ	...	...	...	147-170

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 ई0

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-346

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
31. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
33. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
38. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
44. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
45. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
46. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
47. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
48. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
49. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
50. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
51. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
52. ओमकुमार, श्री — बिजनौर

53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
56. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
62. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केसर सिंह, श्री बरेली
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
70. गंगा, श्री कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
74. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
80. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
82. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
83. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
84. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
85. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
86. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
88. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89. जयमंगल, श्री महाराजगंज
90. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
91. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
92. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
93. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
94. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
95. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
96. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
97. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
98. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
99. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
100. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
101. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
102. दल बहादुर, श्री रायबरेली
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
104. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
105. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
106. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
110. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
113. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
114. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
115. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं

116. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
117. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
118. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
119. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' श्री इलाहाबाद
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
124. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
125. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
126. नाहिद हसन, श्री शामली
127. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
128. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
129. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
130. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
131. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
132. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
133. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
139. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
140. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
142. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
143. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
144. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
145. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
146. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
147. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
149. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
150. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
151. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
152. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
153. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
154. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
157. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
158. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
165. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
166. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
167. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
168. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
169. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
170. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
171. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
172. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
175. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
176. महबूब अली, श्री अमरोहा
177. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
178. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
179. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
180. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
181. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
182. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं

183. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
185. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
186. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
187. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
188. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
189. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
190. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
191. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
192. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
193. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
194. योगेश धामा, श्री बागपत
195. योगेश वर्मा, श्री खीरी
196. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
197. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
198. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
199. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
200. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
201. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
202. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
203. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
204. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
205. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
206. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
207. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
208. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
209. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
210. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
211. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
212. राज करन कबीर, श्री बांदा
213. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
214. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
215. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
216. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
217. राजबाला, श्रीमती रामपुर
218. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
219. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
220. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
221. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
222. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
223. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
224. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
225. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
226. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
227. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
228. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
229. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
230. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
231. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
232. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
233. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
234. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
235. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
236. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
237. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
238. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
239. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
240. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
241. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
242. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
243. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
244. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
245. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
246. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
247. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
248. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
249. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
250. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ

251. विजय मिश्र, श्री भदोही
252. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
253. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
254. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
255. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
256. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
257. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
258. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
259. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
260. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
261. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
262. वीरेन्द्र, श्री एटा
263. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
264. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
265. शशांक वर्मा, श्री खीरी
266. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
267. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
268. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
269. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
270. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
271. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
272. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
273. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
274. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
275. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
276. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
277. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
278. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
279. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
280. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
281. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
282. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
283. संजय, श्री बुलन्दशहर
284. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
285. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
286. संजय यादव, श्री बलिया
287. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
288. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
289. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
290. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
291. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
292. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
293. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
294. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
295. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
296. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
297. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
298. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
299. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
300. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
301. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
302. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
303. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
304. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
305. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
306. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
307. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
308. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
309. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
310. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
311. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
312. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
313. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
314. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
315. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया

316. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
317. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
318. सुरेश कुमार, श्री शामली
319. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
320. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
321. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
322. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
323. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
324. सुरेश राही, श्री सीतापुर
325. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
326. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
327. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
328. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
329. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
330. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
331. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
332. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
333. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
334. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
335. सौरभ सिंह, श्री खीरी
336. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
337. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
338. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
339. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
340. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
341. हरीराम, श्री सोनभद्र
342. हरेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ0 जौनपुर
343. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
344. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
345. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
346. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), परिवहन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] विपक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, कल लखनऊ कचहरी में सुतली बम फटा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिये। आप कृपया बैठें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, उसमें कई वकील घायल हुए।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें। प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। यह नियम-56 में भी लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें। हमारे खड़े होने पर नेता को तो नहीं खड़ा होना चाहिये। आप अपने दल की नेता हैं। मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये।

(इस मध्य मा0 नेता, बहुजन समाज पार्टी, श्री लालजी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप भी कृपया बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 के अन्तर्गत हमारी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जाएं। नियम-311 हमने नहीं सुना और नहीं सुनेंगे। यह कोई जबरदस्ती नहीं है। हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लीजिये, उत्तर प्रदेश की बात सुन लीजिये और कानून-व्यवस्था की बात सुन लीजिये।

(इस मध्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। यह जो संवाद हो रहा है यह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में आन्दोलन हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं। आप लोग पहले हमारी बात सुनिये। आप हमारी बात सुनिये। मा0 राजभर जी, आप पहले हमारी बात सुनिये।

श्री अजय कुमार-

सुन लीजिये श्रीमान्, उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। बम चलाए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा। बिना अनुमति के जो बोला जा रहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। मैं एक निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ था। सौभाग्य से सभी बड़े नेता बाधा डाल रहे हैं, कोई नया नहीं है तो मैं पहले तो उनको बधाई दूंगा कि जो बड़े लोग हैं वह बाधा डाल रहे हैं। वह बहुत बधाई के पात्र हैं। आप हमारी बात तो सुन लेते कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों ने जो कथित रूप से नियम-311 में नोटिस दिया है वही बातें आपके नियम-56 के नोटिस में हैं और नियम-56 आज सुना जायेगा। इसलिये सुबह प्रश्नोत्तर का समय बाधित करना आप जैसे वरिष्ठों को शोभा नहीं देता है। हमें विश्वास है कि मेरे द्वारा आदरपूर्वक किये गये इस निवेदन पर आप ध्यान देंगे। नियम-56 में आपकी सूचनाएं हैं और वह सूचनाएं अपने समय पर ली जायेंगी तो एक घंटे में-सवा घंटे में कोई आफत नहीं आ जायेगी। आप सभी वरिष्ठजन हैं तो मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी प्रदेश के सामने और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि पूरे प्रदेश में सरकार महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष यह बात ठीक नहीं है। नियम-56 में यह सारे विषय हम लेने जा रहे हैं, तो फिर एक घन्टे में कौन सी आफत आयी जा रही है, आप हमें इतना बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप आधा घन्टा इसी विषय को सुन लेंगे तो क्या हो जायेगा ? यह महिलाओं का प्रश्न है, महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, आप बहुत वरिष्ठ हैं यह शोभा नहीं देता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बात न मानना दण्डात्मक है। आपकी बात जरूर मानी जायेगी लेकिन कभी-कभी हम लोगों की बात पर भी आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हमने विचार किया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह इतना बड़ा मामला है कि महिलाओं पर क्रिमिनल धारायें लगाकर उनको जेल भेजा जाये, लाठी चलाया जाये, उन पर गोली चलाई जाये यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पहले आप हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों के माननीय प्रतिनिधि थे, आप लोगों ने जो तय किया था कि अमुक-अमुक दिन प्रश्नोत्तर नहीं होगा, वह तय है। आज भी आप तय कर लेते कि आज प्रश्नोत्तर नहीं होगा, अगर पहले से तय कर लिए होते कि नहीं सबेरे हम बोलेंगे, 12:20 पर नहीं बोलेंगे। इस समय 11:05 बजा है सवा घन्टे में यह प्रदेश कहां हिल-डुल जायेगा या क्या हो जायेगा ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप लोग स्थगन चाहते हैं ? अगर आप लोग स्थगन चाहते हैं, तो बताइये ?

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि नहीं माननीय अध्यक्ष जी हम स्थगन नहीं चाहते हैं)

श्री अध्यक्ष-

तो फिर हमारी आप लोगों से आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विनयपूर्वक विनती है कि कृपया प्रश्नोत्तर काल होने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात हमारी नहीं सुनी जा रही है इसके विरोध में समाजवादी पार्टी सदन का बहिष्कार कर रही है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी से एक हजार गुना अच्छी है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ मान्यवर, कि यह केवल सदन में हल्ला मचाकर अखबारों की सुर्खियां लूटना चाहते हैं सिर्फ इसलिए बोलते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण शोर मचाते हुए वेल में आ गये)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

(वेल से) मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कोई भी वाक्य लिखा नहीं जायेगा, जो वेल से कहा जा रहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष यह सरकार ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरह जलियावाला बाग काण्ड हुआ था उसी तरह से यह सरकार आज शांतिप्रिय आंदोलनकारियों के ऊपर आक्रमण कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

बिना अनुमति के जो बोला जा रहा है वह लिखा नहीं जायेगा और कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री अजय कुमार-

(वेल से) माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश जल रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस लोकतंत्र विरोधी कार्यों के विरोध में, सरकार के इस अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय कुमार-

उत्तर प्रदेश की जनता से इस सरकार को कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी क्या आप स्थगन चाहते हैं या शोर मचाना चाहते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार से जवाब चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कोई अंश कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री अजय कुमार-

इस प्रदेश में जंगल राज है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लल्लू जी यह विधान सभा है कोई चौराहा या सड़क नहीं है। आप विधान सभा का अनुशासन मानिये। आप इसे चौराहा न बनाइये, आप विधान सभा के सदन को चौराहा बना रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल चर्चा चाहते हैं।

श्री अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदेश में अपराधियों का खौफ है, रोज लोगों की हत्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या एक माननीय मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) जी।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

हम तैयार हैं अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

हां आपका प्रश्न है। अब आप लोग अपनी-अपनी सीट पर चलियें, सवाल होने दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

(वेल से) जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, हम जवाब चाहते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप राष्ट्रीय दल हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और आप 5 सदस्य मिलकर पूरे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन लोगों की सरकार के मुकाबले कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। महिलाओं की ये लोग बात करते हैं, हर क्षेत्र में अपराधों में भयंकर कमी आई है और हम लोग, हमारी सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी हुई है, ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते रहे हैं। आज जो यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इन लोग ने हमेशा अपराधियों का साथ दिया है। 1975 से लेकर आज तक देख रहे हैं कि इन्होंने सदा अपराधियों का साथ दिया है। ये कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य 11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' जी तथा श्री संजय गर्ग जी का तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेता हूं।

[11:30 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के जनपदों में अवैध खनन के कारण मौरम-बालू, गिट्टी के दामों में वृद्धि तथा सरकार को रायल्टी की क्षति के सम्बन्ध में

***1-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट) तथा श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकार द्वारा जारी खनन नीति का अनुपालन कर अनुज्ञा-पत्र जारी न किये जाने के कारण मोरम-बालू, गिट्टी के दाम लगातार बढ़ रहे है ? क्या यह भी सही है कि अनुज्ञा-पत्र न देकर चोरी-छिपे माफियाओं द्वारा रात्रि में अवैध खनन परिवहन कर सरकार को रायल्टी की भारी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पढ़ा गया)

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा है और अनुज्ञा-पत्र नियमानुसार जारी हो रहा है क्यों कि 'जी नहीं' उत्तर का मतलब यही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, कृपापूर्वक माननीय मंत्री जी को यह बताने की कृपा करें कि पिछले वर्ष इसी प्रदेश में 40 और 50 रुपये में लाल मौरम मिलता था और 10 से 15 रुपये फुट बालू मिलता था। आज 90 और 100 रुपये देने के बाद भी पूरे प्रदेश में ना तो मौरम है और ना बालू है। खासतौर से जनपद श्रावस्ती, बहराइच अम्बेडकरनगर और उन्नाव जहां से स्वयं आप आते हैं, वहां पर यदि माननीय मंत्री जी 90 रुपये में भी दिला दें तो बहुत अच्छी बात है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है एक महीने से ना तो मौरम मिल रहा है और ना ही बालू मिल रहा है। कभी भी इन्होंने इसका कारण माननीय मंत्री जी से जानने का प्रयास नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे-सीधे माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश का मामला है और सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार की कमी कहां से है अगर यह मैं नहीं बताऊंगा तो इनके विधायक तो बतायेंगे नहीं क्योंकि इनके विधायक भी चाहते हैं कि मैं ही बताऊं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बताईये नहीं। कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमीरपुर, बांदा, बिजनौर आदि से जो ट्रक गुजरते हैं वह उन्नाव होते हुए लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद आदि जगहों पर जाती हैं लेकिन इसमें जो बीच में आर0टी0ओ0 और पुलिस का रोल है उनकी वजह से पूरे प्रदेश में बालू नहीं आ रहा है। वह कमी क्या है और कहां पर है वह माननीय मंत्री जी स्वयं तलाशें। ....

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि 52क के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को अनुज्ञा-पत्र देने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-2027, 30 अगस्त 2019 का अनुपालन कब तक करा देंगे ? इसका शासनादेश मेरे पास मौजूद है। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश के सभी जनपदों में खासकर उन्नाव, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, अयोध्या आदि जनपदों में बालू, मौरम, गिट्टी का आकाल पड़ा हुआ है इसे कब तक उपरोक्त जनपदों में उपलब्ध करा दिया जाएगा ? तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में सरकार खनन माफिया, भू-माफिया और अवैध खनन माफिया श्री अनिल शर्मा जो खनन के माफिया हैं और वह मुख्य खनन अधिकारी भी हैं तथा श्री अमित कौशिक सहायक खनन अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके सवाल में किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा तो मा0 मंत्री जी बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे। श्री अमित कौशिक सहायक खनन अधिकारी, रमाकांत पाण्डेय बिजनौर, श्रीमती रंजना सिंह अधिकारी बिजनौर उपरोक्त जनपदों के आर0टी0ओ0 आदि पर एस0आई0टी0 से क्या जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपके सवाल हो गये हैं अब आप बैठिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मैंने जो नाम लिये हैं इनके पास अकूत सम्पत्ति है क्या मा0 मंत्री जी, इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप बैठिए, मा0 मंत्री जी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से खनन के सम्बन्ध में नीति बनी है और ई-टेण्डर, ई-आक्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था बनाई गयी है। इसके पहले क्या स्थिति थी यह सभी को मालूम है। 2016 में क्या स्थिति थी और 2017 से क्या स्थिति बनी है सभी को मालूम है ? मान्यवर, खनन के सम्बन्ध में आपके सामने इनके सारे सवालों का जवाब यह है कि वर्ष 2011-12 में जब इनकी सत्ता थी, 2012-13 में जब इनकी सत्ता थी तब खनन की क्या आमदनी थी और अब क्या आमदनी है ? मान्यवर, मैं आपको बताये दे रहा हूं वर्ष 2011-12 में 593.27 करोड़ रुपये की आमदनी थी। वर्ष 2012-13 में 722.17 करोड़ रुपये की आमदनी थी। वर्ष 2015-16 में 1222 करोड़ थी और वर्ष 2016-17 में 1547 करोड़ रुपये थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हम लोगों ने पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट पांलिसी के तहत ई-आक्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में बालू, मिट्टी और मौरम की व्यवस्था करवाई है।

मान्यवर, वर्ष 2017-18 में 3243 करोड़ रुपये की आमदनी खनन से हुई है। वर्ष 2018-19 में 3164 करोड़ रुपये की आय खनन के माध्यम से हुई है जो यह सूचित करता है कि सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं और नियम के हिसाब से चल रही हैं। आपने शासनादेश की जो बात कही है उसमें तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं एक यह कि सरकारी भूमि के ऊपर जो खनन हो रहा है उसका निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही ई-टेण्डर तथा ई-आक्शन करवाया जाता है। दूसरा बाढ़ आने के बाद निजी भूमि और निजी कृषि भूमि यह दोनों अलग-अलग व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने कर रखी हैं। निजी भूमि के ऊपर अगर बालू आ जाये तो उसके ऊपर एक प्रकिया के तहत ही हम टेण्डर के माध्यम से उस पर भी बालू के लिए टेण्डर करवाते हैं और साथ ही साथ जो कृषि भूमि के ऊपर बालू और मिटटी आ जाती है उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था बना रखी है। इसमें हमने सभी तरीके के शासनादेश जारी कर रखे हैं। हमारे राइनी साहब तो इसमें बहुत रूचि लेते हैं। इसके पहले भी नियम-51 में बहराइच के बारे में, बलरामपुर के बारे में, श्रावस्ती के बारे में जवाब भी आ चुका है और आज फिर से वही दोहरा रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि तीन तरीके की व्यवस्थायें हमने व्यवस्थित कर रखी हैं। इसमें जो इनवायरमेंटल क्लीयरेंस है उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगता है। इनवायरमेंटल क्लीयरेंस के साथ-साथ हमने हर तरह से कोशिश की है कि जहां पर डी0एम0 के पास कोई एप्लीकेशन जाये उसकी निजी भूमि है या

उसकी कृषि भूमि है तो उसको एक प्रक्रिया अपनाते हुये उनको परमिट दे दिया जाये ताकि वह अपना तीन या छः महीने में अपनी बालू हटवा सकें। मान्यवर, मिट्टी के मामले में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस मिटटी को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है, किसी प्रकार की मिट्टी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 मंत्री जी कृपया 52-क के विषय में बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय गर्ग जी का नाम है। अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, 52-क में यह जी0ओ0 है कि इसमें किसी से भी एन0ओ0सी0 नहीं दिया जा सकता है।

(इस बीच श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) जी का माइक आफ हो जाने के कारण उनका भाषण नहीं सुना जा सका।)

श्री अध्यक्ष-

यह आप सूचना दे रहे हैं वह प्रश्न नहीं है। हमने संजय जी को बुलाया है। आप जबरदस्ती कर रहें।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसा मा0 मंत्री जी ने बताया कि रायल्टी का एमाउंट बढ़ा है। परंतु 2019-20 में अभी तक कितना एमाउंट हुआ ? क्योंकि फरवरी माह हो गया है। और जो नई खनन नीति लागू की गयी उसमें जितने एमाउंट में आक्शन हुये उसमें उतने एमाउंट का वहां से मेटेरियल न निकाल पाने के कारण कई सारे कान्ट्रेक्टर प्रदेश छोड़कर चले गये हैं। और सभी जानते हैं कि बालू और मौरम का प्रदेश में अलग-अलग जनपदों में कितना रेट चल रहा है। अगर इसकी वायबिलिटी पी0डब्ल्यू0डी0 रेट के हिसाब से भी काम करने की ठेकेदार की नहीं हो पा रही है तो इस असहज स्थिति में पूरा प्रदेश गुजर रहा है। मैं अपने जनपद की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुश्किल से एक या दो पट्टे वहां पर हुये हैं और हमारे कृषि मंत्री जी जो वहां के मंत्री इंचार्ज हैं वह भी वहां खुद जाकर ट्राली में इल्लीगल खनन देखकर आये हैं। कि किस तरह से 250 करोड़ रुपये का जुर्माना एन0जी0टी0 के द्वारा स्टोन क्रेशर पर लगाया गया जो स्टोन क्रेशर की वसूली करके सम्पत्ति राज्य सरकार की हो जानी चाहिए थी वह तमाम स्टोन क्रेशर आज भी अधिकारियों के संरक्षण में सहारनपुर में उस खनन को खोद रहे हैं और एन0जी0टी0 ने जो तीन मीटर तक की परमीशन दी है वहां 06 से 10 मी0 तक का खनन हो रहा है। और आम किसान को तो धुंआ निकलने पर बाती और पाती जलाने के नाम पर प्रदेश में चालान हुये हैं परंतु सेटेलाइट के माध्यम से यह सर्वेक्षण करा लें या इस सदन की सर्वदलीय समिति बनाकर अलग-अलग

जनपदों में जांच दल भेज दिया जाये जो इस बात की जांच करे कि इल्लीगल खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से मुनाफाखोर लोग इल्लीगल खनन करके इसका दोहन करने का काम कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार सर्वदलीय समिति या मा0 हाई कोर्ट के जज से जांच करायेगी ? और जो 2017 में 3247 करोड़ रुपया बताया और 2018-19 में वह 3164 पर कम हुआ, परन्तु 2019-20 का आपने नहीं बताया कि 2019-20 में रायल्टी का कितना पैसा आया। उस बारे में अगर मा0 मंत्री जी कुछ बता दें। और जिस बात के लिए एन0जी0टी0 ने बैन लगा रखा है पोकलेण्ड और जे0वी0सी0 लगाकर नदियों के बीच में उसका सीना खोदा जा रहा है। मां शाकुम्बरी देवी से आपका हमेशा चुनाव प्रचार शुरू होता है और मां शाकुम्बरी देवी की सहसरा और तमाम सहायक नदियों में और नदियों के बीच में स्टोन क्रेशर इसी तरह से जे0वी0सी0 और पोकलेण्ड बनाकर गहरे-गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मान्यवर, इस बारे में कोई अतिश्योक्ति नहीं है। आप इस सदन की सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा तो हो नहीं रही है। अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप लिखकर दे देना तो हम इसे समिति को भेज देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने विशेष रूप से तीन बातें कहीं है, वैसे तो आपने कई बातें कहीं हैं। वर्तमान समय में सहारनपुर में दो पट्टे चल रहे हैं, दो परमिट दिये गये हैं। आप चाहेंगे तो जांच करा देंगे, जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दूसरी बात मूल्य की है, हम उसके बारे में भी बता देंगे। इस वर्ष अभी तक 1700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और उम्मीद यह है कि 2500 से ज्यादा हो जायेगा। यह कम क्यों हुआ है उसकी वजह बता दे रहे हैं। पहले यह पांवर थी कि इनवायरमेण्टल क्लीयरेंस जिलाधिकारी को देना था। लेकिन एन0जी0टी0 के एक आदेश से इसको खत्म कर दिया गया, उस प्रक्रिया में देर लगती है और दूसरा ए0जी0टी0 का एक और आदेश हुआ जिसके तहत हम नये क्षेत्रों का विज्ञापन नहीं करते हैं। एन0जी0टी0 के इस आदेश की वजह से राजस्व में गिरावट आई और साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में नया कानून बनायें। अभी लगभग 15-20 दिन पहले 27 जनवरी को नया कानून आ गया। अब हम समझतें है कि उसके तहत उस प्रक्रिया को फिर से स्टार्ट करके और अधिक बेहतर व्यवस्था लागू करेंगे। जहां तक रेट का सवाल है हम

आपको राजधानी का रेट बता दे रहे हैं। बालू का रेट 21 रुपये प्रति घन फुट, मौरम का रेट 60 रुपये से 65 रुपये प्रति घन फुट, गिट्टी का रेट 52 रुपये से 55 रुपये प्रति घन फुट है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लालजी वर्मा जी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक सवाल है जो हमारे एक मा0 सदस्य के जनपद से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हो रही है, आप लोग एक सवाल पर आधा घण्टा लगायेंगे तो क्या होगा। मा0 लालजी वर्मा जी आप पूछिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राइनी साहब ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकार द्वारा जारी खनन नीति का अनुपालन कर अनुज्ञा-पत्र जारी न किये जाने के कारण पूछा था, तो क्या सभी अनुज्ञा-पत्र जारी हो गये ? दूसरा प्रश्न यह है कि मा0 मंत्री जी ने राजस्व बढ़ोत्तरी की चर्चा की है लेकिन वर्ष 2011-12 में मौरम का रेट क्या था और आज मौरम का रेट क्या है, इस सम्बन्ध में भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक प्रश्न पूछना है जो हमारी पार्टी के मा0 सदस्य के क्षेत्र से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने दीजिए, आप बैठ जाईये। आप आगे वाले प्रश्न में पूछ लीजिएगा, अभी बहुत सवाल हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्ष 2018-19 में कृषि भूमि पर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में निर्गत खनन अनुज्ञा-पत्रों का विवरण अलग-अलग है, तो हम जनपदवार बता दे रहे हैं। कुल 110 अनुज्ञा-पत्र दिये गये जिसमें मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, महोबा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपुर, गोण्डा, कुशीनगर, महाराजगंज, देवारिया, अमरोहा, सम्भल, बागपत, बुलन्दशहर, शामली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर और वर्ष 2019-20 में अभी तक 09 अनुज्ञा-पत्र दिये गये हैं, 18 स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो आप चाहते हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में खनन की व्यवस्था लागू हो उसके लिए शासनादेश भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए

ई-टेण्डर की व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गयी है और प्रदेश में वर्ष 2015-16 में क्या थी, वह पूरे हाउस को मालूम है, हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं। किसी ने कहा है, ''बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।'' मान्यवर, ये हम साथ में लेकर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम गोविंद चौधरी जी इसके जवाब में कोई शेर सुनना चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान मित्र हैं, बात को उलझा रहे हैं। राजस्व वसूली की बात इन्होंने कही, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि आप लोग केवल वसूली वाले लोग हैं, जनता का भला करने वाले लोग है ही नहीं। 2007 से लेकर 2017 तक मौरम-बालू का भाव क्या था और 2017 से लेकर आज तक मौरम-बालू का भाव क्या है ये आप कृपापूर्वक बतायें जिससे यह तय हो जाए कि आप जनता के लिए हैं या राजस्व वसूली के लिए हैं। (विपक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजे थपथपाई) इन्होंने पहले ही कहा था कि इनकी (बहुजन समाज पार्टी) भी सरकार में और मेरी भी सरकार में। इनकी(बहुजन समाज पार्टी) सरकार थी 2007 से 2012 तक, मेरी सरकार थी 2012 से 2017 तक और आपकी सरकार है 2017 से आज तक। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृपया 2007 से 2017 तक मौरम-बालू का भाव क्या था और 2017 से आज तक मौरम-बालू का भाव क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उस समय यह था कि प्रदेश में जंगलराज था, जिसकी मर्जी होती थी वही खनन कर लेता था। (विपक्ष के कई मा0 सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री राम गोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जंगलराज ये है, यही लोग सदन को नहीं चलने दे रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्ष सदन को नहीं चलने देता है। हम पूछे रहे हैं कि 2007 से 2017 तक और 2017 से आज तक मौरम-बालू का भाव बता दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल वसूली का काम आपने किया है। मान्यवर, 2005 का आंकड़ा देख लीजिए, 365 दिन में 364 अपहरण होते थे। (विपक्ष के कई सदस्यों के साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने से व्यवधान)

श्री राम गोविंद चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए, उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी सरकार में जब तक आदमी घर पर लौटकर नहीं आता था तब तक मां, बेटियां, बहनें दरवाजे पर टकटकीं लगाकर देखती थी कि पता नहीं कहीं अपहरण तो नहीं हो जाएगा या मार तो नहीं दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बालू पर बताइए। मा0 सदस्यगण, आप लोग बैठिए, इतनी गर्मी जरूरी होती है। मंत्री जी का उत्तर पूरा होने दीजिए।

श्री राम गोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सीधा उत्तर देने की बात थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में पहले ही कहा था कि बसपा के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राजस्व की वसूली क्या थी और हमने क्या राजस्व वसूल किया है। बात सही है इनका राजस्व बढ़ा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जनता की राजनीति... (मा0 संसदीय मंत्री जी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर) टोकिए मत, बात सुन लीजिए, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं और सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, बात सुनने की क्षमता रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से यही जानना चाहा कि 2007 से ले करके 2017 तक मौरम-बालू का रेट क्या था और 2017 से लेकर आज तक मौरम-बालू का रेट क्या है ? कह रहे हैं कि इनका जंगलराज था, उससे क्या लेना-देना है ? हमारा जंगलराज था कि राम राज्य था कि कौन राज्य था, इससे क्या लेना-देना है ? सीधा सवाल है कि उस समय रेट क्या था, 2007 से 2017 तक और 2017 से आज तक क्या रेट है ? मा0 अध्यक्ष जी, कृपया माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

(सपा और कांग्रेस के कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। नेता विरोधी दल का प्रश्न आ गया है। आप बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि रेट 10-15 परसेण्ट बढ़ा है। लेकिन मान्यवर, यह बतायें कि सपा सरकार के जो खनन मंत्री थे, वह जेल में क्यों हैं ?

(सपा के कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप इस सवाल को स्थगित कीजिए। माननीय मंत्री जी के पास इसका उत्तर नहीं है। इस सवाल को स्थगित करें, पुनः सवाल आए और माननीय मंत्री जी तैयार होकर आयें और सही उत्तर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम तैयार हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं तो मैं नोटिस देता हूं, नियम-49 के अन्तर्गत आप इस प्रश्न पर 02 घण्टे की चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्वीकार तो कर लिया है कि महंगाई है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवा दीजिए। मा0 मंत्री जी, मेरा प्रश्न स्पष्ट था, आप इतने बड़े आदमी हैं, विद्वान हैं, मित्र हैं, समझदार भी हैं, अपने दल के नेता भी रहे हैं। जो मैं क्विशचन कर रहा हूं, वह क्विशचन आप करते भी रहे हैं। अब जब आप वहां बैठे हैं तो क्या उल्टा-पूरी हो गयी ? अध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न है कि 2007 से 2017 तक मौरम-बालू का रेट क्या था और 2017 से आज तक मौरम-बालू का रेट क्या है ? केवल एक शब्द में उत्तर मिलना है, कृपया उत्तर दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमें उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्वीकार तो कर लिया है कि कुछ रेट बढ़ा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया कि रेट 10-15 परसेण्ट बढ़ा है, इससे हम इन्कार नहीं करते। लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिरकार सपा के खनन मंत्री जेल में क्यों हैं ? यह जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह सवाल नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, गायत्री प्रसाद, जिनकी यह बात कर रहे हैं। वह खनन के मामले में जेल में नहीं हैं। वह दूसरे मामले में जेल में हैं। आप ज्ञानवर्धन तो कीजिए। माननीय अध्यक्ष

जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री से आप स्पष्ट जवाब दिलवायें कि 2007 से 2017 तक मौरम का दाम क्या था और 2017 से आज तक मौरम और गिट्टी का दाम क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले भी अपने उत्तर में इस बात को कहा था कि हम इस बात से इन्कार नहीं करते, क्योंकि इन्फ्लेशन का हम जुडीशियल नोटिस लेते हैं। हर साल कहीं न कहीं, किसी मामले में 05 परसेण्ट, किसी में 03 परसेण्ट, किसी में 02 परसेण्ट रेट बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि खनन इससे अछूता रह गया। हम कहां इन्कार कर रहे हैं ? हमने कहा कि इस बात से हम इन्कार नहीं करते, 10-15 परसेण्ट इसमें रेट बढ़ा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। डेढ़ सौ परसेण्ट बढ़ा है, दो सौ परसेण्ट बढ़ा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

.....मान्यवर, हमने कहा कि दस से पन्द्रह परसेण्ट रेट बढ़ सकता है, इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा है।

श्री राम गोविंद चौधरी-

आपके राज में दो सौ परसेण्ट मौरम, बालू का दाम बढ़ा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सही नहीं है।

श्री राम गोविंद चौधरी-

आप जनता के दुश्मन है। आप केवल राजस्व बढ़ाने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इसकी सूचना बनाकर दे देंगे कि वर्ष 2007 में क्या रेट थे।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए और इसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने लगभग लगाकर के दस-पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि की बात की है, और मा0 नेता प्रतिपक्ष ने लगभग लगाकर दो सौ परसेण्ट की बात की है। एक बात तो यह हो गया कि वृद्धि हुई और संसदीय कार्य मंत्री ने कारण बताया और कारण आपने भी बताया। मुझे लगता है कि यह सवाल परिपूर्ण हो गया है अब इसमें क्या बचा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि एन0जी0टी0 के आदेश से 54 खाद्यान्ने बंद हो गई हैं एक तो कारण यह है और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्लीयरेंस देने की पहले से व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया। एन0जी0टी0 के आदेश से यह प्रभावित हुआ कि जो मार्केट में गिट्टी और बालू जो कुछ भी आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। इसका रेट डिमाण्ड और सप्लाई के आधार पर होता है। डिमाण्ड अगर ज्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है और सप्लाई अगर कम हो पाती है तो रेट बढ़ जाता है और अगर डिमाण्ड कम होती है तो रेट कम हो जाता है। हर समय डिमाण्ड भी तो बढ़ती है, और इस दस साल में डिमाण्ड भी तो बढ़ी है। जब पूरे-पूरे सैनेरियो में अगर हम देख लें कि इसका जो प्राईज इण्डेक्स है, इसका हम ज्यूडिशियल नोटिस देते हैं। इसको हर तरीके से स्वयं संज्ञान इसका लिया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा और हर चीज की मांग बढ़ी। जो जाहिर सी बात है कि मांग के आधार पर उसका रेट भी बढ़ गया। इससे हम इंकार नहीं करते मान्यवर, सरकार की मंशा और नीयत अच्छी है। हमने एक व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में बालू और मौरम को सप्लाई करने के लिए एक नीति बनाई और उस नीति के तहत लोगों को बालू और गिट्टी मिल रही है। हम इसके ऊपर विचार कर लेंगे। जहां तक सहारनपुर का मामला है उसमें हम जांच भी करवा लेंगे कि किसी भी तरीके से कोई अनियमितता न हो।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, सीधा उत्तर मा0 मंत्री जी ने अब तक दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप उत्तर जान गए हैं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, हम क्या आप भी उत्तर नहीं जान पाए हैं। उनका कहा हुआ जब आप नहीं जान पाए तो हम कैसे जान पाएंगे। सीधा उत्तर इन्होंने दिया नहीं। इसके महत्व को देखते हुए कि मौरम, बालू के कारण एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने को सोचता है जो थोड़ा तनख्वाह पाता है। सोचता है कि हम थोड़ा घर बना ले जिसमें हमारा बच्चा, हमारी पत्नी और मैं रहूं। कब तक झोपड़ी में रहूं। और इतना महंगा मौरम होने के कारण वह अपना घर नहीं बना पा रहा है। गरीब आदमी परेशान है और यह राजस्व बढ़ाने में खुश हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीमन् कि यह जनहित का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है। मध्यम श्रेणी के परिवारों का मुद्दा है। आप इस प्रश्न को स्थगित करिए। मंत्री जी पूरा तैयार होकर के आएं या आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय कमेटी की एक कमेटी बना दें और वह कमेटी जांच करे। अवैध खनन की तथा रेट की, दोनों की जांच करे

और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनके पीछे सारे सदस्य रहेंगे, सपा के भी, विपक्ष के भी। नहीं तो इस प्रश्न को स्थगित करिए।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग इस विषय पर लगभग आधा घण्टे बात कर चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें दो ही चीजें हैं या तो कमेटी की घोषणा करें या प्रश्न को स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग इस प्रश्न पर आधा घण्टे से डिस्कसन कर रहे हैं। जो आपकी बातें हैं, वही लगभग उनकी भी हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जब हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर विधान सभा में बैठने का मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी निर्णय पर हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम विधान सभा में बैठकर जनता के हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा यहां आना बेकार है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप हित की रक्षा कर रहे हैं। एक बात, आपका वर्जन और संसदीय कार्य मंत्री जी का वर्जन लगभग बराबर है। दूसरी बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम जांच की घोषणा करते हैं, अभी कहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब हम समझते हैं कि आप अभी जांच की घोषणा कर चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने कहा है कि उन्होंने सहारनपुर का बताया है, हम सहारनपुर की जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी जी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने जांच के लिए कहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और आप हम लोगों का संरक्षण भी नहीं कर पाए। यह सरकार गरीब विरोधी है, मध्यम परिवारों की विरोधी है, फैसला सुनाने की आदी है, राजस्व बढ़ाने की आदी है। इसलिए प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण हम थोड़ी देर के लिए, पांच मिनट के लिए, दो मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता, समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन में हम जनता के प्रश्नों को उठाते हैं, यदि सरकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम जनता को क्या जवाब देंगे ? इसलिए सरकार के इस रवैये पर कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता, कांग्रेस पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, अब मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, आपका सवाल स्थगित है। वह स्थगित हो गया है, हम आपको बता देंगे। अब अगला प्रश्न होगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्थित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवकों हेतु 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित किये जाने विषयक

***1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

सूचना एकत्र की जा रही है। (माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित)

प्रदेश में एक्सप्रेस-वे श्रेणी मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति लागू करने के सम्बन्ध में

***2-हाजी इरफान सोलंकी तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे श्रेणी मार्गों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत कोई सड़क सुरक्षा नीति सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया)-

जी हाँ।

प्रदेश में दो एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्ग है।

नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ईडा)।

आगरा से लखनऊ तक के एक्सप्रेस-वे का भाग उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)।

दोनों मार्गों पर उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति, 2014 में दिये गये प्राविधानों व मानकों को लागू किया गया है तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आई0आर0सी0 मानकों के अनुसार सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये गये हैं। नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस-वे पर किये गये कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट आई0आई0टी0 दिल्ली द्वारा किया गया है।

आगरा से लखनऊ तक के एक्सप्रेस-वे पर कराये गये कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट सी0आर0आर0आई0 द्वारा किया गया है।

सड़क सुरक्षा नीति एवं आई0आर0सी0 कोड के अनुसार मानकों को पहले से ही लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाजी इरफान सोलंकी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार को यह बताना चाहता हूं और खासतौर से मंत्री जी को कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक्सप्रेस-वे बनाया था जिस पर उन्होंने जहाज को उतारकर अपने आप में एक कीर्तिमान बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछिए, आप तो बता रहे हैं, आप सवाल करिए।

हाजी इरफान सोलंकी-

अध्यक्ष जी, हमें बोलने तो दें। मेरे पास बहुत छोटे से दो-चार सवाल हैं। इस पूरे एक्सप्रेस-वे/हाई-वे पर जो बसें चलती हैं और पूरे प्रदेश के मा0 मंत्री और विधायक जी भी

उस एक्सप्रेस-वे से आते-जाते हैं लेकिन उस पर जो डबल डेकर बसें चलती हैं, जिनका मानक भी पास नहीं हुआ था लेकिन उनको भी चलने की परमीशन मिल गई। ऐसी ही एक बस की वजह से पिछले साल ईद वाले दिन उस पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 11 लोग इंतकाल फरमा गए थे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई ऐसी नीति बनाई गई है जिसमें जो मृत हुये हैं और जो लोग घायल हुये हैं उनके परिवार वालों के लिए कोई विशेष योजना चलाकर उनकी मद्द की गई। कानून होने के बावजूद वहां पर जब दुर्घटना होती है तो कितनी देर में एम्बुलेन्स पहुंचने का समय इन्होंने निर्धारित किया है और जो फास्ट ट्रैक हैं उसके चलते अन्य वाहनों को वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लखनऊ से एक्सप्रेस-वे आगरा तक जाता है और दूसरा जो आगरा से दिल्ली तक जाता है उसपर लगभग लाखों वाहन दिन भर चलते रहते हैं और जिस पर हो रही दुर्घटनाओं के बारे में पत्रकार बन्धु और आप सब भी जानते हैं कि कितने लोगों के साथ वहां घटनायें हो रही हैं और अभी तक यहां पर कोई योजना नहीं है कि वहां पर जाकर उन लोगों के साथ कोई मद्द हो सके और न ही कोई ऐसी चीजें हैं कि वहां पर उनका इलाज हो सके ताकि वह समय से अस्पताल पहुंच सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उन घटनाओं में ही इंतकाल हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करें। आप तो एक तरह से सूचना दे रहे हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मैं सवाल ही कर रहा हूं मेरा प्रश्न है कि पिछले तीन वर्षों में इन घटनाओं में जिन लोगों को इंतकाल हुआ है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिवार वालों को कोई विशेष धनराशि देकर उनकी मद्द करने का काम सरकार ने कराया है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, माननीय उमा शंकर जी, आप भी अपना सवाल साथ ही पूछ लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो तरह का सवाल होंगे। एक तो पर्टीकुलरली हमारा जो क्वेश्चन लगा है जो कि एक्सप्रेस-वे से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में है आज पूरा प्रदेश जानता है कि सड़क दुर्घटनायें इस समय बढ़ी हुई हैं। इसमें हम यह नहीं कह सकते कि हम किसको आरोपित करें लेकिन इसको कन्ट्रोल कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दो सवाल करूँगा एक तो जो एक्सप्रेस-वे है जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है चूँकि एक्सप्रेस-वे की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में दो ही मार्ग हैं और

इनमें सड़क सुरक्षा नीति-2014 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप नीति बनी है। क्या यह वर्ष 2014 की जो नीति बनी है इस नीति से हम सड़क दुर्घटना कम कर पाये हैं ? यदि कम नहीं कर पाये हैं तो क्या सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हम इस नीति में सुधार करके कोई दूसरी ऐसी नीति लाएंगे जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो। माननीय अध्यक्ष जी हम इसमें थोड़ा-सा बताना चाहेंगे जिसे आप कहेंगे कि हम सूचना दे रहे हैं। कुछ हमारे इस विभाग की भी गलती है क्योंकि जब घटनायें घटित हो जाती हैं उसके बाद हम जागते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी एक्सप्रेस-वे पर हमारी जो डग्गामार बसें हैं उनसे लगभग 132 दुर्घनायें हुईं। ये डग्गामार बसें परिवहन विभाग के अधीन में है वह चाहे तो इनको चलने दे या न चलने दे। जब एक बार घटना घटित हो गई तो दूसरी बार तो मुझे लगता है कि इसे रोक देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपका इसमें प्रश्न क्या है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मेरा प्रश्न है कि इन डग्गामार बसों को क्या आज के बाद सबक लेकर पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे ? हम इसका उदाहरण विस्तृत नहीं देना चाहते लेकिन कन्नौज में दुर्घटना हुई, आपके क्षेत्र उन्नाव में बस पलट गई, फिरोजाबाद में भी दुर्घटना हुई है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये मेरा सुझाव भी है। उस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी दे देंगे कि ये जो दुर्घटनायें होती हैं उसमें सबसे अधिक दुर्घटनायें इसलिए होती हैं कि कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा है उसके बाद कोई दूसरा वाहन उसको सीधा जाकर टक्कर मारता है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा सड़क नियमावली में कहीं नहीं है कि कोई भी आदमी, कहीं भी सड़क पर या कहीं भी किसी वाहन की पार्किंग कर सके लेकिन यहां कहीं-न-कहीं हमारे विभाग की उदासीनता है कि अगर इसमें कोई कठोर अर्थात् क्रिमिनल ऐक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाए कि कोई भी वाहन सड़क के किनारे जहां पार्किंग नहीं है वहां न खड़ा किया जाये तो ये ठीक रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का कानून बनाएंगे कि कोई भी अनाधिकृत रूप से अपने वाहन की पार्किंग सड़क पर न करे ? ये मेरे दो सवाल है।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा घटनायें हमारे जनपद मैनपुरी में हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप फिर सूचना दे रहे हैं, सवाल पूछिये।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रदेश का कोई जनपद अछूता नहीं है...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये आपके पास सवाल नहीं है आप सिर्फ बताना चाहते हैं।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले मा0 उमाशंकर सिंह जी का उत्तर आ जाये। अब आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री अशोक कटारिया-

माननीय अध्यक्ष जी, नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस-वे 165 किलोमीटर लम्बा मार्ग है।

(श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव के निरंतर बोलते रहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। आपका लिखा नहीं जा रहा है, मंत्री जी का रिकार्ड हो रहा है।

श्री अशोक कटारिया-

सम्पूर्ण मार्ग पर अन्य दूसरे मिलने वाले मार्गों पर अंडर पास बनाये गये हैं। मार्ग पर आवश्यकतानुसार लाइटिंग की व्यवस्था की गयी है। आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस-वे 302 किलोमीटर लम्बा मार्ग है। यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। मार्ग पर आवश्यकतानुसार लाइटिंग की व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण मार्ग पर अन्य दूसरे मिलने वाले मार्गों पर अंडर पास बनाये गये हैं। नोएडा से आगरा तक 06 एम्बुलेंस तथा आगरा से लखनऊ तक 10 एम्बुलेंस अभी वर्तमान में कार्य कर रही हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे पर ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्पीड राडार व कैमरे की मदद से 03 घण्टे से कम की दूरी तय करने वाले वाहनों पर ई-चालान की कार्यवाही लगातार की जा रही है। नोएडा से आगरा तक 25 पेट्रोलिंग वाहन व आगरा से लखनऊ तक 17 पेट्रोलिंग वाहन लगे हैं। ओवर स्पीडिंग हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे, एन0सी0आर0 सहित प्रक्रिया अभी क्रियाशील है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर 52 स्थानों को चिन्हित कर उन पर रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये हैं। क्षतिग्रस्त बाड़ नियमित रूप से मरम्मत करायी जाती है। यूपीडा आगरा, सैफई, इटावा, तेरवां, कन्नौज पी0जी0आई0 लखनऊ में ट्रामा की सुविधायें उपलब्ध हैं। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र औरांव, उन्नाव में ट्रामा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य के स्तर पर अनुरोध प्रेषित किया गया है। कन्नौज

में ट्रामा सेंटर हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ईडा सम्पूर्ण एक्सप्रेस-वे पर नोएडा-मथुरा एवं आगरा जनपद के 15 अस्पतालों को इमरजेंसी केयर हेतु अनुबंधित कर लिया गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर विस्तार से दिया उसमें उन्होंने यह बताया कि यदि आप एक्सीडेंट करेंगे तो वहां पर हमारे एम्बुलेंस मौजूद हैं, आपको पी0जी0आई0 हांस्पिटल, सैफई या जहां-जहां हांस्पिटल हैं वह लेकर चले जाएंगे। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, उसमें मेरा सीधा प्रश्न था कि वर्ष 2014 में दिये गये प्रावधानों व मानकों को लागू किया गया है तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आई0आर0सी0 मानकों के अनुसार सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये गये हैं। मेरा यह कहना है कि क्या यह उपाय वर्ष 2014 का जो शासनादेश है, इस उपाय को अपनाये जाने से क्या सड़क दुर्घटनाएं आज कम हुई हैं या बढ़ी हैं। यदि बढ़ी हैं तो क्या इसमें सुधार करके कोई ऐसा शासनादेश या कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि जिससे सड़क दुर्घटनायें कम हों ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि आपने जो उपाय दुर्घटनाएं रोकने के बताये हैं क्या उनसे दुर्घटनाओं को रोकने में लाभ हुआ है ? यदि नहीं हुआ तो फिर क्या कार्य योजना है ?

श्री अशोक कटारिया-

मान्यवर, उससे लाभ हुआ है। समूचे उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं में औसत में कमी आयी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में मान लीजिए उस समय आपकी सरकार नहीं थी, जो इन्होंने बनाया उसको यह सफल मान रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो अन्य दुर्घनाएं हो रही हैं, वह दुर्घटनाएं सड़क पर अनाधिकृत रूप से जो लोग अपने वाहन की पार्किंग करते हैं जिसमें पीछे से आकर गाड़ियां उस पर टक्कर मारती हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, क्या इसके लिए सरकार कोई कानून बनायेगी जिससे कि इस तरह की अनाधिकृत रूप से पार्किंग न हो।

श्री अध्यक्ष-

कानून के प्रवर्तन की बात है, वह करेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं।

प्रदेश में वर्ष 2017, 2018 एवं वर्ष 2019 में निर्धारित लक्ष्य से कम धान एवं गेंहू की खरीद की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

***3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017, 2018 एवं वर्ष 2019 से दिनांक 11/11/2019 तक धान तथा गेहूँ की खरीद का कितना निर्धारित लक्ष्य था एवं उसके सापेक्ष कितना धान तथा गेहूँ क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से कम धान एवं गेहूँ की खरीद की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष में धान क्रय हेतु सूचक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के गेहूँ एवं धान के क्रय लक्ष्य (सूचक लक्ष्य) एवं खरीद के आंकड़े निम्नवत् हैं :-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

वर्ष	गेहूं			धान
	क्रय लक्ष्य	कुल खरीद	क्रय लक्ष्य	कुल खरीद
2017-18	40.00	36.99	50.00	42.90
2018-19	50.00	52.92	50.00	48.25
2019-20	55.00	37.04	50.00	4.72 (दि0 11.11.2019 तक)

वर्ष 2019-20 में धान खरीद प्रगतिमान है एवं दिनांक 04-02-2020 तक ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 52.53 लाख मी0 टन क्रय हुआ है। प्रदेश में धान क्रय अवधि दिनांक 29-02-2020 तक निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं निर्धारित मानक के अनुसार राज्य एजेंसियों द्वारा धान एवं गेहूँ की खरीद की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु क्रय नीति सूचक लक्ष्य परक होती है। बाजार मूल्य अधिक हो जाने तथा क्रय केन्द्रों पर धान, गेहूँ की आवक कम होने के कारण क्रय केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः लक्ष्य से कम खरीद करने के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य नहीं बनता है।

(मा0 मंत्री, श्री सुरेश राणा द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए क्योंकि समय खत्म हो गया है। केवल इतना पूँछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो प्रतिबद्धता और वचनबद्धता सरकार की है, क्या बिचौलियों ने कोई खरीद में अपने गेहूँ बेचने का काम किया है या नहीं किया है ? किया है तो उसकी कोई जानकारी शासन को है या नहीं है ? केवल इतनी जानकारी चाहता हूं।

गन्ना विकास चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, शर्मा जी हमारे बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिनकी कार्यकुशलता के चलते ऐतिहासिक धान और गेहूँ की खरीद हुई है। चूँकि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं तो जरा सी जानकारी मैं इन्हें देना चाहूंगा। जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने लागू की है उसका असर दिखता है। जहां वर्ष 2016-17 में 7.97 लाख मी0 टन गेहूँ खरीदा गया था, वहीं इस वर्ष 2019-20 में 37.04 लाख मी0 टन गेहूँ खरीदा गया है। यदि आप गुणा करेंगे तो लगभग पाँच गुने से भी ज्यादा गेहूँ की खरीद हुई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। भाव की बात हमारे विपक्ष के बहुत वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। जहां वर्ष 2014-15 में गेहूँ का समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, वहां मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते वर्ष 2019-20 में 1840 रुपये प्रति क्विंटल है। यह मोदी-योगी की सरकार की प्रतिबद्धता है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने एवं विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के उपकेन्द्रों द्वारा बदले गये जर्जर तारों के सम्बन्ध में जानकारी

***4-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई कार्य योजना प्रदेश में प्रचलित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताएगी कि विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के किन-किन विद्युत उपकेन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कुल कितने जर्जर तारों को बदला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-03 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

जी हाँ।

वर्तमान में ए0डी0बी0/आर0ई0सी0/ पी0एफ0सी0 ऋण के माध्यम से कुल 3065 करोड़ लागत से 1000 से अधिक आबादी वाले मजरों में कुल 50164 कि0मी0 तारों को ए0बी0 केबिल से बदलवाया जा रहा है। जिसकी लक्षित समय सीमा मार्च 2021 है। इसके अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अन्तर्गत भी जर्जर तारों को बदलवाया जाता है।

दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दीदारगंज पोषक से पोषित उपरोक्त योजना में 8 मजरे सम्मिलित हैं इन मजरों में खुले तारों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रतिस्थापित किया जायेगा (संलग्नक-01)†। बिजनेस प्लान में उक्त स्थान पर कोई जर्जर तार नहीं बदले गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग पर विद्युत बिल में छूट की धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक

***5-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की सिंचाई हेतु बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन में कितनी छूट कब से दी जा रही है ? क्या सरकार बढ़ती मंहगाई दर के दृष्टिगत उक्त छूट की धनराशि में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

शासनादेश संख्या 2252/24-1-08-49 पी/04 टी0सी0-II दिनांक 04 जुलाई, 2008 के अनुसार 60 मीटर प्रति हार्स पावर की दर से 300 मीटर तक की लाइन शुल्क में छूट प्रदान की जाती थी। सामान्य योजना के अन्तर्गत कालान्तर में अनुदान धनराशि रु0 55,000.00 से बढ़ाकर रु0 68,000.00 प्रति नलकूप कर दी गई। शासनादेश संख्या 2262/24-1-17-49 पी/04 टी0सी0-II दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के अनुसार निजी नलकूपों के संयोजन हेतु 7.5 हार्स पावर तक रु0 68,000.00 अनुमन्य अधिकतम अनुदान धनराशि की छूट प्रदान की गई।

वर्तमान में कृषकों के निजी नलकूप के विद्युत संयोजन हेतु लाइन की लम्बाई 300 मीटर की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है एवं सभी आवेदकों को कुल रु0 68,000.00 अनुमन्य छूट दी जा रही है।

अनुदान राशि रु0 68,000.00 को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 147 पर।)

प्रदेश में किसानों को निजी ट्यूबवेल हेतु कनेक्शन में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

***6-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी ट्यूबवेल कनेक्शन पर छूट दी जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश में किसानों द्वारा निजी ट्यूबवेल हेतु धनराशि जमा करने तथा आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बावजूद उन्हें कनेक्शन में प्रावधानित छूट प्रदान नहीं की जा रही है ? यदि हाँ, तो किसानों को उक्त विद्युत कनेक्शन में सरकार छूट देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में कृषकों के निजी नलकूप के विद्युत संयोजन लिये जाने पर उन्हें उपलब्ध बजट के अन्तर्गत अनुदान धनराशि रु0 68,000.00 प्रति संयोजन की दर से छूट प्रदान की जा रही है।

जी नहीं।

निजी नलकूपों के संयोजन सामान्य योजना में स्वीकृत होने के पश्चात कुल प्राक्कलित धनराशि से छूट की धनराशि समायोजित करने के उपरान्त धनराशि जमा कराई जाती है। यदि फिर भी इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार जाँचोपरान्त विभागीय दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले तारों के स्थान पर एरियल बण्डल विद्युत तार लगाये जाने विषयक

***7-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में खुले तारों के स्थान पर एरियल बण्डल विद्युत तार (ए0बी0सी0) लगाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में कुल कितने जनपद मुख्यालय शहरी, अर्द्ध शहरी क्षेत्रों तथा विकास खण्डों में ए0बी0सी0 तार लगाये जा चुके हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के ऐसे विकास खण्डों, ग्रामीण क्षेत्रों जहां अभी भी पुराने जर्जर विद्युत तारों से विद्युत आपूर्ति हो रही है, से दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने व लाइन लॉस को कम करने के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में भी ए0बी0सी0 तार लगाये जायेगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश के 26 जनपदों में शहरी क्षेत्रों में अधिक ए0टी0 एण्ड सी हानियों वाले चिन्हित क्षेत्रों में ए0बी0 केबिल स्थापना हेतु क्रियान्वित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 173 नग चिन्हित स्थानों में कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लागत रु0 103.50 करोड़ है। इनमें से माह जनवरी, 2020 तक 115 नग स्थानों में कुल 810 कि0मी0 ए0बी0 केबिल की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य दिनांक 31-03-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से अधिक आबादी वाले मजरों में ए0बी0 केबिल लगाये जाने का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए रु0 1676 करोड़ की लागत से कुल 12385 मजरों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 5605 मजरों में लगभग 11202 कि0मी0 केबिल लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जी हां।

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल 260110 मजरे अवस्थित हैं। इनमें से 152385 मजरों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं में ए0बी0 केबिल लगाया जा चुका है।

अवशेष 107725 मजरों में से प्रथम चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले कुल 39018 मजरों में ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12385 मजरों में वर्ष 2019-20 में ए0बी0 केबिल का कार्य कराया जा रहा है तथा शेष 26633 मजरों में रु0 1389 करोड़ ए0डी0बी0 ऋण से वर्ष 2020-21 में ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य कराये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को गलत विद्युत बिल भेजकर परेशान करने विषयक

***8-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के विद्युत बिल भेजकर परेशान किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

त्रुटिपूर्ण बिल जारी होने की शिकायतें समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं, जिनका निस्तारण नियत प्रक्रियानुसार समयबद्ध ढंग से वितरण निगमों द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं को सही बिल निर्गत करने हेतु समस्त वितरण निगमों में बिलिंग एजेन्सी कार्यरत

है, जिसके द्वारा प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को मासिक बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उपभोक्ता के आवेदन पर त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक किया जाना विभाग की नियमित प्रक्रिया है। त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन विभाग द्वारा प्राथमिकता पर किया जाता है, त्रुटिपूर्ण बिलों को ठीक कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की फील्ड इकाइयों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। विभागीय उपकेन्द्रों/कार्यालयों पर बिल संशोधित किये जाते हैं। 1912 हेल्पलाइन नं0 पर भी त्रुटिपूर्ण बिलों की शिकायत दर्ज होती है। त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन 07 दिनों के अंदर करने का मानक निर्धारित है, जिसका सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु योजना के सम्बन्ध में जानकारी

***9-श्री विजय मिश्र-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हां।

पोत परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन ''भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण'' द्वारा गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 कि0मी0 लम्बा है, जिसमें गाजीपुर से प्रयागराज तक 370 कि0मी0 उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आता है। नोएडा में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्ग विकसित करने हेतु जनपद प्रयागराज एवं वाराणसी में उप कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जहां से जलमार्ग के विकास कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद वाराणसी में 34.755 हे0 भूमि पर मल्टीमॉडल टर्मिनल, जनपद चन्दौली (ग्राम मिल्कीपुर एवं ताहिरपुर) एवं मिर्जापुर (ग्राम-रसूलगंज) में 41.487 हे0 भूमि पर फ्रेट विलेज एवं जनपद गाजीपुर में 8.917 हे0 भूमि पर इण्टरमॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके लिए इन जनपदों में भूमि अधिग्रहण/परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त किये जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग के तारों से किसानों की फसल जलकर राख होने की स्थिति में सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने की नीति के सम्बन्ध में

***10-श्री नाहिद हसन-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग के तारों से किसानों की फसल जलकर राख होने के कितने प्रकरण चालू वर्ष में दिनांक 10-05-2019 तक सरकार को रिपोर्ट हए हैं तथा उपरोक्त प्रकरणों में किसान की जली फसल का मुआवजा किसान को उपलब्ध कराने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में उपरोक्त प्रकृति के कुल कितने प्रकरण उक्त अवधि में सरकार के संज्ञान में आए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

प्रदेश में विद्युत विभाग के तारों से फसल जलने की कुल 966 घटनायें हुई हैं।

किसान की जली फसल का मुआवजा देने हेतु नीति निर्धारित है जिसके अन्तर्गत विद्युतीय दुर्घटना में निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन की रिपोर्ट एवं फसलों की क्षति का आंकलन जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

जनपद शामली में विद्युत तारों से फसल दुर्घटना के 05 प्रकरण संज्ञान में आये थे, जिसमें कुल क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि रु0 2,08,700/- पीड़ितों को भुगतान कर प्रकरण का समग्रता से निस्तारण कर दिया गया है।

जी हां। विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत दरों में बढ़ोतरी और दिल्ली की भांति बिजली बिल में छूट दिए जाने सम्बन्धी

***11-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कितनी बढ़ोतरी की गई है ? क्या सरकार दिल्ली सरकार की भांति प्रदेश के छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में छूट देने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

विद्युत उत्तर प्रदेश में विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। नियामक आयोग के निर्देशानुसार 01-04-2019 से 31-12-2019 तक घरेलू बत्ती, पंखा श्रेणी (एल0एम0वी0-1) के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में औसत वृद्धि 15.29 प्रतिशत, वाणिज्यिक बत्ती, पंखा श्रेणी (एल0एम0वी0-2) में औसत वृद्धि 6.53 प्रतिशत, निजी नलकूप उपभोक्ता श्रेणी (एल0एम0वी0-5) में औसत वृद्धि 12.25 प्रतिशत हुई है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 148 पर।)

विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का विवरण संलग्नक-1† पर अवस्थित है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य के उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ ढांचे में उपभोक्ता श्रेणियाँ दिल्ली राज्य की उपभोक्ता श्रेणियों से भिन्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु कुल 9104.00 करोड़ रु0 की शासकीय सहायिकी प्रदान की गयी है। दोनों राज्यों में शासकीय सहायिकी के समायोजन की प्रक्रिया भिन्न है तथा भारत सरकार के विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-65 के अन्तर्गत शासकीय सहायिकी का विवरण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को सूचित किया जाता है।

विद्युत विभाग द्वारा नेट मीटरिंग हटाने से अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पाद व कैप्टिव उपभोग में ग्राहकों का प्रतिशत के सम्बन्ध में जानकारी

***12-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत एक वर्ष में अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में क्या विकास हआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि बिजली विभाग द्वारा बड़े ग्राहकों से नेट मीटरिंग की सुविधा हटाने की नई नीति से अतिरिक्त ऊर्जा के विस्तार में क्या असर आया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पाद और कैप्टिव उपभोग में छोटे, मध्यम् स्तर के एवम् बड़े ग्राहकों का क्या प्रतिशत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

प्रदेश में गत एक वर्ष में अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत आवंटित 1122 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना एवं उनसे उत्पादित विद्युत क्रय करने हेतु उ.प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा 25 वर्षों के लिए पावर पर्चेज अनुबंध निष्पादित किये गये हैं, जिसमें से 1050 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन नवम्बर 2020 में अपेक्षित है। ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा थर्ड पार्टी को सौर पावर विक्रय हेतु 535 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें से प्रदेश के प्रथम कैप्टिव उपयोगार्थ 50 मेगावाट क्षमता की वृहद सौर पावर परियोजना की कमीशनिंग दि0 23-11-2019 को हो चुकी है। अवशेष परियोजनाओं की कमीशनिंग मार्च 2021 तक होनी अपेक्षित है।

---

† (छापा नहीं गया।)

उक्त के अतिरिक्त निम्न विकास कार्य भी हुए है :-

(1) सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना- 9120 अद्द।

(2) सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना-1122 अद्द।

(3) सोलर पावर पैक संयंत्र की स्थापना-24556 अद्द।

(4) सोलर पावर प्लाट (आफग्रिड) की स्थापना-2318 कि0 वाट।

(5) सरकारी तथा अर्द्धसरकारी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टाप संयंत्रों की स्थापना-1590 कि0 वाट।

(6) निजी भवनों पर सोलर रूफ टाप संयंत्रों की स्थापना लगभग-15 मेगावाट।

(7) मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना-7120 अद्द।

(8) पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना-4880 अद्द।

(9) प्रोजेक्ट मोड योजनान्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना-11000 अद्द।

(10) सोलर हाईमास्ट की स्थापना-283 अद्द।

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम 2019 में केवल एलएमवी-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5 (कृषि क्षेत्र) श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही नेट मीटरिंग की सुविधा अनुमन्य की गयी है। शेष श्रेणी यथा-औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग अनुमन्यता समाप्त होने से अतिरिक्त ऊर्जा के विस्तार पर पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन/शोध उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में गत् एक वर्ष में रूफटाप योजना के अन्तर्गत कैप्टिव उपभोग में लगभग 15 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गये हैं, जिनमें छोटे, मध्यम स्तर एवं बड़े ग्राहकों का प्रतिशत निम्नवत् है :-

5 कि0 वाट तक के ग्राहक - 68.25 प्रतिशत

5 से 10 कि0 वाट तक के ग्राहक - 22.82 प्रतिशत

10 कि0 वाट से अधिक के ग्राहक - 8.93 प्रतिशत

प्रश्न नहीं उठता।

***13-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के चारबाग स्थित बस स्टेशन परिसर में बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा/पार्किंग कराने हेतु ठोस कार्रवाई करने के सम्बन्ध में

1-श्री मानवेन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चारबाग स्थित उपनगरीय बस अड्डा की बसें रोड पर खड़ी होने के कारण प्रतिदिन आमजन को जाम से जूझना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बस अड्डे में ही बसों को खड़ा करने की कड़ाई से पालन कराने हेतु कोई ठोस कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

चारबाग बस अड्डा पर बसों को बस स्टेशन परिसर में खड़ी होने/पार्किंग कराने हेतु एक सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा उनके साथ अन्य उपाधिकारी लगाये गये हैं और बसों को निर्धारित स्थान पर लगाने एवं सवारियों को चढ़ाने/उतारने का कार्य कराया जाता है। यदि किसी बस के क्रू द्वारा सड़क पर बस खड़ी की जाती है तो उनके विरुद्ध पेनाल्टी भी अधिरोपित की जाती है। चारबाग बस स्टेशन प्रबन्धक द्वारा बसें मुख्य सड़क पर खड़ी न हों, के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है तथा उपनगरीय डिपो अथवा किसी अन्य डिपो की बसें मुख्य सड़क पर खड़ी नहीं होती हैं। बसों को चारबाग बस स्टेशन के अन्दर खड़ा/पार्किंग कराने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। इसके लिये सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी एवं अन्य कार्मिक की तैनाती की गयी हैं। इनके द्वारा मुख्य सड़क पर बसें खड़ी पाई जाने पर सम्बधित क्रू के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोषी डीलर व खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की जांच कर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

2-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन डीलर के दोषी पाये जाने पर राशन डीलर के साथ सम्बन्धित खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की जांच कर कार्रवाई करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। यदि प्रकरण में पर्यवेक्षणीय दायित्वों में पूर्ति निरीक्षक की लापरवाही/संलिप्तता पायी जाती है तो उसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मजदूरी तथा अन्य भत्तों आदि के भुगतान की जांच कराने एवं उसका विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

3-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थित उद्योग मैसर्स यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लि0, मैसर्स कोठारी इण्टरनेशनल, मैसर्स ओरियन्ट सिरेमिक्स लि0 तथा मैसर्स लिब्रा इन्टरनेशनल आदि उद्योगों में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मजदूरी तथा अन्य भत्तों का भुगतान उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उद्योगों की श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 2018 में उक्त उद्योगों की कितनी बार और कब-कब जांच की गयी है ? क्या सरकार उक्त जांचों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अनुक्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक इकाइयों में नियमित स्थलीय जांच कराने का कोई प्राविधान नहीं है, किन्तु शिकायतें प्राप्त होने की दशा में शासनादेश संख्या-13/2017/836/36-3-2017-1820/12 दिनांक 28 जुलाई, 2017, शासनादेश संख्या-236/36-3-2019-1820/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या 17/2019/1918/ 36-3-2019-820/2012 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 में निहित व्यवस्थानुसार निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2019 में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली दिनांक 28-07-2017 के अनुपालन में 83 अति परिसंकटमय कारखानों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसमें 05 अति परिसंकटमय कारखानों में से एक औद्योगिक क्षेत्र बुलन्दशहर तथा 04 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर के हैं।

वर्ष 2018 में सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर कार्यालय से प्राप्त अभिलेखानुसार मा0 सदस्या की शिकायत पर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मैसर्स लिब्रा इन्टरनेशनल पर न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम-1972, स्थाई आदेश अधिनियम-1946 के अन्तर्गत निरीक्षण की कार्रवाई कर उस पर नियमानुसार उपशमन आदि की कार्रवाई अपनायी गयी। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 06 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान होने की स्थिति में उन्हें नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराया गया है। वर्ष 2019 में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 25 जून 2019 के क्रम में मा0 सदस्या की शिकायत पर मैसर्स ब्रिटिश पेन्ट्स लिमिटेड, मैसर्स लक्ष्मी डाइंग, मैसर्स चन्दोक टेक्सटाइल तथा मैसर्स बर्जर

पेन्ट्स लिमिटेड के कारखानों का निरीक्षण किया गया है। शेष अन्य इकाइयों (मैसर्स यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लिमिटेड, मैसर्स कोठारी इण्टरनेशनल एवं मैसर्स ओरियन्ट सिरेमिक्स लिमिटेड) में कोई शिकायत प्राप्त न होने पर निरीक्षण की कार्रवाई नहीं अपनायी गयी।

जी हां। उपरोक्तानुसार विवरण/सूची मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में 15 प्रतियों† में रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ में किसानों को निजी नलकूप हेतु आवंटित विद्युत कनेक्शनों के सापेक्ष जारी नलकूप कनेक्शनों के सम्बन्ध में जानकारी

4-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ में कृषि सिंचाई हेतु किसानों के निजी नलकूप हेतु आवंटित विद्युत कनेक्शनों के सापेक्ष कितने किसानों को नलकूप कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं तथा कितने शेष है ? क्या सरकार शेष आवेदकों को उक्त विद्युत कनेक्शन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ जो कि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है। जनपद-शाहजहांपुर में निजी नलकूप सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-2020 के लक्ष्य क्रमशः 738 नग एवं 1865 नग, कुल 2603 नग निर्धारित हुए थे। जिनके सापेक्ष कुल 2425 नग निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सम्बन्धित भण्डार केन्द्र से पूर्ण सामग्री निर्गत कर दी गयी। इसके अतिरिक्त कुल 162 नग निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को आंशिक सामग्री निर्गत कर दी गयी।

सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के लक्ष्य विधान सभावार न निर्धारित कर जनपदवार आवंटित किये जाते है। जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ में उपरोक्त समयावधि में सामान्य योजना के अन्तर्गत कुल 725 नग निजी नलकूप के आवेदन विद्युत वितरण खण्ड, पुवायाँ द्वारा सूच्य हैं, जिसके सापेक्ष 540 नग आवेदनकर्ताओं को पूर्ण सामग्री एवं 115 नग आवेदनकर्ताओं को आंशिक सामग्री निर्गत की जा चुकी है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल आंशिक सामग्री निर्गत किये गये आवेदनकर्ताओं को मिलाकर कुल 185 नग आवेदनकर्ता शेष है।

---

† छापी नहीं गयीं।

जनपद के निर्धारित लक्ष्यों में अवशेष 178 नग नलकूपों में से विधान सभा पुवायाँ के अन्तर्गत अवशेष नलकूपों को वरीयता के आधार पर 178 नग नलकूपों को जिसमें आंशिक सामग्री निर्गत की गयी सम्मिलित है, को दिनांक 31-03-2020 तक पूर्ण सामग्री निर्गत की जायेगी। निर्धारित लक्ष्य से अधिक शेष 07 नग आवेदनकर्ताओं को वर्ष 2020-21 के लक्ष्य प्राप्त होने पर पूर्ण सामग्री निर्गत कर दी जायेगी।

शेष आवेदनकर्ताओं को वर्ष 2020-21 के लक्ष्य प्राप्त होने के छः माह में ऊर्जीकृत करने हेतु सामग्री निर्गत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र पुवायां में विद्युत उपभोक्ता लोड के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की स्थिति व रख-रखाव की व्यवस्था विषयक

5-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ में वर्तमान में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ता लोड के सापेक्ष कितनी क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर स्थापित हैं तथा इनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायां, जोकि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता हैं, में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	माह	प्राप्त विद्युत आपूर्ति	दी गई विद्युत आपूर्ति
1	दिसम्बर, 2019	विद्युत आपूर्ति 18:00 घण्टे है।	दी गई विद्युत आपूर्ति 17:35 घण्टे है।
2	जनवरी, 2020	विद्युत आपूर्ति 18:00 घण्टे है।	दी गई विद्युत आपूर्ति 17:23 घण्टे है।

उक्त क्षेत्र में 162.499 एम0वी0ए0 लोड के सापेक्ष 578 एम0वी0ए0 क्षमता के 8961 नग ट्रॉसफार्मर स्थापित है एवं उनके रख-रखाव हेतु रोस्टिंग समय में फ्यूज, परिवर्तक, केबिल, जम्फर इत्यादि की जाँच प्रतिदिन की जाती है तथा रूटीन टैस्टिंग निर्धारित शिड्यूल के अनुसार की जाती है।

जी हाँ। (संलग्नक-01 एवं संलग्नक-02)†।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की चोरी रोकने/तार काटने की घटनाएं रोकने व ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता के सम्बन्ध में

6-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की चोरी रोकने व तार काटने की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय किये गये है ? यदि हाँ तो क्या ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की स्टोरेज (भण्डारण गृह) में मांग के अनुरूप उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जोकि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर एवं तार की चोरी रोकने हेतु लगातार संविदाकर्मी द्वारा पेट्रोलिंग करायी जाती है।

यदि कोई परिवर्तक एवं तार की चोरी की कोई भी घटना सामने आती हैं तो उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विगत एक वर्ष में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर एवं तार चोरी की कोई भी घटना सामने नहीं आयी है।

विद्युत कार्यशाला में विभिन्न क्षमता के परिवर्तक आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहते हैं, जिनसे क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समयावधि के अन्दर बदलवाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ में विगत 01 वर्ष में विद्युत चोरी के प्रकरणों में दर्ज प्राथमिकी व इसमें विभागीय कर्मियों की संलिप्तता की जानकारी

7-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ में विद्युत चोरी रोकने के क्या उपाय किये गये तथा विगत 01 वर्ष में विद्युत विभाग/विजीलेन्स द्वारा विद्युत चोरी के कितने प्रकरणों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरणों पर किसी विभागीय कार्मिक की भी संलिप्तता पाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† (देखिये नत्थी 'ग आगे पृष्ठ सं0 149-150 पर।)

श्री श्रीकांत शर्मा-

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुयावॉ के विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग/विजिलेन्स द्वारा समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है। अभियान के अन्तर्गत चेक किये गये 125 प्रकरणों में से विभाग द्वारा 124 प्रकरणों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ में विद्युत लाइन लॉस रोकने के लिए बन्च ऐरियर लगवाने एवं उक्त कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

8-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ, में विद्युत लाइन लॉस रोकने के लिए ग्रामों में बन्च ऐरियर लगाये जाने का कार्य किस विभाग/एजेन्सी को दिया गया है तथा उक्त का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार उक्त कार्य को निश्चित समय-सीमा मे पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ जोकि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में विद्युत लाइन लॉस रोकने के लिए ग्रामों में एरियल बन्च कण्डक्टर (ए0बी0सी0) लगाये जाने का कार्य मैसर्स बजाज कम्पनी को दिया गया है, जिसमें 45 ग्रामों में 77.95 कि0मी0 एरियर बन्च कण्डक्टर में से 15 ग्रामों में 19.35 कि0मी0 एरियर बन्च कण्डक्टर का कार्य दिनांक 28.01.2020 को पूर्ण कर लिया गया है तथा 30 ग्रामों में 58.6 कि0मी0 एरियर बन्च कण्डक्टर का कार्य अभी शेष है। (छायाप्रति संलग्न)†।

जी हाँ (31-03-2020)।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 151 पर।)

जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैण्ड व यात्री सुविधाओं का विकास कराने विषयक

9-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उक्त बस स्टेशन जर्जर अवस्था में नहीं है तथापि भवन की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है, जो उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कुम्भ मेला प्रयागराज वर्ष 2019 में लगायी गयी शटल बसों के सम्बन्ध में जानकारी

10-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019 में जनपद प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला में कुल कितनी शटल बसें लगायी गयी थी तथा कुम्भ मेला के बाद उक्त शटल बसें कहाँ भेजी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त बसों में से कितनी बसें खराब है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

वर्ष 2019 में जनपद प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला में कुल 546 शटल बसें लगायी गयी थीं तथा कुम्भ मेला के बाद सम्बन्धित क्षेत्र को भेजी गयी।

03 बसें खराब हैं। उक्त खराब बसों का विवरण निम्नवत् है :-

1-चित्रकूट क्षेत्र की 01 बस यू0पी0 90 टी-8103 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण खराब हैं।

2-देवीपाटन क्षेत्र की 01 बस यू0पी0 40 टी-9003 मेजर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण खराब है।

3-अयोध्या क्षेत्र की 01 बस यू0पी0 42 बीटी-6484 दंगा में जल जाने के कारण खराब है।

अतः उक्त विवरण के दृष्टिगत पृथक से सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा विपणन वर्ष 2019-20 में ब्लाक साऊँघाट के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों का धान क्रय करने की नियत तिथि से पूर्व ही खरीद कार्य को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा विपणन वर्ष 2019-20 में ब्लाक साऊँघाट के किसानों द्वारा धान बेचने के लिए विभाग में ऑनलाइन पंजीयन कराया गया था। जिसमें खरीद की तिथि 13/01/2020 निर्धारित की गयी थी परन्तु तिथि आने के पूर्व ही विभाग द्वारा क्रय केन्द्रों पर खरीद कार्य को बन्द कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग में धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीयन कराये गये किसानों के धान को क्रय करायेगी एवं क्रय हेतु किसानों को सूचित करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

धान क्रय करने हेतु साऊँघाट ब्लाक में खाद्य विभाग का क्रय केन्द्र मण्डीयार्ड, बस्ती में स्थापित/संचालित है। धान विक्रय करने हेतु कृषकों को जनपद स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है तथा ऑनलाइन पंजीकृत किसान अपना धान मानक के अनुरूप क्रय केंद्र पर क्रय सत्रांत (29-02-2020) तक नियमानुसार विक्रय कर सकते हैं। उक्त क्रय केन्द्र पर धान खरीद प्रारम्भ होने की तिथि 01-11-2019 से दिनांक 13-01-2020 तक की खरीद 3581.24 मी0 टन थी जबकि दिनांक 11-02-2020 तक की खरीद 4422.44 मी0 टन हो चुकी है। उक्त केंद्र पर लगातार धान खरीद जारी है तथा दिनांक 29-02-2020 तक धान क्रय केन्द्र पर आने वाले पंजीकृत किसानों से धान खरीद सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में संचालित सरकारी संस्थाओं पर बकाये बिल के भुगतान की वसूली हेतु सरकार द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी

12-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में संचालित सरकारी संस्थाओं पर अब तक कितना बिल बकाया है तथा बकाये बिल के भुगतान की वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन आदि की प्रक्रिया सरकार अपनायेगी ? यदि हां, तो क्या कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-बस्ती में संचालित सरकारी संस्थाओं पर रु0 2687.32 लाख विद्युत बिल बकाया है (संलग्नक-01)† बकाये बिल के भुगतान हेतु विच्छेदन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

सभी सरकारी विभागों के विद्युत बिल बकाये के भुगतान के लिए बजट आवंटन कराये जाने हेतु विभागों द्वारा मांग-पत्र अपने-अपने विभागाध्यक्षों को भेज दिये गये हैं। 31 मार्च, 2020 तक बकाया जमा न करने वाले विभागों के संयोजनों का आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए वसूली की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली में शिकायतों व अनियमितताओं की रोकथाम की कार्य योजना विषयक

13-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार आ रही शिकायतों व अनियमितताओं के मद्देजर क्या सरकार ने इसको और व्यावहारिक, सुदृढ़, जन-उपयोगी एवं जवाबदेह बनाने हेतु ट्रांसपेरेंसी पोर्टल की स्थापना की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त पोर्टल पर 2019 से अब तक जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी का समाधान हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा स्थापित पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर दिनांक 01-01-2019 से 31-01-2020 तक जनपद प्रतापगढ़ में विभाग से सम्बन्धित कुल 952 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 940 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार जनपद प्रयागराज में उक्त अवधि में कुल 2634 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2556 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ सं0 152 पर।)

प्रदेश में बेरोजगारी कम करने हेतु प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी

14-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार की बेरोजगारी कम करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। सेवायोजन पोर्टल पर दिनांक 07 फरवरी, 2020 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3393530 है।

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कॅरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावर ग्राम पंचायत साण्डा दखिलौल ग्राम गज़रिया खेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल में विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 26-07-2019 के सम्बन्ध में जानकारी

15-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा का दिनांक 26-07-2019 का पत्र जो कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-भरावर के ग्राम पंचायत-साण्डा दखिलौल अन्तर्गत ग्राम-गज़रिया खेड़ा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल में विद्युत कनेक्शन किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हॉ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

जी हां।

जनपद-हरदोई के ब्लाक-भरावन के उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल में विद्युत संयोजन दिनांक 03-02-2020 को मीटर संख्या एच0एन0जे0 0496 सीरियल नं0 86357296 लगाकर विद्युत संयोजन निर्गत कर ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवर अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक पत्र सं0-ख-6 नं0 623718, दिनांक 18-12-2019 पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शैलेन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6 नं0 623718 दिनांक 18-12-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता पूर्व में 33/11 के0वी0, विद्युत उपकेन्द्र- ककोड़ पर कार्यरत थे, जिनकी भ्रष्टाचार तथा अमर्यादित व्यवहार एवं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सम्बन्धी शिकायती प्रकरण की प्रारम्भिक जाँचोपरान्त उक्त अवर अभियन्ता को 33/11 के0वी0, विद्युत उपकेन्द्र-ककोड़ से स्थानान्तरित कर 33/11 के0वी0, विद्युत उपकेन्द्र-गुलावटी नं0-2 अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर में किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों/इकाइयों को विद्युत कनेक्शन देने की समय-सीमा के सम्बन्ध में

17-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ में वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों/इकाइयों को विद्युत कनेक्शन देने की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 01 वर्ष में ऐसे कितने कनेक्शन दिये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ जोकि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में विद्युत संयोजन निर्गत की समय-सीमा निम्नवत् है :-

लाइन बनाकर कनेक्शन निर्गत करने की आवश्यकता है, तो 30 दिन तथा एल0टी0 पर कनेक्शन देना हो, तो एक सप्ताह में संयोजन जारी किया जाता है।

विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 31-01-2020 तक औद्योगिक विधा में 18 नग एवं वाणिज्यिक विधा में 142 नग विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

जी हाँ। (सलंग्नक-01 एवं 02)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई का रोस्टर तय करने के मानक के सम्बन्ध में जानकारी

18-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई का रोस्टर तय करने का वर्तमान में मानक क्या है तथा उक्त रोस्टर किन-किन आधारों को ध्यान में रख कर तय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसमें स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं है तथा प्रदेश में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर विद्युत रोस्टर तय किया जाता है।

जी हाँ।

वर्तमान में दो सप्लाई रोस्टर है।

1-एम-2ए 19:00 से 08:45 बजे एवं 12:45 से 17:00 बजे तक।

2-एम-2बी 15:30 से 06:10 बजे एवं 09:10 से 12:30 बजे तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में गत एक वर्ष में कितने ट्रांसफार्मर जले व उनकी मरम्मत पर व्यय धन के सम्बन्ध में जानकारी

19-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो में विगत एक वर्ष में कुल कितने ट्रांसफार्मर जले तथा उनकी मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ सं0 153-157 पर।)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायां, जो कि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में विद्युत विभाग में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक कुल 1250 परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुये हैं एवं मरम्मत पर रु0 1.959 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं।

जी हाँ। सूची संलग्न है। (संलग्नक-01)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस रोकने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

20-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस वर्तमान में कितने प्रतिशत है ? क्या सरकार ने उक्त लाइन लॉस रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ, जो कि विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस वर्तमान में 23.77 प्रतिशत है।

जी हाँ।

विद्युत वितरण खण्ड पुवायाँ के अन्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस रोकने हेतु नये संयोजन जारी करना एवं विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु वृहद् चेकिंग अभियान उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के द्वारा चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में विद्युत बिल न जमा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

21-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायाँ के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विगत 01 वर्ष में विद्युत बिल के बकाये धनराशि की कितनी वसूली की गयी तथा कितने उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत बिल जमा न करने पर उनके

† (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ सं0 158 पर।)

खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134-पुवायां, जो कि विद्युत वितरण खण्ड, पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 01 वर्ष में विद्युत बिल 64.19 के सापेक्ष 37.56 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है एवं बिल न जमा करने वाले 78 उपभोक्ताओं के ऊपर धारा-138बी की एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है एवं 255 उपभोक्ताओं को आर0सी0 जारी की गयी है तथा बकाये पर 2205 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत संयोजन के विच्छेदन की कार्रवाई की गई।

जी हां। (संलग्नक-1, 2 एवं 3)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के मुख्य अभियन्ता (विद्युत) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 व 2019-20 में स्थानान्तरणों हेतु टी0जी0-I व II से जबरन वसूली की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

22-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर मण्डल के मुख्य अभियन्ता (विद्युत) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-20 में कितने टी0जी0-I व II स्थानान्तरण किये गये हैं ? क्या सरकार वर्षवार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थानान्तरणों हेतु टी0जी0-I व II से जबरन वसूली की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल टी0जी0-I के शून्य तथा टी0जी0-II के कुल 84 स्थानान्तरण किये गये हैं। स्थानान्तरित टी0जी0-I एवं टी0जी0-II का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	टी0जी0-I	टी0जी0-II	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4
2017-18	शून्य	0	0
2018-19	शून्य	49	स्वेच्छा पर (पारिवारिक स्थिति/स्वास्थ्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए)

† (देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं0 159-162 पर।)

1	2	3	4
2019-20	शून्य	25	स्वेच्छा पर (पारिवारिक स्थिति/स्वास्थ्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए)
		10	स्थानान्तरण नीति 2019-20 के अनुसार 10 वर्ष 1 जनपद में होने के कारण

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यदि कोई सूचना संज्ञान में आती है, तो दोषी कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर, विद्युत वितरण खण्ड तिलहर कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता में भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 08.07.2019 पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

23-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08.07.2019 जो कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर जनपद शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को 09.07.2019 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को प्रमुख सचिव, ऊर्जा को उक्त की जांच हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ मुख्यालय के पत्र-1977-अ0का0 एवं सत0 05 (ए)-19-4(4) का/2019, दिनांक 05.08.19 द्वारा जांच कारपोरेशन की सतर्कता इकाई को अभिदिष्ट की गयी है। कारपोरेशन की सतर्कता इकाई से जांच आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2019-20 में धान क्रय केंद्रों पर धान क्रय, उनके मूल्य व भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

24-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में धान की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ के

विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कुल कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं तथा उन क्रय केन्द्रों पर कुल कितना धान क्रय किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केन्द्रों पर किस मूल्य से धान की खरीद की गयी तथा क्रय किये गए धानों का सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

धान खरीद खरीफ विपणन वर्ष के अनुसार की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 हेतु धान खरीद का लक्ष्य (सूचक लक्ष्य) 50 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में खाद्य विभाग के 02 तथा पी0सी0एफ0 के 06 कुल 08 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं। उक्त क्रय केन्द्रों पर दिनांक 31-01-2020 तक कुल 6130.46 मी0 टन धान की खरीद की गयी है। क्रय केन्द्रों पर रु0 1815 प्रति कुन्तल की दर से धान की खरीद की गयी है।

क्रय किये गये धान का मूल्य (रु0 1815+ रु0 20 उतराई, छनाई एवं सफाई कुल रु0 1835 की दर से) रु0 1124.96 लाख किसानों को देय होता है जिसमें से खाद्य विभाग द्वारा देय रु0 492.32 लाख का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है। क्रय संस्था पी0सी0एफ0 द्वारा क्रय धान मात्रा के सापेक्ष रु0 632.64 लाख कृषकों को देय होता है। दिनांक 11-02-2020 तक रु0 472.05 लाख का भुगतान किया जा चुका है, अवशेष रु0 160.59 लाख का भुगतान 01 सप्ताह में कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

पूर्व में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों का भुगतान हो रहा था तत्पश्चात् पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूर्ण करने में कुछ समय लगा।

विकास खण्ड वजीरगंज के मंझारा गांव के पास नये विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

25-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज के मंझारा गाँव के पास 33/11 के0वी0ए0 स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण करने की अन्तिम समय-सीमा क्या रखी गयी है ? क्या सरकार नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना में अधिकतम दूरी की 33/11 के0वी0ए0 विद्युत लाइन स्वीकृत कराने की बाध्यता है ? यदि नहीं, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र की अधिकतम दूरी पर स्थित डुमरियाडीह से लाइन का डायग्राम स्वीकृत करने को दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज के मंझारा गाँव के पास स्थित 33/11 के0वी0 स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र के पूर्ण करने की अन्तिम समय-सीमा अनुबन्ध सं0-1138 दिनांक 10.06.2016 में माह जून, 2019 रखी गयी थी।

जी नहीं।

नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु तकनीकी पहलुओं, जगह की उपलब्धता तथा लाइन निर्माण में कम से कम अवरोध के साथ-साथ भविष्य में अनुरक्षण में सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गोण्डा से निर्गत 33 के0वी0 पोषक नवाबगंज पर वर्तमान में निम्नलिखित उपकेन्द्र संयोजित है :-

1-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खोरहंसा (2 X 5 एम0वी0ए0)

2-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र डुमरियाडीह (10 + 5 एम0वी0ए0)

33 के0वी0 नवाबगंज की लाइन डॉग कन्डक्टर पर निर्मित है। आदर्श परिस्थतियों में इस लाइन पर मात्र 17 एम0वी0ए0 भार जोड़ा जाना चाहिए था, जबकि वर्तमान में 25 एम0वी0ए0 भार पूर्व से ही संयोजित है। नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र (5 एम0वी0ए0) को जोड़े जाने पर पोषक पर 03 अदद विद्युत उपकेन्द्र व कुल 30 एम0वी0ए0 भार संयोजित हो जाता है। अतिभारित की स्थिति में विद्युत पोषक के तारों के टूटने की प्रबल सम्भावना रहती व पोषक में किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी आने पर तीनों विद्युत उपकेन्द्रों के विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित हो जाती। इसी कारण से 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र नवाबगंज में स्वतंत्र ''बे'' के माध्यम से 33 के0वी0 लाइन की दूरी 21.6 किलोमीटर का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से उचित है एवं संदर्भित उपकेन्द्रों से संयोजित उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

जनपद गोण्डा में उ0प्र0 परिवहन निगम बस अड्डे को आधुनिकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस अड्डे के आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस स्टेशन गोण्डा के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने पर 11 व 33 के0वी0 नई विद्युत लाइन सड़क की पटरियों के किनारे बनाने में धन के अपव्यय को रोकने की योजना बनाये जाने विषयक

27-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0 ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने पर सड़क की पटरियों के किनारे 11 के0वी0 और 33 के0वी0 की विद्युत लाइनों को दोबारा बनाने पर आने वाले व्यय को रोकने हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजना के अनुसार भविष्य के यातायात के दृष्टिगत सड़कों का विस्तारीकरण/चौड़ीकरण होने के कारण पूर्व में स्थापित विद्युत तंत्र के विस्थापन का कार्य सम्बन्धित विभाग (लोक निर्माण विभाग) के अनुरोध पर जमा योजना के अन्तर्गत ही किया जाता है।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर बकाया विद्युत बिल की वसूली हेतु कृत कार्रवाई विषयक

28-श्री चेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायाँ में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर विगत 01 वर्ष का कुल कितना विद्युत बिल बकाया है तथा उक्त की वसूली के लिए क्या कार्रवाई कर कितनी धनराशि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-134-पुवायां, जोकि विद्युत वितरण खण्ड, पुवायाँ के अन्तर्गत आता है, में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर विगत एक वर्ष का कुल रु0 64.08 लाख बकाया है तथा उसमें से रु0 3.68 लाख के धनराशि की वसूली की गयी है। शेष धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग को विद्युत बीजक भेज दिये गये हैं। साथ ही बकाये पर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई एवं विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर विद्युत बीजक के वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज व मेहनगर अन्तर्गत ग्राम सभाओं में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना व अन्य योजनाओं का विवरण दिये जाने सम्बन्धी

29–श्री आजाद अरिमर्दन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज एवं मेहनगर के अन्तर्गत कुल कितनी ग्राम सभाओं में रजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, पं0 दीनदयाल योजना तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कुल कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं तथा कुल कितने ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण शेष है ? क्या सरकार उक्त का ग्राम सभावार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज एवं मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में योजनावार निर्गत संयोजनों का विवरण निम्नवत् है :-

विधान सभा क्षेत्र लालगंज

क्रम सं0	योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	निर्गत संयोजनों की संख्या
1	पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व नाम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना)	298	10545 नग
2	सौभाग्य योजना	579	24160 नग
	योग विधान सभा क्षेत्र लालगंज	877	34705

विधान सभा क्षेत्र लालगंज, आजमगढ़ के अन्तर्गत 118 ग्राम सभाओं के 208 मजरों में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य अवशेष है, जो कि सौभाग्य योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर

क्रम सं0	योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	निर्गत संयोजनों की संख्या
1	पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व नाम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना)	277	11969 नग
2	सौभाग्य योजना	227	14275 नग
	योग विधान सभा क्षेत्र मेहनगर	504	26244

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, आजमगढ़ के अन्तर्गत 50 ग्राम सभाओं के 95 मजरों में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य अवशेष है, जो कि सौभाग्य योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र लालगंज एवं मेहनगर के अन्तर्गत ग्रामों के 303 नग आंशिक अविद्युतीकृत मजरों को विद्युतीकृत किया जाना सौभाग्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है (संलग्नक-01)†। जिसको 31-03-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

शोभा सिंह का पुरवा, प्रयागराज रोड, जनपद कर्वी-चित्रकूट में विद्युत पोल व बंच केबल लगवाये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोभा सिंह का पुरवा, फारेस्ट वैरियर के पास, प्रयागराज रोड, जनपद कर्वी-चित्रकूट में प्रयागराज मुख्य मार्ग के दूसरी तरफ से बांस-बल्लियों के सहारे विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र मे विद्युत पोल से घरों की दूरी अत्यधिक होने के कारण आये दिन सर्विस केबल टूटकर मुख्य मार्ग पर गिरे रहने से दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बांस-बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल एवं बंच केबल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

बांस-बल्ली के सहारे दिये गये संयोजनों पर दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। इसके समाधान हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिला विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अन्तर्गत उक्त कार्य कराये जा सकते हैं। तद्नुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे अत्यन्त दुख के साथ शोक की सूचना देनी है।

---

† (देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ सं0 163-170 पर।)

उत्तर प्रदेश, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम अवतार सिंह भदौरिया के निधन की सूचना मिली है, वह लगभग 84 वर्ष के थे। भदौरिया जी 1974 में कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य चुने गये थे। हम सब उनके निधन पर शोकाकुल हैं।

इसी प्रकार इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सुभाष का निधन हो गया है। वह घोषी, जिला-मऊ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से हम लोगों ने अपना एक भूतपूर्व सहयोगी खोया है। हम सब स्वाभाविक ही शोकग्रस्त हैं।

इसी प्रकार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री शेर बहादुर जी का 19 जनवरी, 2020 को निधन हो गया, वह 79 वर्ष के थे। जिला अम्बेडकरनगर में उनका जन्म हुआ था। वह कांग्रेस के टिकट पर और फिर बाद में वर्ष, 1985 में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन क्षेत्र जलालपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी, वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी और वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जलालपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

ऐसे अपने 3 भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना पर यह आदरणीय सदन स्वाभाविक रूप से शोकग्रस्त है। उनके प्रति आप सबकी भावनाओं को मैं उनके परिजनों तक पहुंचाऊँगा और अपने इस आदरणीय सदन का दुःख, शोक उनके परिजनों को, शोक संतप्त दुःखी परिवार को मैं आपका मन्तव्य पहुंचाऊँगा। आइये, 2 मिनट के लिए उनकी स्मृति में मौन खड़े हों।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

[12:24 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-02-2020 को कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिसमें 23 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के गंगा बैराज पुल पर जन रक्षा एवं पर्यावरण रक्षा हेतु जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में पैडलेगंज से देवरिया बाई पास तिराहा रूस्तमपुर चौराहा होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक फ्लाईओवर बनवाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा मुड़रभा से रामअवध चौहान के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर एवं मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत हिम्मतनगर, सुजानगंज

के सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बिरोहिया पिकअप वियर के पुनर्निमाण एवं भरपुरा रजवहा के पुनरोद्धार की परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में एवं नदियों में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के किसानों की मूंगफली खरीद का दाम अभी तक भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत दांदरपुर से अहेरीपुर-बकेवर रोड सब्जी मण्डी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत चोला चौकी उच्चीकृत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत हुलासनगला रेलवे फाटक पर पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा रजबहा की सफाई कराते हुये ग्राम सभा सिंघई से डुमरी तक दोनों किनारों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत बगहीडाड़ पुल के पास झौवाड़ी मोड़ से अशरफपुर होते हुये खालिसपुर बाजार तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से केसवारा डामर रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश में वन टांगिया मजदूरों को मूलभूत सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बम्सा के ग्राम गढ़ा बाघराम में माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजवाहा की लाइनिंग एवं पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के नगर देवबन्द स्थित रेलवे समपार 69 को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत

उर्फ गुड्डू भइया की प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पूर्व शासनादेश लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर जे स्थित पार्कों एवं जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनायें स्वीकार हुयीं।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

श्री राम प्रताप सिंह,श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री संजय सिंह गंगवार, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री प्रमोद उटवाल,श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री पूरन प्रकाश, डा0 श्याम बिहारी लाल, श्री धनन्जय कन्नौजिया,श्री राजीव तरारा, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस, श्री सुभाष राय, श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्री असलम अली, श्री बम्बा लाल, श्री दलवीर सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री आजाद अरिमर्दन, मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री राम चन्द्र यादव, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री सुभाष पासी, श्री कैलाश नाथ सोनकर।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद कानपुर नगर के गंगा बैराज पुल पर जन रक्षा एवं पर्यावरण रक्षा हेतु जाली लगवाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कानपुर नगर के गंगा बैराज पर बने पुल पर शाम को बड़ी संख्या में लोग घूमने व ताजी हवा लेने के उद्देश्य से आते हैं। वर्तमान में बैराज का गंगा पुल एक पिकनिक स्पाट बन गया है। कई बार अवसाद ग्रस्त लोग वहां से गंगा में कूद कर आत्महत्या कर चुके हैं। वहां आने वाले लोग खाने-पीने के रैपर, कूड़ा व पूजा सामग्री इत्यादि भी वहीं से गंगा नदी में फेंक देते हैं, जो प्रदूषण का भी कारक है। वर्तमान में कानपुर नगर का जनमानस उक्त पुल पर जाली लगाये जाने की मांग कर रहा है।

अतः इस जनहित एवं अविलम्बनीय, लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल गंगा बैराज पुल पर जनहानि एवं पर्यावरण रक्षा हेतु सुरक्षा जाली लगाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर महानगर में पैडलेगंज से देवरिया बाईपास तिराहा रूस्तमपुर चौराहा होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक फ्लाईओवर बनवाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा धन स्वीकृत कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, उपरि उल्लिखित नौपड़ से पैडलेगंज की सड़क लखनऊ तथा वाराणसी मार्ग से आने-जाने वालों के लिए अकेली सड़क है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में नागरिक तथा पचासों हजार वाहन इस सड़क से आते-जाते हैं। यातायात बहुत होने के कारण ट्रान्सपोर्टनगर चौराहे, रुस्तमपुर चौराहे, देवरिया बाईपास तथा दाउदपुर-गोपलापुर चौराहे पर हमेशा भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। नागरिकों का बहुमूल्य समय खराब होने, पेट्रोल/डीजल की बर्बादी के अलावा यहां दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं।

हमारे निर्देश पर सेतु निगम इकाई, गोरखपुर ने 2.382 किमी0 लम्बे तथा दो लेन वाले फ्लाई ओवर का कुल लागत 154.36 करोड से एक आगणन तैयार करके मुख्य परियोजना प्रबन्धक, गोरखपुर के पत्रांक-2670/रुस्तमपुर फ्लाईओवर/19-20, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को महाप्रबन्धक (आगणन), उ0प्र0 सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ को प्रेषित किया था।

मुख्यालय में परीक्षण उपरान्त लागत घट कर रु0 138.73 करोड़ कर दी गयी और प्रारम्भिक आगणन दिनांक 4 नवम्बर, 2019 को ही महाप्रबन्धक (आगणन) के द्वारा पत्र संख्या-1932/म0प्र0 (आ0)/514 आर0ओ0बी0/19 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (सेतु) को प्रेषित किया जा चुका है।

पिछले 3 माह से पत्रावली अभी तक पी0एफ0ए0डी0 की वित्तीय स्वीकृति तथा लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु न भेजे जाने के कारण लाखों नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 को सदन में उठाने तथा सरकार को जवाब हेतु निर्देशित करें।]

जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा मुड़रभा से रामअवध चौहान के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 संगीता बलवन्त-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-375, सदर गाजीपुर की ग्राम सभा मुड़रभा, ब्लाक-देवकली, जिला गाजीपुर अति पिछड़ी ग्राम सभा है। जिसमें देवकली पम्प कैनाल पिच रोड मुड़रभा से रामअवध चौहान के घर तक की सड़क आज तक कच्ची है एवं नहीं बनी है। जिससे ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों को बरसात के समय उस पर चलना मुश्किल हो जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है कि ग्राम सभा मुड़रभा, ब्लाक देवकली, जिला गाजीपुर की उपरोक्त सड़क का नव निर्माण कराना जनहित में अति आवश्यक है।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर एवं मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत हिम्मतनगर-सुजानगंज के सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र और मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के मध्य हिम्मतनग-सुजानगंज तक के केटवली कारोबीर रोड पर नदी के दो छोर पर 8 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है जिससे बदलापुर विधान सभा के 20 गांव और प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद के सैकड़ों गांव के लोगों का प्रतिदिन आवागमन रहता है, इस रास्ते के मध्य सई नदी स्थित है, जिस पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को नाव से नदी पार करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन खतरे में बना रहता है, अतः तीनों जिलों को जोड़ने वाले मार्ग पर पुल बनना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बिरोहिया पिकअप वियर के पुनर्निर्माण एवं भरपुरा रजवहा के पुनरोद्धार की परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी स्थित बिरोहिया पिकअप वियर का निर्माण वर्ष 1958 में 38 ग्रामों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। वर्ष 2020 में इस वियर के टूट कर बह जाने के कारण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराया जाना जनहित/किसानों के हित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित/किसान हित में उक्त परियोजना के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अर्न्तगत कतिपय ग्रामों में एवं नदियों में हो रहे अवैध खनन से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव राजूपुर कुंडरी, कर्रखेड़ा, मलका, रायपुर तथा नदी खन्नौत व नदी कटना व नदी अमेड़ी व नदी रपटुआ के किनारे-किनारे घाटों के पास-पड़ोस सार्वजनिक स्थलों पर तथा कैलाश रजवाहा पर, गाँव घुंघरी से गांव माधोपुर तक 03 कि0मी0 भारी मात्रा में रेत/मिट्टी का खनन हुआ है। इसी प्रकार तहसील अमरिया के राजस्व गांव खली नवादा, तहसील पीलीभीत के राजस्व गांव मीरापुर ऐ0 आदि-आदि में नदियों व नहरों से रेत/मिटटी का खनन अब भी अनवरत् हो रहा है। यह सम्पूर्ण अवैध खनन 'उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963' की व्यवस्था के विपरीत अपराध कारित किया गया है, जो कि 'खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 21, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान, निवारण अधिनियम की धारा-2 व 3 तथा भा0दं0सं0 की धारा-379 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध कारित हुआ है। दिसम्बर, 2017 से अब तक भिन्न-भिन्न अवधि से भिन्न-भिन्न सार्वजनिक स्थलों पर रेत/मिटटी का खनन हुआ है। इस प्रकार विचारणीय विषय है कि सम्बन्धित लेखपाल, खनन कर्मी, ग्राम पंचायत प्रधान तथा व्यवहारिक रूप से खनन करने में लिप्त जनों को संरक्षण प्रदान करते हुए कतिपय अभियोग सं0-0053/2020 थाना बीसलपुर, अभियोग संख्या-0054/2020 थाना बीसलपुर तथा अभियोज सं0-0056/2020 थाना पीलीभीत (सदर) पंजीकृत हुए हैं तथा अनेकों प्रकाश में आये खनन सम्बन्धी प्रकरण पंजीकृत नहीं हुए हैं। यह संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रत्यक्ष रूप से जिला प्रशासन पीलीभीत का है तथा विलम्बतः अथवा पूर्णतया अपेक्षित कार्यवाही न होना संदिग्धता का द्योतक है। इस अवैध खनन के अन्तर्गत अत्यन्त प्रभावशाली अधिकारी, राजस्व व खनन कर्मी, ग्राम प्रधान एवं खनन माफिया लिप्त हैं। इनके विरुद्ध शेष अभियोग भी पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत एवं अपंजीकृत अभियोग में उपयुक्त धाराएं भी आरोपित होनी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित खनन के कारण अनेकों गांव नदियों की बाढ़ से प्रभावित होकर कटे हैं तथा कटने की सम्भावनाएं हैं जिससे कि गांववासी के सामने पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर कार्यवाही करने तथा तटबन्ध बनवाये जाने की कृपा की जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी के किसानों की मूंगफली खरीद के दाम का अभी तक भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद-झांसी में वर्ष 2019-20 में पी0सी0एफ0 द्वारा क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों की मूँगफली की खरीद की गयी है। उक्त किसानों को उनकी उपज का मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं कराया गया। जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

जनहित में उक्त किसानों को उनकी खरीदी गयी उपज का भुगतान कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस जनहित के मामले को सदन में लाकर मैं सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत दांदरपुर से अहेरीपुर-बकेवर रोड सब्जी मण्डी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना जनपद इटावा अन्तर्गत दाँदरपुर से होते हुए अहेरीपुर-बकेवर रोड सब्जी मण्डी तक सम्पर्क मार्ग लगभग 3 किमी0 कच्चा होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कच्चा सम्पर्क मार्ग होने के कारण मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने से छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में मार्ग एवं गड्ढों में जल भराव होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत चोला चौकी को उच्चीकृत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत पिछले वर्ष चोला-चौकी को उच्चीकृत करके नवीन थाना स्वीकृत किया गया था,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन अभी तक भी यहां चौकी के रूप में ही कार्य हो रहा है। चौकी उच्चीकृत होने के बावजूद भी थाना अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जनहित में उक्त थाने का शीघ्र संचालन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कारवाई की मांग करती हूँ।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान स्थापित कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली उ0प्र0 का एक प्रमुख नगर एवं महानगर है। यहाँ की आबादी लगभग 45 लाख से अधिक है। यहाँ पर कई प्राइवेट मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग होम हैं। यह मेकिडल हब बन चुका है। यहाँ आस-पास बदायूँ, शाहजहाँपुर एवं हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) में सरकारी मेडिकल कालेज है। लेकिन फिर भी जब तबियत ज्यादा खराब होती है या काम्पलीकेटेड केसेज में मरीजों को 250 किमी0 दूर लखनऊ या दिल्ली एस0जी0पी0जी0आई0 या एम्स ले जाना पड़ता है। अक्सर रास्ते में मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। बार-बार लखनऊ या दिल्ली आना-जाना और मरीज तथा तीमारदार को ठहरने आदि की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है तथा हर एक के बस की भी नहीं होती है। इस समय उ0प्र0 में लखनऊ, गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स स्तर के अस्पताल हैं। जनहित में पश्चिमी उ0प्र0 के प्रमुख शहर बरेली जो लगभग बीच में है, में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए पश्चिमी उ0प्र0 के प्रमुख शहर बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान स्थापित करने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत हुलासनगला रेलवे फाटक पर पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत हुलासनगला रेलवे फाटक पर प्रतिदिन भयंकर जाम लगने के कारण जाम में एम्बुलेंस के अन्दर मरीज समय पर चिकित्सालय न पहुँचने से इलाज के आभाव में दम तोड़ दे रहे हैं तथा जाम में वाहनों को लेकर दुर्घटना तथा वाहन ड्राइवरों में झगड़ा होता रहता है। ऐसी स्थिति में जब तक रेलवे पुल एवं हाई-वे का निर्माण न हो तब तक हुलासनगला रेलवे फाटक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के बगल में पुसिल चौकी का निर्माण होना अति आवश्यक है ताकि आए दिन जाम में फंसे लोगों में किसी प्रकार का टकराव न हो।

जिसकी शिकायत जिले स्तर पर क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से की गई, परन्तु उनके स्तर से कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा रजबहा की सफाई कराते हुए ग्राम सिंघई से डुमरी तक दोनों किनारों को पक्का कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 से निकलने वाली इन्दारा राजवाहा ग्राम सभा सुल्तानपुर से लेकर कोपवा बहादुरपुर तक वाया सिंघई, रामनगर, सँवरा, खलीलपुर, उचेड़ा, डुमरी अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण नहर में पानी छोड़े जाने पर प्रतिवर्ष नहर के दोनों किनारे जगह-जगह से ढह जाने के कारण इससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाया करती है जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तथा गरीब किसान लाचार अवस्था में केवल अपनी फसलों की बर्बादी पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाली इन्दारा राजवाहा को ग्राम सभा सिंघई से डुमरी तक पक्का कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत बगहीडाड़ पुल के पास झौवाड़ी मोड़ से अशरफपुर होते हुए खालिसपुर बाजार तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज, तहसील सगड़ी, आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर बगहीडाड़ पुल के पास झौवाड़ी मोढ़ से अशरफपुर होते हुए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खालिसपुर बाजार तक पिच रोड का मरम्मत निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जिसकी दूरी लगभग 3.00 किमी0 है।

पिचरोड के जर्जर हो जाने से वहां के आम जनमानस को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त रोड के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से केसवारा डामर रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से केसवारा डामर रोड जो कि पूर्व में स्वीकृत है, टेण्डर हो गया है और एग्रीमेंट भी हो गया है, कुछ काम भी हो गया है उसके बाद अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को द्वितीय किस्त त्वरित विकास योजना से नहीं दी गयी है, जिसके कारण सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश में वन टांगिया मजदूरों को मूलभूत सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में रह रहे वन टांगिया मजदूर जिनकी संख्या लाखों-लाख की है सरकार ने इनके उत्थान, इनको सामान्य नागरिकों की सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है और इस दिशा में काफी प्रभावशाली कदम भी उठाए हैं लेकिन आज भी बहुत से वन टांगिया में तमाम सुविधाएं नहीं हैं। जनपद महाराजगंज के तमाम वन टांगिया अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं, तमाम लोगों के मकान नहीं बने हैं, तमाम घरों में बिजली नहीं है, पेयजल की व्यवस्था का अभाव है क्या सरकार अविलम्ब ऐसे वन टांगिया मजदूर जो सैकड़ों सालों से वनों में रहकर अभाव का जीवन जी रहे थे, उनके उत्थान के लिए तत्काल निर्देश जारी करेगी कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराएं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 10 हजार है, वहाँ पर पुलिस थाना मालीपुर, पशु चिकित्सालय, बैंक, गन्ना सहकारी समिति, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप आदि भी है। कई महाविद्यालय एवं इण्टर कालेज भी स्थित है, परन्तु नगर पंचायत नहीं होने के कारण आज जनता को अनेक नागरिक सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए ग्राम पंचायत मालीपुर को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बम्सा के ग्राम गढ़ा बाघराम में माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, ग्राम गढ़ा बाघराम, विकास खण्ड-बम्सा, जनपद-जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड-36 से एक माइनर तेजी बाजार सड़क को क्रास करते हुए ग्राम गढ़ा बाघराम के आगे तक ग्राम नरी गांव आबादी से आगे तक गया है, पिच मार्ग पर बने पुलिया से माइनर क्रास किया है, मगर इस माइनर से टेल तक पानी नहीं जा पा रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि माइनर का पानी टेल तक न पहुँचने के कारण सड़क के पास पानी का बहाव होने लगता है, जिससे किसानों की हर फसल में पानी लग जाने के कारण बर्बाद हो जाती है, ग्रामीण जनता इस बारे में विभाग के सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारियों से लिखित व मौखिक शिकायत की गयी, मगर अब तक जनहित में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे ग्रामीण जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। जनता आन्दोलित है, किसी दिन स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करते हुए यथाशीघ्र उक्त माइनर की टेल तक खुदाई किये जाने की माँग करता हूँ, यदि सम्भव न हो तो सड़क के किनारे लगभग 700 मीटर नाले की खुदाई करा दी जाए।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजवाहा की लाइनिंग एवं पिचिंग कराये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे जनपद मीरजापुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी पिछड़ा एवं पहाड़ी क्षेत्र है। 8-10 किमी0 नहर काफी दयनीय स्थिति में है और जर्जर होने के कारण कई जगह आये दिन टूटना और कुछ स्थानों पर होल बनाकर पानी का रिसाव हो कर नदी व जंगल में बह जाता है। जिससे सिंचाई हेतु आगे पानी जाने में काफी असुविधा होती है। जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। लहंगपुर राजवहा से लगभग 20-25 गांवों की सिंचाई होती है। किन्तु राजवहा की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उस क्षेत्र के सिंचाई के लिए एक मात्र यही साधन है। इस राजवहा के सुदृढ़ीकरण हो जाने से क्षेत्र के किसानों के फसलों की सिंचाई होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में लहंगपुर राजवहा की लाइनिंग/पिंचिग कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के नगर देवबन्द स्थित रेलवे समपार 69 को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, डेडीकेट फ्रंट कोरीडोर योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद सहारनपुर के नगर देवबन्द स्थित रेलवे समपार 69 को बन्द करके उपरिगामी सेतु बनाना है, जो रेलवे समपार के सम्पर्क मार्ग रणखण्डी रोड से अम्बेहटा मार्ग तक प्रस्तावित था, परन्तु उसे परिवर्तित कर देवबन्द स्थित स्टेशन रोड से शुगर मिल तक बनाने का निर्णय किया गया है, जो बिल्कुल अनुचित एवं औचित्यहीन है। इससे देवबन्द के लोगों में भारी आक्रोश है। स्टेशन रोड देवबन्द कस्बे का मुख्य मार्ग है, जिस पर तीन इण्टर कालेज, चार पब्लिक स्कूल, सरकारी अस्पताल, ब्लड बैंक, एक मात्र औद्योगिक संस्थान, खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम, मुख्य सार्वजनिक सात बैंक, किसानों की सहकारी गन्ना विकास समिति एवं लगभग 11 आवासीय कालोनियां स्थित हैं। उपरिगामी सेतु बनने से सड़क बहुत संकरी हो जायेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा होगी। अतः उपरोक्त सेतु का निर्माण रणखण्डी रोड से सीधा अम्बेहटा रोड पर किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण द्वारा चार वर्षों से वर्षा जल संरक्षण हेतु तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत सन् 2017-18 में तालाबों में 50 प्रतिशत अनुदान एवं तालाबों से सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सेट जो कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था थी। विगत दो वर्षों से स्प्रिंकलर सेट के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए बजट आंवटित हुआ है उसमें 50 प्रतिशत ही अनुदान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत स्पिंकलर सेट में 90 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पूर्व शासनादेश लागू किये जाने के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि प्रदेश के सहायता प्रापत जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में पूर्व में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्राविधान था, अब वर्तमान समय में दिनांक 15 जनवरी, 2019 को जारी शासनादेश के अन्तर्गत अब उक्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक व 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक प्रधानाध्यापक का पद मान्य किया गया है तथा लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी का पद समाप्त कर दिया गया है। जो पूर्णतया अव्यवहारिक एवं नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में जब विद्यालय अनुदान सूची पर लिया जाता है उस समय के भुगतानित समस्त पदों को पद मान लिया जाता है, उसके बाद छात्र संख्या के आधार पर जो भी पद बनते हैं उनके अनुसार पद सृजन की कार्यवाही होती है। किन्तु वर्तमान में जारी शासनादेश की वजह से जो पद समाप्ति की प्रक्रिया हुई है, वह नियमों के प्रतिकूल है और उक्त विद्यालयों में तीन कक्षाएं एवं प्रत्येक कक्षा में 8 विषय पढ़ाये जाते हैं, ऐसी स्थिति में तीन अध्यापकों में किसी एक सहायक अध्यापक के द्वारा आकस्मिक अवकाश लिये जाने या बीमार होने की दशा में अवकाश ले लिया जाता है, तो पठन-पाठन का कार्यक्रम तीनों कक्षाओं में कराना असम्भव हो जायेगा। ऐसी दशा में विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होगी, साथ ही साथ विद्यालय के वेतन बिल पास कराने की प्रक्रिया व विद्यालय के समस्त कार्यालयी अभिलेखों के कार्य बिना लिपिक के कराना सम्भव नहीं है तथा साथ ही यह भी है कि 10-15 कमरों की सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई, घण्टी बजाना आदि कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न रहने से विद्यालय के समस्त ऐसे बहुत से कार्य कराना सम्भव नहीं है। इससे उक्त विद्यालयों की पठन-पाठन, सफाई व्यवस्था व वेतन बिल व अभिलेखीय व्यवस्था पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से उक्त विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक का पद व न्यूनतम सहायक अध्यापक एक लिपिक व एक चपरासी होना नितान्त आवश्यक है, साथ ही साथ मृतक आश्रित की नियुक्ति जो लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर पूर्व में होता रहा है व

वर्तमान समय मे भी होना चाहिए। इसलिए उक्त विद्यालयों में पूर्व में लागू शासनादेश को लागू रखा जाना छात्र/छात्राओं के हित में होगा। पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने से छात्रों/प्रधानाचार्यों एवं सहायक अध्यापकों में भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, तात्कालिक, सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही को रोक कर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पुरानी व्यवस्था (पूर्व में जारी शासनादेश) लागू किये जाने हेतु चर्चा कराये जाने की मांग करें।]

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-जे स्थित पार्कों एवं जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-जे में सड़कें अत्यन्त जर्जर हो गयी हैं। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। कालोनी स्थित पार्क भी अविकसित हैं, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपेक्षा से जानकीपुरम सेक्टर-जे के विकास का कार्य बाधित है। इन सड़कों का जीर्णोद्धार व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व विकसित कराना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद में पिछले 65 वर्षों से क्रियाशील जिला अस्पताल का उच्चीकरण करते हुये स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, और 2019 में मेडिकल कॉलेज की 100 सीटों पर शिक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। पूरे जिले की जनसंख्या एवं आस-पास के क्षेत्रों से इलाज हेतु आने वाले मरीजों को दृष्टिगत रखते हुये नये जिला अस्पताल की स्थापना कराया जाना अत्यन्त अनिवार्य एवं आवश्यक है।

इस क्रम में उ0प्र0 शासन के द्वारा जिला अस्पताल की स्थापना हेतु मांगे गये प्रस्ताव के क्रम में जलेसर रोड पर स्थित नवीन मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बगल में 10 एकड़ भूमि का प्रस्ताव जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से यथा प्रस्तावित भूमि पर जिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[12:25 बजे] श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री काली प्रसाद-

(1) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड भागलपुर के राजीव नगर चौराहे से पड़रीगंजराज पिच मार्ग तक पिच सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड लार के धमौली में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विभूति प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड लार के भेवली गांव में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(4) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड लार के पड़रीगंजराज में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(5) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड लार के खरदहां में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड सलेमपुर के ठेंगवल तिवारी में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गया यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(इसी मध्य 12 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुये)

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद जालौन की विधान सभा कालपी क्षेत्र के करमचन्द्रपुर में 04 कि0मी0 पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शत्रुघन सिंह राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) जनपद जालौन की विधान सभा कालपी क्षेत्र के ग्राम नयापुरवा (मंगरौल) में पक्की सड़क (डामरीकरण) कराने के सम्बन्ध में श्री कालका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री लाल बहादुर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवां के ग्राम पंचायत धवाड़ा में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कौशाम्बी के ग्राम पंचायत बिंदाव में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवाँ के ग्राम पंचायत सरसवाँ में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवाँ के ग्राम पंचायत महेवा घाट में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री गौरीशंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

श्री गौरीशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद जालौन में सिंचाई हेतु निजी ट्यूबवेल कनेक्शन न मिल पाने के सम्बन्ध में श्री कपिल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद जालौन के एट नगर की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरचरन तोमर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद जालौन के मुख्यालय उरई नगर में घनी आबादी के बीच से 11,000 वोल्ट एवं 33,000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन को हटवाने के सम्बन्ध में श्री श्याम कुमार बाथम व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(4) जनपद जालौन के एट-कोंच मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221, उरई के अन्तर्गत उरई नगर में बालिका राजकीय इण्टर कालेज के छात्रावास को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री प्रीती गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221, उरई के विकास खण्ड-डकोर के अन्तर्गत नगर पंचायत कोटरा में बेतवा नदी पर वर्षों से अधूरे पड़े शेष 10 प्रतिशत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष व्यास व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) जनपद जालौन में उरई से झांसी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन रिनिया फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में श्री अजय निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) जनपद जालौन के जालौन नगर में स्थित फुन्छीलाल राजकीय महाविद्यालय में खाली पड़े प्रोफेसर एवं स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अभय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद कुशीनगर के नगर पालिका परिषद् कुशीनगर के श्री राम जानकी मन्दिर वार्ड 13 श्री राम जानकी नगर में वृद्धा आश्रम (पुरुष, महिला) स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन शरण दास व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में ग्रामीण सड़कों का पिच निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्ड हाटा में विवाह भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशिर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(4) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्राम सभा सखवनियां विकास खण्ड पडरौना में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 16 बेड का बनकर तैयार है किन्तु अभी तक संचालित नहीं होने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्ड हाटा के छठ घाटों के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं[†]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में पूर्व से स्वीकृत उप मण्डी परिषद् के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद रायबरेली के लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के सहायक अभियन्ता से अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में श्री रत्नाकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के वि0ख0 क्षेत्र रोहनियां में स्थित बकुलाही नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गो के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) जनपद रायबरेली के नगर पालिका परिषद्, रायबरेली में मेसर्स ऊषा पाण्डेय कान्ट्रेक्टर के द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ऊषा पाण्डेय पत्नी माताफेर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

(7) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र सदर के शहर में नगर पालिका क्षेत्र के मध्य घनी आबादी में कूड़ा निस्तारण परियोजना से बढ़ रहे संक्रामक रोगों को देखते हुए जनहित में अन्यत्र हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री महादेव शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा 2016-17 में सिंचाई हेतु 20 राजकीय नलकूप की घोषणा का क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के सी0बी0एन0 मार्ग से थाना मोड तरबगंज से अमदही बन्धे तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत रगड़गंज/बेलसर बाजार ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री अजय जयसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के महराजगंज बाजार से बालेश्वरगंज मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के नवाबगंज-मनकापुर मार्ग से मफिया होते हुए रमना मोड़ तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के रामापुर/तरबगंज बाजार ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के ग्राम पंचायत परसिया के तरबगंज/नवाबगंज मार्ग से भोपतपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत छपिया से तिरुखा बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत मकोईया से महराजगंज ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिंटू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माड़ा से मइवई तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र नाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत भोपतपुर से घनश्यामपुर के ग्रन्ट होते हुए मनसुखपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री दिलीप कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत महेशपुरा रोड से ग्राम-सलैया खुर्द मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोंगन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद जालौन के तहसील माधवगढ़ के ग्राम-महोई के पास पहूंज नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री बम्बालाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बेलसी मांखी चौराहे से परेंदा तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र नाथ मिश्र एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत सफीपुर से रसूलाबाद तक का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के राजस्व ग्राम अमेठन गढ़ी से बिरसिंगपुर मार्ग तक लगभग 2.4 कि0मी0 सड़क का नव-निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत परियर मियाँगंज मार्ग पेट्रोल पंप के निकट रसूलाबाद होते हुए मुंशीगंज तिराहे तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में देवेन्द्र बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत परियर चकलवंशी मार्ग से मिर्जापुर होते हुए गंदा सफीपुर तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[12:41 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 14-02-2020 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम चार सूचनाओं को ग्राह्यता के हेतु सुना जायेगा और शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पहली सूचना, प्रदेश सरकार के सभी मुद्दों के विरोध में हो रहे समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा दिनांक 04 एवं 05 फरवरी, 2020 को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' जी एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। मा0 ललई जी प्रारम्भ करें।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मान्यवर, पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, सूचना में श्री ललई जी का नाम सबसे पहले है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानी दी, गोली खायी, फांसी पर चढ़े, जेल गये, तब देश को आजाद कराया। देश में एक संविधान सभा बनी और बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ। उसमें लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए अहिंसात्मक तरीके से, धरना-प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, चाहे कोई भी दल हो, जो भी दल विपक्ष में रहता है, अगर उसकी बात सरकार नहीं मानती है तो धरना-प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन जो गांधी जी का अतिंम अस्त्र था। सत्याग्रह जो गांधी जी ने प्रारम्भ किया था, इस देश में पहला सत्याग्रही विनोवा भावे जी हुये थे।

(इसी मध्य 12 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 19 तारीख को पूरे प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हमारी बहिन-बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद जला देना, डकैती, लूट और कानून-व्यवस्था के सवाल को ले करके, गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान, धान और गेहूं के खरीद में गड़बड़ी और हिन्दुस्तान में जो इस समय काला कानून बना सी0ए0ए0, एन0आर0सी0 और एन0पी0आर0 के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था। दुर्भाग्य है, आपको याद होगा जो अंग्रेज नहीं कर पाये वो आजाद हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दो दिन पहले धारा-144 लागू कर दिया गया और डी0जी0पी0 महोदय का बयान आता है कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जायेगा। यह आजाद हिन्दुस्तान है ? प्रदर्शन हुये, हमारे कार्यकर्ताओं पर घनघोर लाठीचार्ज हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, इतना कभी अत्याचार किसी सरकार में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे विरोध में थी, यह भी धरना-प्रदर्शन करते थे, कभी हमारी सरकार ने लाठीचार्ज नहीं किया। हमने मनाया, समझाया, इनकी बात को सुना और आश्वासन भी दिया कि हम सक्षम होंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो आपसे हाथ-जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि थोड़े दिन इंतजार करें। लेकिन यह सरकार, इतना आततायी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी हो गयी और इसी के खिलाफ 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, आप विद्वान हैं, सब पढ़े हैं, संविधान सभा में जो बहस हो रही थी उसको भी पढ़े हैं, संविधान को भी पढ़े हैं, राजनीति के इतिहास को भी पढ़े हैं, समाजशास्त्र और इतिहास के भी आप ज्ञाता हैं। आज तक कभी इतिहास के भी आप ज्ञाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना चेतावनी के सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी जाये। इस उत्तर प्रदेश में 25 लोगों की जान चली गयी, अंग्रेजों के जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था और दोष लगा कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़-फोड़ किया, आगजनी की। उस समय सत्र नहीं था या सत्र था तो सम्भवतः इस बात को संसदीय कार्य मंत्री जी हमने कहा था, हमारा जो प्रदर्शन था हर जिले में पुलिस ने चारों तरफ से घेराव किया हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से था और पुलिस के कस्टडी में कहीं-कहीं लोगों ने जाकर ज्ञापन दिया और घर चले गये। मैं लखनऊ की बात करता हूं पुलिस की कस्टडी में समाजवादी पार्टी के नगर के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया और घर चले गये। परिवर्तन चौक में एक घटना शाम को 5 व 6 बजे के बीच में हुई। कुछ लोग गोमतीपार से आते हैं और इसके पहले एक बात बता दूँ कि एक जर्जर बस सबेरे से वहां खड़ी की हुई थी। गोमती पार से कुछ लोग मुंह बांधे हुए आते हैं। वहां पर जो गाड़ियां थीं, मोटर साइकिल थी उसमें आग लगाते हैं, बस में आग लगाते हैं और पुलिस कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने आग लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, जब उस समय वहां प्रदर्शनकारी थे ही नहीं तो आग किसने लगाई ? यह जांच का विषय है। आज समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है और मैंने भी मांग की थी कि पुलिस एकतरफा हो गई है। यहां तक कि जो जांच एजेन्सी सबसे विश्वसनीय थी हिन्दुस्तान में, सी0बी0आई0, उस पर से भी लोगों का विश्वास डिग गया है। इसलिये हमने मांग की थी और आज भी मांग करते हैं आपसे कि 19 और 20 जनवरी की जिन घटनाओं में किसने तोड़-फोड़ और आगजनी की घटना की, इसकी न्यायिक जांच कराई जाय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से। किसने यह घटना की है इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। जामिया में हुआ, जे0एन0यू0 में हुआ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुआ कि कुछ लोग एक खास पार्टी की जींस और हजारों रुपया का जूता पहिन करके पुलिस का कवच पहिन करके, लाठी चला रहे थे। यही हुआ है यहां भी। प्रदर्शन के बीच में 19 और 20 तारीख को एक खास पार्टी के लोग प्रदर्शन में घुस करके तोड़-फोड़ और आगजनी किए। (शेम शेम की आवाज) पुलिस इनकी है। आज अखबार में आया कि मैजिस्टीरियल जांच कराई गई है यह लोग दोषी पाये गये हैं उनसे वसूला जायेगा। अरे वाह रे पार्टी, रामराज्य की बात करते हैं और देश को दमन के चक्र में पीस रहे हैं। आई0पी0सी0 की कौन सी ऐसी धारा है माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें वसूली की बात हो।

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, देश की राजनीति बचाओ, आजादी बचाओ इसके ऐवज में घंटाघर लखनऊ, गोमतीनगर, कानपुर, इलाहाबाद, देवबंद, सहारनपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़, बिजनौर सभी अधिकांश जनपदों में हमारी मां बहिनें शांतिपूर्वक संविधान को ले करके, तिरंगा झंडा ले करके लोकतंत्र बचाने की

गुहार कर रही हैं, जनतंत्र बचाने की गुहार कर रही हैं, राजनीति बचाने की गुहार कर रही हैं। अध्यक्ष जी, देश की आजादी बचाने की गुहार कर रही हैं, ऐसी औरतों का कड़ाके की ठंड में पुलिस कम्बल नोच ले, उठा ले, जो अलाव जल रहा है उसमें पानी डाल दे। जो खाने की चीज है उसको जब्त कर ले, लाठी चार्ज करे। क्रिमिनल धाराओं में मां बेटियों को जेल भेज दे। चाहे वह लखनऊ हो, चाहे वह बिलरियागंज हो, चाहे वह कानपुर हो, चाहे वह गोमतीनगर हो, चाहे वह प्रदेश के किसी भी जिले में हमारी मां बहिनें जो धरना दे रही हैं। यह लोकतंत्र है श्रीमन, यह संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मान्यवर, आज इनको अच्छा लग रहा है लेकिन जिस दिन संविधान खत्म हो जायेगा, लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा तो यह भी तो यहां बैठने की स्थिति में नहीं होंगे। कल ही मान्यवर, कल ही महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। रामराज्य की बात की थी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं पर लाठी-गोली चलाना रामराज्य है कि रावण-राज्य है। महिलाओं बेटी बहिनों को अपमानित करना रामराज्य है कि कंसराज्य है। माननीय अध्यक्ष जी, 24 लोग निर्दोष मारे गये। एक खास कौम के लोगों के विरोध में यह पार्टी काम कर रही है। किसको मुजरिम बनाया सभी जाति, वर्ग, धर्म, के लोग प्रदर्शन में थे। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 24 लोग मरे थे। आपकी अनुमति से मैं नाम पढ़ दे रहा हूं। बिजनौर से मो0 अनस पुत्र अरशद, सुलेमान पुत्र श्री जाहिद। कानपुर नगर से मो0 सैफ पुत्र श्री मो0 तकी, आफताब पुत्र श्री इब्राहिम, मो0 रईस पुत्र श्री मो0 शरीफ। सम्भल से बिलाल पुत्र श्री शरीफ, शहरोज पुत्र श्री यामीन। मेरठ से जहीर पुत्र श्री मुंशी, आसिफ पुत्र श्री जग्गी, मोहसिन पुत्र श्री अहसान, आसिफ पुत्र श्री शाहिद, अलीम पुत्र श्री हबीब, सलीम पुत्र श्री दिलशाद। फिरोजाबाद से नवीजान पुत्र मो0 अय्यूब, राशिद खां पुत्र श्री कल्लू खां, मुबीन कुरैशी पुत्र श्री मुकीम कुरैशी, हारून पुत्र श्री मशरूफ, श्री सफीक पुत्र श्री रसीद खां, अरबाज खान पुत्र श्री परवेज खान, श्री अबरार पत्नी श्रीमती फरहान। मुजफ्फरनगर से नूरमोहम्मद उर्फ नूरा, श्री इकराम दक्षिणी खालापार, मुजफ्फरनगर। वाराणसी से मो0 समीर पुत्र मो0 वकील। लखनऊ से मो0 वकील पुत्र मो0 शर्फउद्दीन। रामपुर से फैज खान पुत्र श्री आशिम खान। इन 24 लोगों की छाती पर सीधे गोली मारी गयी थी। आप जज से जांच करा लीजिए। कोई सूचना भी नहीं दी गयी, आंसू गैस भी नहीं छोड़ी गयी, रबर की गोली भी नहीं चलायी गयी सीधे छाती पर गोली मार दी गयी। समाजवादी पार्टी के इस परिवार के लोग कमाने वाले लोग थे। बनारस के उस लड़के को छोड़कर के उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। वह मजदूरी करके, कमाकर के, अपने परिवार को चलाते थे। उनका परिवार अनाथ हो गया। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन परिवारों के लोगों के भरण-पोषण के लिए 5-5 लाख रुपये देने का काम किया है। देश गुलामी की तरफ जा रहा है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी सबके दिन बराबर नहीं होते। यह नहीं है कि आप 100 वर्ष तक वहां पर बैठेंगे। कल आप भी यहां आ सकते हैं, हम भी वहां जा सकते हैं आये गये हैं। 16 वर्ष के बाद लौटे हैं।

राम जी जब वनवास गये और जब वनवास से लौटे तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पदवी दी गयी और आप मर्यादा का बिल्कुल खण्ड-विखण्ड कर रहे हैं। मानव की मर्यादा छोड़िये, मां-बहनों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर गोली चला रहे हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, क्रिमिनल धारायें लगा रहे हैं। केवल मुस्लिम मारे गये हैं। मैंने कई बार इस विधान सभा में कहा है और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो बात सही है। आपको अच्छी लगे या न लगे। देश की आजादी के लिए जब लड़ाई हो रही थी। इस देश के हिन्दू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी। अगर हिन्दू फांसी पर चढ़ा तो मुसलमान भी फांसी पर चढ़ा। अगर हिन्दू ने गोली खायी थी तो मुसलमान ने भी गोली खायी थी। अगर हिन्दू ने जेल की चक्की पीसी तो मुसलमान ने भी जेल की चक्की पीसी थी तब देश आजाद हुआ। यह अलग बात है कि देश का बंटवारा हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जिन मुसलमानों ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, वह मुसलमान आज देशद्रोही है और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रजों का साथ दिया, वह आज राष्ट्रवादी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार इस पर जवाब दे और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस जांच नहीं पुलिस की जांच झूठी है, क्योंकि डीजीपी पहले ही यह बयान दे चुके थे कि इस आन्दोलन को हम कुचल देंगे। सीबीआई की इन्क्वायरी पर हमको विश्वास नहीं है। 19-20 तारीख की सारी घटनाओं पर न्यायिक जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से करायी जाए। न्यायिक जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए तब तक यह जो दंडात्मक कार्यवाही है जो वसूली की कार्यवाही है सबको स्थगित किया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण बात पर जब प्रदेश जल रहा है सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसी विषय पर माननीय वर्मा जी का नोटिस है।

श्री लाल जी वर्मा-

पहले मुझे अपनी बात कह लेने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य के जिले का मामला है उनको एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट में कहां हो पाता है। इस विषय पर कांग्रेस की भी सूचना है बी0एस0पी0 की भी सूचना है। आपका विस्तार से आ गया अब वर्मा जी अपनी बात रखें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमने 26 नवम्बर को इसी सदन में संविधान दिवस मनाने का काम किया। हमने लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करने की बात की संविधान की रक्षा करने की बात की गई। महामहिम ने भी विधान सभा में जो भाषण दिया उसमें भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की गई। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस तरह से धज्जी उड़ाने का काम यह सरकार कर रही है केन्द्र सरकार द्वारा संविधान की भावनाओं के विपरीत जाकर नागरिकता कानून बनाने काम किया संशोधन कानून पास करने का काम किया उसका लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे लोगों के ऊपर जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ है वह इस बात का संकेत है कि यह सरकार ब्रिटिश हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। मेरा यह मानना है कि इतनी बड़ी घटनाएं इतना बड़ा जुर्म शासकीय कुकर्म जो इस सरकार ने किया है वह ब्रिटिश हुकूमत में भी भारतवासियों के साथ न हुआ होगा। जिस तरह से 19 तारीख को सदन था हम लोग यहां से निकले मैं हजरतगंज से निकल रहा था के0जी0एम0यू0 में जा रहा था जी0पी0ओ0के सामने प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरह से उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज करके भगाने का काम किया गया मान्यवर भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही बहुत बार प्रदर्शन धरना किया माननीय मुख्य मंत्री जो नेता सदन हैं उन्होंने भी बहुत बार धरना प्रदर्शन करने का काम किया गोरखपुर में जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो लोक सभा में उन्होंने किस तरह से उस घटना का जिक्र किया था लेकिन उसके विपरीत आज जिस तरह से शांतिप्रिय आन्दोलन पर पाबन्दी लगाने का काम किया जा रहा है, धारा-144 लगाकर लोगों को इकट्ठा होने से रोकने का काम किया जा रहा है निश्चित रूप से यह अंग्रेजी हुकूमत को भी जलियां वाले बाग काण्ड को भी पीछे छोड़ने का काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 के विरोध में जो आन्दोलन हुआ रामपुर में एक व्यक्ति, सम्भल में दो व्यक्ति, बिजनौर में दो व्यक्ति, फिरोजाबाद में 7 व्यक्ति, कानपुर में 3 व्यक्ति, मेरठ में 6 व्यक्ति, मुजफ्फरनगर में 2 व्यक्ति, लखनऊ में एक कुल 24 लोगों की पुलिस की गोली से हत्या की गई। सीधी हत्या की गई सरकार कहती है कि यह गोली पुलिस ने चलाई ही नहीं। जिस तरह से आपने भी टी0वी0 के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सुना होगा। मेरठ का एस0पी0 कह रहा है कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइये। जो लोग शान्तिप्रिय ढंग से अपनी बात कह रहे हों, उनसे कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइये।

मान्यवर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश में नफरत की आग फैलाने का काम किया जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इनकी सरकार के द्वारा इस तरह का जुल्म और

ज्यादती की जा रही है। घंटाघर पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, पुलिस उनका कम्बल छीन रही है। इतना बड़ा जघन्य कार्य पुलिस कर रही है। आजमगढ़ के बिलरियागंज में पुलिस के लोगों ने महिलाओं का उत्पीड़न किया, उनको जेल में डालने का काम किया, उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। मान्यवर, इसी तरह से चौरीचौरा से शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च कर रहे लोगों को गिरफ्तार करके गाजीपुर में जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही अन्याय और अत्याचार के वातावरण में लोकतंत्र को कलंकित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तात्कालिक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। आज कह रहे हैं कि हम उनसे वसूली करने का काम करेंगे तो बुलन्दशहर में इंस्पेक्टर को मारने वाले लोगों से वसूली क्यों नहीं की जा रही है ? एटा में लोगों के साथ जुल्म-ज्यादती करने वालों से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आन्दोलन-प्रदर्शन हुआ, उसमें सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूली करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है ? सहारनपुर में एस0पी0 के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करने वालों से वसूली करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है ? इस तरह से दोहरी मानसिकता कि एक तरफ तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और दूसरी तरफ इस तरह से धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा करने का काम और एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के साथ इस तरह से अन्याय-अत्याचार करने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह जघन्य अपराध है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आज प्रदेश और देश को बचाने के लिये इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया, संविधान की मंशा के विपरीत काम किया गया। जो कानून पास किया गया, उसमें भेदभाव किया गया। हम सब लोग जो इस देश के संविधान के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, वह सब सी0ए0ए0 के कानून को गलत मानते हैं और निश्चित रूप से उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जगह-जगह आन्दोलन कर रहे हैं। जनता स्वयं बाहर निकल कर आंदोलित है और उसको इस तरह से कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिनका स्वयं का इतिहास रहा है, तमाम आन्दोलन-प्रदर्शन किये हैं। मुझे याद है कि यहीं लखनऊ में एक बार आन्दोलन हुआ था, उस समय श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे और श्री अक्षयवर मल्ल जी जो समाजवादी पार्टी के लोक दल के नेता थे, पुलिस लाठीचार्ज में उनको लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गयी थी। उसके विरोध में जब हम लोगों ने फिर से प्रदर्शन की घोषणा की थी तो मुझे याद है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, उस आंदोलन को रोकने के लिये यहां पर जितनी भी पुलिस खड़ी की गयी थी, किसी के हाथ में न तो डंडा था, न बन्दूक थी, न राइफल थी, उनको शांतिप्रिय ढंग से खड़ा किया गया जिससे कोई अनहोनी घटना न होने पाए। इस तरह का एक आचरण था सरकारों का और एक आचरण यह कर रहे हैं डंडे की बदौलत, गोली की बदौलत और एस0पी0 यह कह रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइये। इससे ज्यादा नफरत फैलाने का काम और क्या हो सकता है।

मान्यवर, निश्चित रूप से यह विषय तात्कालिक है इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने का काम करें और साथ ही साथ हमारी यह मांग है कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराकर जो लोग मृतक हैं उन मृतक परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा देने का काम सरकार करे, यह हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। इसलिये आपसे पुनः चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री इकबाल महमूद एवं श्री नफीस अहमद के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 आराधना जी बोलेंगी, उसके बाद आप लोग बोल लीजियेगा। मा0 आराधना जी, जो बातें आ गयी हैं उनको दोहराना नहीं है, जो नयी बात हो वह कह दीजिये।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो विषय अलग है। नियम-56 में तो मैंने अलग विषय दे रखा है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहती हूं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं। इनके क्षेत्र की घटना है। बिलरियागंज के विधायक हैं। एक-एक मिनट में अपनी बात कह लेंगे नहीं तो क्षेत्र में जायेंगे तो यह क्या मुंह दिखायेंगे। एक-एक मिनट इनको बोल लेने दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कह रही हैं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, एन0आर0सी0 और सी0ए0ए0 पर जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन हो रहे हैं, मुझे कई जगह जाने का मौका मिला है जिस तरह से बिलारी में, जे0एन0यू0 में और लखनऊ में हर जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। यह देश यह संविधान महिलाओं, पुरुषों को इस देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है, पर लगातार चाहे वह देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ रणनीति अपनाई गयी है वह दुःखद है, शर्मनाक है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सरकार धरना-प्रदर्शन में कर रही है, यह भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही महिलाओं के साथ, जैसे लखनऊ में दिन के उजाले में किसी ने कुछ नहीं किया, रात के अंधेरे में पुलिस जाती है और खाने-पीने का सामान, कम्बल छीन कर ले आती है। इसी तरह से जनपद आजमगढ़ में जहां पर एक छोटे से पार्क में महिलायें आंदोलन कर रही थीं उस पार्क में रात में ढ़ाई बजे पुलिस ने पार्क में पानी भर दिया, कितनी शर्म की बात है कि ठंड की रात में ढाई बजे महिलायें आंदोलन शांतिपूर्वक कर रही थीं, पार्क में पानी भर दिया गया ताकि महिलायें वहां से उठ जायें। पर मैं यह कहूँगी कि इन महिलाओं ने अपना धैर्य नहीं खोया, और वह वहां बैठी रहीं उन्होंने अपनी बात कही और उसका नतीजा यह हुआ कि सुबह होते-होते उनके ऊपर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज की गयी उस लाठीचार्ज में एक महिला जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है उसको हेड इंजरी हुई है और उसके सर में 32 टांके लगे हैं। मैं स्वयं उस महिला को देख कर आई हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल दीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बल ही दे रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष और माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह जन विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है। मैं इस बात पर बल देती हूँ।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मामला बहुत गम्भीर है पहले मुझे सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको एक मिनट बोलने के लिए कहा है लेकिन मैं इसका दुगना दे रहा हूँ।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार आपसे वक्त मांग रहा हूँ। एक मिनट माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से और एक मिनट आपकी तरफ से बस दो मिनट ही चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह बातें तो हो गयी हैं, आप अपने विषय पर आइये।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, भूमिका बना रहा हूँ। मान्यवर, दो बातें सामने आई हैं। एक तो यह आई है कि जिसको हिन्दुस्तान में रहना है वह यहां रहे और जिसको पाकिस्तान में रहना है वह पाकिस्तान में रहे। हम लोग यहां पर रहते हैं, हिन्दुस्तान हमारा है, हमें इससे प्यार है, हमें इससे लगाव है और यह हमारी मातृभूमि है। हिन्दुस्तान का जब संविधान बना उस समय यह आजादी दी गयी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, बता सकता है। उसी के तहत 19 तारीख को पूरे प्रदेश के अन्दर हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से महंगाई, भष्टाचार, किसानों की समस्याओं के विरुद्ध पूरे प्रदेश के अन्दर धरना-प्रदर्शन का आवाह्न किया गया था और उसी के अन्तर्गत सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 के विरोध में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मान्यवर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर इतनी जबरदस्त लाठीचार्ज और गोलियां चलाईं जिससे मेरे क्षेत्र के दो नौजवान शहीद हो गये। पूरे देश के अन्दर 29 लोग शहीद हुए हैं, यह शहीद हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

लाल जी वर्मा ने 25 बताये हैं, आप 29 बता रहे हैं।

श्री इकबाल महमूद-

मैं पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूं, मान्यवर, यह प्रदर्शन शान्तिपूर्वक चल रहा था। आज उनके विरुद्ध जो प्रदर्शनकारी थे उनके विरुद्ध सैकड़ों दफाएं लगा दी गयीं, बन्द कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, आपके पास नई बात नहीं है आप दोहरा रहे हैं।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, देश के अन्दर न मालूम कितने आन्दोलन हुए हैं, जाट आन्दोलन हुआ है, कई आन्दोलन हुए हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर एवं व्यवधान की स्थिति)

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

जल शक्ति (राज्य मंत्री) (श्री बल्देव सिंह औलख)-

कुर्सियां तोड़ी गयी थीं, आग लगाई गयी थी, किताबें लूटी गयी थीं वह था आन्दोलन।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहा गया कि गोली मारो सालों को।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, आप ये सब बातें दोहरा रहे हैं, ये सारी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। अगर चर्चा भी कराई जाती तो इससे भी कम समय लगता।

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर जो कानून बना है, हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करके हमारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा गोपालपुर में बिलरियागंज कस्बे में 4 और 5 तारीख में महिलायें शान्तिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठी हुई थीं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क में। धरना 4 बजे से चल रहा था माननीय अध्यक्ष जी रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती उन महिलाओं को उस धरने से उठाने का काम किया और जब महिलाओं ने यह कहा कि हम शान्तिपूर्वक बैठेंगे अपनी बात कहेंगे, हमें संविधान ये हक देता है अपनी बात कहने का तो वहां पर महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पुरुष पुलिस वालों ने वहां उपस्थित महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और माननीय अध्यक्ष जी वहां पर इस तरह से आंसू गैस के गोले चलाये गये, रबड़ बुलेट्स चलाई गयीं और घरों में घुस कर नौजवान और बच्चों को मारा गया। इसी आवाम में कहा गया था विधान सभा के अन्दर माननीय नेता सदन ने कहा था जब तीन तलाक आया था तो उन्होंने कहा कि यहां पर बहनों को इन्साफ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज वही बहनें जब अपने इन्साफ के लिए शान्ति पर्वक धरने पर बैठीं हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादती और जुल्म कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, छोटे-छोटे बच्चे को एक नौजवान वहां पर सलमान नाम का जो डेली बरतन मांजता है उसकी मां बहुत गम्भीर रूप से बीमार है वह ढाबे पर बैठा हुआ था, चाय की दुकान पर बरतन मांज रहा था, पुलिस ने उसको भी पकड़ कर जेल की सलाखों में भेज दिया। स्टूडेन्ट पढ़ने-लिखने वाले, हाई स्कूल का नौजवान बी0टेक0 करने वाले उनको घरों से उठाकर गम्भीर धाराओं में उनको जेल भेज दिया। अध्यक्ष जी मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर चर्चा करा ली जाये और हाई

कोर्ट के सिटिंग जज से बिलरियागंज के पूरे प्रकरण के जांच कराकर निर्दोषों को रिहा कराया जाये और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

देखिये चर्चा से ज्यादा समय ले लिया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, आप ये बात मानते हैं कि थोड़ा बहुत हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सात-आठ मित्र इस पर बोल चुके हैं, कांग्रेस के विचार आ गये, बसपा के विचार आ गये जो व्यक्तिगत क्षेत्रों वाले हैं उनके विचार आ गये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासन में पूरी तरह से कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और कहीं किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है लेकिन जहां कहीं भी किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, किसी ने लॉ एण्ड आर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी ने दूसरे के अधिकारों का हनन करते हुए अगर कोई अपराध किया है तो उसको सजा भी जरूर मिली है चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो और चाहे किसी ओहदे का व्यक्ति हो। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में सात-आठ जगह को छोड़कर बाकी सब जगह प्रदर्शन हुये। हालांकि अगर हमारे कुछ विपक्ष के लोग नहीं चाहते तो यह नहीं होता क्योंकि इस कानून में हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ कुछ भी नहीं था। लोगों को गलत तरीके से गुमराह करके, भ्रमित करके आंदोलन को हवा दी गई जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यह सदन में पहले भी आ चुका है कि उस कानून में एक भी लाइन या लफ्ज ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तान के किसी नागरिक का कोई अधिकार छीनता हो, अधिकार को प्रभावित करता हो या भविष्य में किसी के अधिकार को प्रभावित करता हो, यह किसी के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। चूंकि माननीय मोदी जी के प्रति वर्ष 2014 में जो जन समर्थन मिला, वर्ष 2017 में जो जन समर्थन मिला और वर्ष 2019 में जो जन समर्थन मिला उसके विरोध में सीधे-सीधे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था इसलिये नाजायज तरीके से लोगों को गुमराह करके और भ्रमित करके इसको हवा दी गई। 75 जिलों में सात-आठ जिले ऐसे हैं जिसमें हिंसात्मक आंदोलन किया गया, जानबूझकर कानून को अपने हाथ में लिया गया, मोटर साइकिलें फुंकी गईं, बसें फूंकी गईं, बिल्डिंग फूंकी गईं और जितना नुकसान सरकारी सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति का कर सकते थे वह सब किया गया। मेरे पास सूचना है और मैं इसे पढ़कर सुनाये देता हूं, 61 पुलिसवालों को चोटें लगी हैं और उनको फायर आर्म इन्जरी हुई है। रामपुर के आठ लोग घायल हुये हैं जिनमें उप निरीक्षक

राजेश कुमार शुक्ला, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट फायर आर्म इन्जरी, कान्स्टेबल कुलवीर सिंह फायर आर्म इन्जरी लेफ्ट साइड नेक, कान्स्टेबल धर्मेन्द्र सिंह फायर आर्म इन्जरी राइट साइड नेक, कान्स्टेबल चरन सिंह फायर आर्म इन्जरी लेफ्ट साइड नेक, कान्स्टेबल शनि सिंह फायर आर्म इन्जरी राइट साइड ऑ। चेस्ट, कान्स्टेबल शनि सिंह, फायर आर्म इन्जरी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, कान्स्टेबल बलवीर सिंह फायर आर्म इन्जरी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, कान्स्टेबल रविन्द्र सिंह फायर आर्म इन्जरी लेफ्ट साइड ऑफ थिक, कान्स्टेबल महेन्द्र सिंह फायर आर्म इन्जरी राइट हैण्ड रिस्ट। मान्यवर, सम्भल के सात पुलिसकर्मी घायल हुये हैं जिनमें पुलिस निरीक्षक विकास सक्सेना को फायर आर्म इन्जरी आन राइट आर्म बैलेट्स फाउण्ड, निरीक्षक धर्मपाल सिंह फायर आर्म इन्जरी पिलेट्स फाउण्ड, उप निरीक्षक श्री भूषण चौधरी फायर आर्म इन्जरी आन लेफ्ट फोर आर्म, कान्स्टेबल ओमकार सिंह फायर आर्म इन्जरी आन राइट लेग एबव नी, कान्स्टेबल अक्षय कुमार फायर आर्म इन्जरी आन राइट लेग, कान्स्टेबल राजेश कुमार फायर आर्म इन्जरी आन राइट फोर आर्म, कान्स्टेबल आदित्य शर्मा फायर आर्म इन्जरी आन राइट लेग बोन फ्रैक्चर। मान्यवर, इसी तरह बिजनौर के आठ पुलिसकर्मी घायल हुये हैं।

मान्यवर, निरीक्षक राजेश सिंह फायर आर्म इंजरी लेफ्ट लेग, उप निरीक्षक अनुष तोमर फायर आर्म इंजरी ऑन राइट एंकल, उप निरीक्षक श्री राम कुमार फायर आर्म इंजरी ऑन लेफ्ट लेग, कांस्टेबल कपिल चिकारा फायर आर्म इंजरी ऑन लेफ्ट एल्बो, कांस्टेबल आदेश यादव राइट हैण्ड इंडेक्स फिंगर, कांस्टेबल शिवांक त्यागी पिलेट्स ऑन लेफ्ट फार आर्म, उप निरीक्षक आशीष कुमार फायर आर्म इंजरी आंन लेफ्ट एल्बो, कांस्टेबल मोहित शर्मा फायर आर्म इंजरी ऑन एब्डॉमेन। इसमें फिरोजाबाद के 9 लोग हैं जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर, निरीक्षक श्री लोकेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, कांस्टेबल राजू जाट, कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल अक्षय कुमार इन सभी को फायर आर्म इंजरी है। मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक श्री सतपाल, कांस्टेबल राजकुमार रावत और कानपुर के सात पुलिसकर्मी जिनके फायर आर्म इंजरी के बुलेट्स मौजूद हैं। मेरठ के नौ पुलिसकर्मी और कुल सात जनपदों के 61 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको गम्भीर चोटें आई हैं। मान्यवर, यहां पर विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वह पूरी तरह से मिथ्या है। आखिरकार पूरे 75 जिलों में केवल इन्हीं जनपदों में ही यह घटनाएं क्यों हुई हैं ?

मान्यवर, जब कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, सरकारी सम्पत्ति को जलाएगा, बसों को फूंकेगा, लोगों की जान को खतरे में डालेगा तथा पूरी पब्लिक पीस इन ट्रंक्यूलिटी को खतरे में डालेगा तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी ? पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन आक्रामक कौन है ? हमलावर कौन है ? हमला किसने किया ? किधर से शुरू हुआ ? आखिरकार पूरे प्रदेश में शांति कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है ? अगर यह पुलिस नहीं करती तो इसके बाद फिर यह कार्रवाई होती कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की ? लेकिन यहां पर जो संख्या बताई गयी है वह पूरी तरह से सही नहीं है। मेरे पास पूरी सूची उपलब्ध है।

शासन की तरफ से 21 लोग घटनाओं में मृत हुए हैं। उन उपद्रवियों ने आपस में जो हिंसात्मक घटनाएं की हैं यह उसका परिणाम है यह पुलिस की फायरिंग का परिणाम नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जहां तक सम्पत्ति के नुकसान की बात है पूरे प्रदेश में जो आंकलन किया गया है उसमें करोड़ों रुपये की सम्पत्तियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। लोगों ने टेलीविजन पर, यू-ट्यूब पर और सभी लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से देखा कि आखिरकार यह घटनाएं किसके द्वारा की गयी हैं ? इन 75 जिलों में जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जहां पर लोगों ने अपनी मांग का ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन किया वहां पर उनसे पूरी तरह से पुलिस संरक्षण में उनसे ज्ञापन भी लिया गया तथा उनकी कानूनी तरीके से मदद भी की गयी। जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन लोगों ने प्रदेश को आग में झोंकने की कोशिश की इसमें पुलिस का काम कानून व्यवस्था मेंटेन करना है। पुलिस का काम केवल गोली चलाना नहीं है, लेकिन उसी जगह पर यह हुआ जहां पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। मान्यवर, इन घटनाओं में 434 अभियोग पंजीकृत हुए। इन अभियोगों में 4875 अभियुक्तों में से 1635 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया से सम्बंधित 89 अभियोग पंजीकृत हुए। मान्यवर, जिन लोगों से आप रिकवरी की बात कह रहे हैं आखिरकार सम्पत्ति का नुकसान अगर होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? आखिरकार वह कौन सा दिन आएगा जब इन घटनाओं को रोका जाएगा। आप जब चाहो तो बस फूंक दो, जब चाहो तो किसी का घर फूंक दो, जब चाहो किसी की दुकान फूंक दो।

जब चाहो किसी का मकान फूंक दो यह अधिकार किसने दिया। कौन से संविधान ने दिया। यहां संविधान की दुहाई उधर बैठकर दी जाती है। यह देखिये, 2011 में किसकी सरकार थी। 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, उस समय की सचिव, श्रीमती लीना जौहरी के हस्ताक्षर से एक शासनादेश जारी हुआ है कि राजनीतिक जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारियों के उपद्रवी होने के कारण सार्वजनिक निजी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की स्थिति में कार्रवाई, 08 जनवरी, 2011। मान्यवर, एक शायर ने कहा है कि ''एक उम्र तक सियासत ए साकी से बेखबर अपना ही लहू पीते रहे अपने जाम से।'' मान्यवर, यह अभी रिकवरी की बात कह रहे थे। यह किसने किया। यह शासनादेश आपने जारी किया।

श्री लाल जी वर्मा-

इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के बाद वसूली हुयी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिये, बहुत से कानून बने हैं। लेकिन कानूनों को लागू करने की हिम्मत चाहिए। कानून आपने बनाया, शासनादेश आपने जारी किया और यह योगी जी की हिम्मत है करवा रहे

हैं। आखिर कोई दिन आयेगा जब सरकारी सम्पत्ति का फुंकना रुकेगा। वह कौन सा दिन आयेगा। योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वह कानून अपने हाथ में ले और शांतिपूर्ण धरने-प्रदर्शन का स्वागत है। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा हुयी लेकिन उन्हीं जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हुयी जहां हिंसात्मक आन्दोलन हुये। जहां पर आन्दोलन को अपराधियों के जिम्मे छोड़ दिया गया। इसलिए यह कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश को हम किसी भी तरीके से किसी को आग में नहीं झोंकने देना चाहते। इन लोगों ने कोशिश की और पूरे विपक्ष का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया था। भ्रमित करके, बरगला के, झूठ बोलकर जिस प्रकार से इन्होंने माहौल पैदा किया यह कोई भी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा अधिकार वहीं तक सीमित हो जाता है जहां से दूसरे के अधिकारों की रक्षा की बात शुरू होती है। किसी दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण करने के लिए हमें कानून में छूट नहीं है। इसलिए मान्यवर, हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि 21 लोग कहां-कहां हताहत हुये और सरकार आगे भी शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन का स्वागत करती है और 67 जिलों में कोई घटना नहीं हुयी। लेकिन जहां पर हिंसात्मक घटना हुयी वहां पर पुलिस अपना काम तो करेगी। 61 पुलिसकर्मी घायल हुये। यह कितनी बड़ी बात है। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता। उस बारे में यह किताब नहीं देखते हैं। एक घटना सुनिश्चित हो, लोक महत्व की हो। तब यह उठा सकते हैं। जिसको देखो, 10-15-20 घटनायें साथ में चली आ रही हैं। यह कहां नियम-56 में आता है। बाकी सब बातों के लिए किताब दिखायेंगे। इस बात के लिए किताब नहीं दिखायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने 2011 के शासनादेश का उद्धरण करने का काम किया। उसके बाद अनेकों जगह आन्दोलन प्रदर्शन हुआ, तोड़-फोड़ हुई। मान्यवर, बुलन्दशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुयी। सहारनपुर में बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की गयी। मान्यवर, यह आज पुलिस की वकालत कर रहे हैं। पुलिस किस तरह से जालसाजी करती है उसका आपसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। इमरजेंसी में आप लोगों को कैसे-कैसे मुकदमों में फंसाया गया, गोरखपुर में मा0 नेता सदन को कैसे-कैसे प्रसंग में फंसाया गया। यह सब आप जानते हैं। उसके बाद भी आप उनकी कहानी पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं मान्यवर कि इसकी न्यायिक जांच करा दीजिए।

मान्यवर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज से करा दीजिए। क्या आप उस जांच के लिए सहमत हैं ? आप जांच करा दीजिए और जो भी दोषी हों

उनको इससे भी बड़ा दण्ड मिलना चाहिए। लेकिन मनगढ़ंत कहानी के आधार पर सजा मिली। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह आप पहले कह चुके हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष आप विस्तार से कह चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम कह चुके हैं लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी तो हमसे भी विस्तार से कह चुके हैं। हमसे भी बड़ा विस्तार से कहा है, ठीक है, इनका स्वागत है।

श्री अध्यक्ष-

आप 08 लोग बोले हैं लेकिन वह सिर्फ अकेले बोले हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जितना असत्य बोलना हो, आप बोलिये। मा0 मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और प्रसन्न मुद्रा में भी हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, अगर सरकार में थोड़ा भी स्वाभिमान है और जनता के प्रति उत्तरदायी है तो यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराएं तभी मालूम पड़ेगा कि किसने गोली चलाई है। भारतीय जनता पार्टी एवं पुलिस के लोगों ने गोली चलाई है। इसलिए यह तब सही होगा जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए। जब यह विरोध में होते हैं तो यह कहते हैं कि हमको पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है, हम विरोध में हैं तो हम भी कह रहे हैं कि हमको भी पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है। आप स्टेट पुलिस को छोड़िये, सी0बी0आई0 को छोड़िये। मा0 मुख्य मंत्री जी संत हैं, संत और साधु से कोई भी कहता है कि बाबा प्रणाम तो वह कहते हैं कि जीवित रहो, प्रसन्न रहो, पुत्रवत रहो आदि का आशीर्वाद मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अग्राह्य हुई।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ठीक है, संत से आशीर्वाद मिलता है और आपके रहते हुए 24-25 लोगों की हत्या हो जाये, हजारों लोग जेल चले जाएं। इसकी मा0 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। इसकी घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अग्राह्य नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरे दल के सभी मा0 सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

(इसी बीच समाजवादी पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अनेक मा0 सदस्य वेल में आकर निर्दोषों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, हत्यारों को सजा दो, सजा दो, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत मुकदमें वापस लो, वापस लो, महिलाओं पर अत्याचार बन्द करो, बन्द करो, महिलाओं को इंसाफ दो, इंसाफ दो, महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आदि नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जो भी वेल से कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। दूसरी बात आप साफ-साफ कहिए कि अब आप स्थगन चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि स्थगन किया जाए, कितनी देर के लिए स्थगन किया जाए। अब आप सभी लोग अपनी सीट पर जाकर एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात तो सुनेंगे।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

मैं आपके आचरण को अनुशासनहीनता मानता हूं। आप सबका यह आचरण, भाषण देने के बाद और डिमाण्ड करने के बाद, पूरी तौर पर अनुशासनहीनता है। यह अनुशासनहीन आचरण है, मैं तीन बार बोल रहा हूं। सदन की कार्यवाही के बीच में इस तरह का आचरण है यह बिल्कुल गलत बात है। मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 37 मिनट पर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(02 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारा गया और वह खड़े हुए, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर भी बोलने के लिए खड़े हो गए)

ओम प्रकाश जी, आपका क्या है ?

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान 2001 की तरफ ले जाना चाहेंगे, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनायी थी और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आते-आते सरकार चली गयी। उस बात को ले करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने 02 मई, 2018 को अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति, माननीय राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित की। कमेटी ने 30 मई, 2018 को अपनी रिपोर्ट दे दी और 27 परसेण्ट आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए जो 1991 से लागू है, उसको तीन भागों में बांट दिया। पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और अति पिछड़ा। पिछड़ा को 07 परसेण्ट, अति पिछड़ा को 11 परसेण्ट और सर्वाधिक पिछड़ा को 09 परसेण्ट। 32 परसेण्ट आबादी अति पिछड़ों की पूरे उत्तर प्रदेश में है और हमको लगता है, सदन में जो 403 विधायक हैं, इन 403 विधायकों को जिताने में इस 32 परसेण्ट आबादी का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे वह सत्तापक्ष के लोग जीत कर आये हों, चाहे विपक्ष के लोग जीत कर आये हों, सब में उसका योगदान है। लेकिन उन 32 परसेण्ट लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 19 महीने उस रिपोर्ट को आए हो गया है और समाज में इस बात की चर्चा है। जब सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि रिपोर्ट आने के बाद मैं भी चाहता हूं कि उन्हें न्याय मिले। अभी माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन में भी मैंने सुना और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, 'सबका साथ, सबका विकास', तो सबका साथ, सबका विकास में यह 32 परसेण्ट जो आबादी पिछड़ों की है, इनका विकास कब होगा ? जब यह रिपोर्ट आ गयी और 11 प्रदेशों में बांट करके आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में इन अति पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों ? इनके रिजर्वेशन की जो रिपोर्ट आयी है, उसका बंटवारा कब किया जायेगा ? क्या उस रिपोर्ट को सरकार लागू करेगी ? अभी मैंने एक दिन देखा, माननीय मुख्य मंत्री जी का टी0वी0 पर बयान आ गया कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। बड़ी आस जगी, अन्य पिछड़े समाज में कि अब हमको भी न्याय मिल जायेगा। लेकिन वह कोरा ही रह गया, वह केवल बयान ही रह गया। फिर उम्मीद जगी, फिर अखबार में बयान आया, माननीय थावर चन्द्र गहलौत जी आए, उन्होंने एक बयान दिया कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन यह सिर्फ कोरा कागज, कोरा बयान ही रह जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को ले करके एक बड़ी आस जगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर अति पिछड़ा वर्ग ने वोट दिया है और अति पिछड़ों के बल पर ही उत्तर प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह 32 परसेण्ट आबादी के वोट के बल पर है। इसके साथ हमेशा आजादी के 73 साल से अन्याय होता आ रहा है। चाहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी दल की सरकार रही हो। किसी भी सरकार का ध्यान इधर नहीं जाता है। जो अति पिछड़े हैं, नाई है, गोड़ है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, लोनिया है, गूजर आदि हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, माननीय सदस्यगण भी यहां हैं, मैं सभी माननीय सदस्यगण से भी इस सम्बन्ध में आग्रह करता हूं और इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा ली जाए। मान्यवर, जो अति पिछड़े लोग हैं, यह उनके अधिकार का सवाल है। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आयी है, वह 30 बिन्दुओं पर आयी है और अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता और बसपा नेता के बयान पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अन्याय नहीं करती। जब अन्याय नहीं करती है तो अति पिछड़ों के साथ 19 महीनों से अन्याय क्यों हो रहा है, उनको न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इस बात को लेकर मैं मांग करता हूं और इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर एक घण्टे की चर्चा यहां पर माननीय सदस्यों से करा ली जाए ताकि अति पिछड़ों को न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, धन्यवाद, बैठिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मैं भी 02 मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आप क्या बोलेंगे ? आप बैठिए, उत्तर आ जाने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ओम प्रकाश राजभर जी बात यह बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं। हम लोगों ने यह कोशिश करके यह रास्ता साफ किया कि सोहेल देव समाज पार्टी को सद्बुद्धि मिले। हमने यह रास्ता साफ किया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदन में आएं। ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग के माध्यम से टिकट दिए। एक बात आपने सही कहा कि आप 32 परसेण्ट मानते हैं हम उसे ज्यादा मानते हैं। हम मानते हैं कि ओ0बी0सी0 ने भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है। मा0 अध्यक्ष जी, यह सही है कि श्री राघवेन्द्र जी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्याय समिति का गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन रिपोर्ट में जब प्रथम दृष्टया उसका परीक्षण कराया गया तो उसमें बहुत सी विसंगतियां आई और जब कोई भी चीज नई इंट्रोड्यूज होती है और जब नए तरीके से व्यवस्था लागू होती है तो काफी कुछ मंथन और चिंतन करना पड़ता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज कौन सा डे है, इसी पर यह प्रसन्न हैं। आज वह डे इनका है, वह कौन-सा डे कहलाता है हम यह नहीं जानते, क्योंकि हम पिछड़ी जाती के हैं, लेकिन यह जरूर जानते होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप जिस अंदाज में देख रहे थे, एक शायर ने कहा है कि आंखें भी कत्ल करती हैं, तलवार की तरह। मा0 अध्यक्ष जी, उस रिपोर्ट को जब प्रथम दृष्टया जांचा गया तो उस रिपोर्ट में काफी कुछ विसंगतियां परिलक्षित हुईं और चूंकि कोई भी नई व्यवस्था लागू करने से पहले उस पर बहुत स्तरों पर चिन्तन-मनन किया जाता है और यह सभी लोग करते हैं। आप लोग भी सत्ता में रहे और ये भी रहे। कोई नई व्यवस्था लागू करने से पहले चिन्तन-मनन किया जाता है। अच्छा चूंकि 27 परसेण्ट आरक्षण पहले से चला आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरह से सम्मान करती है और हृदय से सम्मान करती है। इसी आधार पर पहले जब मा0 हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई तो उसी मानसिकता का द्योतक है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस बात पर पूरे तरीके से भरोसा करती है कि हमारे पिछड़ों को उनका हक जरूर मिले। लेकिन उस रिपोर्ट को ऐज़ इट इज़ लागू करने की स्थिति में नहीं पाया गया तो उसका परीक्षण करने के लिए यह तय हुआ कि उसके ऊपर, सारे पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने, उसका परीक्षण करने के लिए एक कमेटी/रिपोर्ट बनाई जाए। उसके लिए हम जल्दी ही अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं ताकि उसका परीक्षण करके उसके सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जा सके। मा0 ओम प्रकाश जी की भावना बहुत अच्छी है।

(एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि फिर भी आपने उनको छोड़ दिया और वह तो सरकार में थे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज भी हैं लेकिन हमने थोड़े ही उनको छोड़ा, उन्होंने हमको छोड़ा। हमने उनको नहीं छोड़ा, आज भी हम इनको चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

आपने इनको नहीं छोड़ा, आपने तो केवल इनको बर्खास्त किया। जब ये छोड़ रहे थे तो आपने इन्हें स्वीकार नहीं किया और जब ये नहीं छोड़ रहे थे तो आपने इनको बर्खास्त कर दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि हर मोहब्बत से पहले तल्खी जरूर होती है। हर मोहब्बत से पहले कहीं न कहीं तल्खी जरूर होती है। यह मान लीजिए आप। मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो यह नियम-56

में नहीं आता लेकिन हमने पूरे तरीके से पिछड़े वर्ग के हितों का ध्यान रखा है, रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। इस सम्बन्ध में हम परीक्षण कराने के लिए इस पर बहुत जल्दी एक कमेटी बनाने जा रहे हैं ताकि पूरे तरीके से न्याय हो सके। यह नियम-56 में नहीं आता इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इसको अग्राह्य कर दें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आज 19 महीने हो गए इस रिपोर्ट को आए हुए। यह रिपोर्ट 30 मई, 2018 को आई थी और अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हम उस पर कमेटी गठित करेंगे। मेरा कहना है कि यह कमेटी वर्ष 2022 के बाद गठित होगी या उसके पहले गठित होगी और कमेटी गठित करके परीक्षण करेंगे यह तो सिर्फ बहानेबाजी है। मेरी बात एकदम साफ-साफ है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने सदन में कहा कि कमेटी गठित करेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

इन 17 जातियों को आरक्षण के सवाल पर सपा ने बहकाया, बसपा ने बहकाया, कांग्रेस ने बहकाया और भाजपा ने बहकाया। सभी लोग बहका रहे हैं। अगर इस 27 परसेण्ट आरक्षण का बंटवारा है तो आप इसको लागू करें। अगर नहीं तो यही काम तो सब लोगों ने किया है। 17 जातियों के सवाल पर आप लोगों ने भी धोखा दिया है। कोई बाकी नहीं है, सपा ने भी धोखा दिया है 17 जातियों को, सरकार चार बार रही। बसपा ने भी धोखा दिया, उसकी सरकार भी चार बार रही। आप लोग क्या बात करते हैं, अगर आप लोगों ने न्याय किया होता तो यह नौबत नहीं आती। आज ये लोग वहां नहीं होते। आप लोगों की ही देन है कि ये वहां बैठे हैं। मान्यवर, यह इन्हीं लोगों की देन है कि ये लोग वहां बैठे हैं।

(सपा-बसपा के सदस्यों द्वारा यह कहने पर हमने नहीं आपने इनको वहां बैठाया है)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

नहीं, नहीं हमने इनको नहीं बैठाया। यह आप लोगों की देन है, आप बैठो। अभी आप कुछ नहीं जानोगे। मान्यवर, इस नाते आप यह बताइए कि आप कितने दिन में कमेटी गठित करेंगे, कितने दिन में परीक्षण करेंगे और कितने दिन में उसको लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने कहा है कि लागू करेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अरे क्या लागू करेंगे, 19 महीने तो हो गए। आप टाइम बाउण्ड बताएं कि इतने दिन में कमेटी बनाएंगे, इतने दिन में उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया है तो करेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

नहीं अध्यक्ष जी, यह अन्याय है, घोर अन्याय है। सरासर अति पिछड़ों के साथ अन्याय है। आज उत्तर प्रदेश में 1400 थाने हैं लेकिन एक भी नाई, गोंड़, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिन्द, केवट, मल्लाह का बेटा थाने पर नहीं मिल रहा है। यह दुर्गति है आज इन 17 अति पिछड़ी जातियों की। आज उठाकर देखिए कि 75 जिलों की किसी तहसील पर इन जातियों के लोग नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह आरोप सही नहीं है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आप एक थाना बता दें कहीं जहां राजभर को आपने पोस्ट किया हो। आप क्या बात करते हैं ये खाली तीतर मुझे मत दिखाओ, बहुत तीतर देखा है। मुझे तीतर मत दिखाओ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अतिशीघ्र कमेटी गठित होगी यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

समय बताइये उसका, सिर्फ अतिशीघ्र कहने से नहीं चलेगा। उसका समय बताइये।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं, उत्तर आ गया है। माननीय राम गोविन्द जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सरकार में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है। गुण्डागर्दी चरम सीमा पर है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग भय विहीन हो गये हैं। अभी हाल ही की घटना है। 5 फरवरी, 2020 को सी0एम0आर0 जयपुरिया स्कूल, बंसल कैम्पस, सीतापुर रोड में एक साधारण परिवार के लड़के के पिता ने फीस देने में थोड़ा विलम्ब कर दिया था, 6 घंटे तक उसको कमरे में बंद करके पिटाई की गई। जब उसके पिता जी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने पुलिस में रिपोर्ट की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश इण्डिया न्यूज के प्रमुख संवाददाता से उसने सम्पर्क किया तो वह सच्चाई जानने के लिए गये लेकिन स्कूल प्रबन्धक ने उनको भी बंधक बना लिया और उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने भी पुलिस को

रिपोर्ट की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी आप भी प्रदेश के और देश के एक जाने-माने पत्रकार हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है, जोखिम भरी उसकी जिन्दगी होती है। कभी पहाड़ों पर चढ़कर उनके द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है और कभी लहलहाती नदियों के बीच में लोगों के डूबते हुए भी उसको सूचना एकत्रित करनी पड़ती है, कभी अपराधियों से उसको सूचना एकत्रित करनी पड़ती है और कभी संत और साधुओं से भी सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। हमेशा उनकी जान का जोखिम बना रहता है। इस घटना से एक ऐसा प्रखर और विद्वान पत्रकार जिसका प्रदेश में मान है उसके साथ इस तरह से बदतमीजी की गई, बंधक बनाया गया, प्रताड़ित किया गया मैं क्या कहूं थप्पड़ भी चला दिया गया। ऐसा कुकृत्य करने वाला आज भी सरेआम सड़क पर घूम रहा है और कोशिश यह कर रहा है कि वह किसी महिला को खड़ा करके उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दे। माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना से पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के प्रिण्ट मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मर्माहत हैं उनमें असंतोष की भावना फैल गई है। उनमें जान के खतरे का डर पैदा हो गया है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप या तो सरकार से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस स्कूल प्रबन्धक पर करवा दें या प्रिंसिपल पर या टीचर पर कार्रवाई करा दें या सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर उत्तर दे दें।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी जी की इस पर नोटिस थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, वह पत्रकार मेरी विधान सभा क्षेत्र के हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह एक गलत परम्परा है। नियम-56 में जिन माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं वे बोल रहे हैं। अब सभी लोग यदि इसमें बोलेंगे तो ऐसे हम एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप माननीय राम गोविन्द चौधरी जी का उत्तर दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुझे सिर्फ एक मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

क्यों एक मिनट बोल लें, जब आपकी इसमें सूचना ही नहीं है। जबरदस्ती बोलने का क्या मतलब है ? आप इसका उत्तर आने दीजिये, संविधान से क्या मतलब आपका इसमें नोटिस नहीं है।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

आप बैठें। आप उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले जिलों में लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था। आज प्रदेश की राजधानी में एक मान्यता प्राप्त पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल का पद बहुत गरिमापूर्ण है और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी इस सदन के सबसे सीनियर सदस्य हैं। उनका निजी सम्मान भी बहुत ज्यादा है। वह कई बार मंत्री रहे। जब हम यहां पर पहली बार आए थे तो हम यह देखते थे कि राम गोविन्द चौधरी जी हर बिल के ऊपर बहुत बहस करते थे। वह बहुत तैयारी करते थे, उस वक्त इतना योग नहीं करते थे जैसा आज कल करते हैं। मान्यवर, बहुत सम्माननीय पद पर आप हैं और जिंदगी में बहुत निजी सम्मान भी अर्जित किया है लेकिन कम से कम सदन में सही तथ्य रखे जायें। मान्यवर, मेरे पास वह रिपोर्ट आयी है। हमेशा से सी0आर0पी0सी0 में एक प्रोविजन और भी है कि अगर कहीं पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है तो 156 (3) में तुरंत व्यक्ति अदालत में दूसरे ही दिन चला जाता है कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो 156 (3) में चलकर लिखवा देंगे। अब यह दोनों चीजें साथ-साथ चला रहे हैं। एक सदन तो यहां चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, फीस की बात आपने कही कि झगड़े की जड़ एक फीस का मामला है। उस बच्चे के गार्जियन ने यह अपील प्रधानाचार्य से की कि हमें थोड़ी हार्डशिप है इसलिए थोड़ा समय दे दें। यह ई-मेल पर अपील है। तो उस अपील पर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दे दिया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि 'ठीक है, टाइम दे दिया गया है, तुम्हारी बात को कंसीडर कर लिया गया है, उस वक्त यह कहा और उसके बाद उनको टाइम दे दिया गया। वह मैटर वहीं खत्म हुआ और उसके गार्जियन्स ने कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं दी क्योंकि उनकी मांग पूरी हो गयी। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय फीस जमा करने के लिए दे दें तो प्रिंसिपल ने कहा

कि हम दे देंगे। मान्यवर, यदि अनुमति हो तो रिपोर्ट हम पढ़कर सुना दें। यह रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की है और आज ही की 14 तारीख की है। 'दिनांक 06.02.2020 को पत्रकार मो0 कलीम एवं सत्येन्द्र, ई0टी0वी0, स्कूल गये और किसी एडमिशन के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य श्री जोशी से उनके कक्ष में मिलकर भी आये। उनसे स्कूल के सम्बन्ध में जानकारी लिये।

दिनांक 07.02.2020 को कुछ पत्रकार कालेज के अन्दर जबरन घुसने का प्रयास किये जिन्हें गेट पर मौजूदा गार्ड द्वारा स्कूल नियमों के अनुसार यह कह कर रोका गया कि पहले प्रशासनिक अधिकारी से बात कर लें, तब आप लोग आइये। कुछ देर बाद गार्ड ने पत्रकार को अन्दर जाने दिया। पत्रकारों ने स्कूल के सामने स्थित प्ले ग्राउण्ड जहां पर छात्र व छात्राएं खेल रहे थे वहीं पर जाकर कैमरों से कवरेज करने लगे। पत्रकारों के इस कृत्य से छात्र-छात्राओं ने खेलना बन्द कर दिया तथा इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से की। प्रशासनिक अधिकारी व प्रधानाचार्य ने पत्रकारों को मना किया तो पत्रकार बंधु आक्रोशित हो गये जिन्हें प्रधानाचार्य व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझा-बुझा कर छात्र व छात्राओं के शिक्षण समय समाप्त होने के बाद मिलने के लिए कहा गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें कवरेज करने से मना करने के कारण पत्रकारों ने अपना अपमान महसूस किया। कृपया आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है, पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय, नोडल अधिकारी लखनऊ नगर।' अब पता नहीं कि नेता विरोधी दल को कहां से किसने सूचना दे दी। जिस प्रकार की बात आपने बतायी कृपा करके ऐसी चीजों का अगर सही तथ्य जानकारी करके कहा करें तो हमें भी सुविधा रहेगी और माननीय अध्यक्ष जी को भी निपटाने में सुविधा रहेगी। उन्होंने कोई एफ0आई0आर0 दी भी नहीं और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई आपत्तिजनक हो।

पत्रकारों का पूरा सम्मान है, हृदय से सम्मान है, मन-वचन व कर्म से सम्मान है और किसी प्रकार का उनके प्रति कोई असम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन नेता विरोधी दल ने पता नहीं कहां से सपना देख लिया। आधे घण्टे के लिए सोने गये थे, कहां से आ गये और पता नहीं वह कहां से ले आये। इसलिए कृपा करके मान्यवर इसको जरूर दिखवा लें। यह नियम-56 में नहीं आता है, इसको अग्राहय किया जाना चाहिए। एक बात और है मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल नियम-56 के एक मामले में अपना पक्ष रख चुके हैं। नेता विरोधी दल को अधिकार तो है जितना चाहें बोलें, लेकिन यह भी नियम है कि नियम-56 पर एक ही बार बोल सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कहां से आ गया ? हम तो पत्रकारों को सही मानते हैं। लेखक, साहित्यकार को सही मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की लिखी हुई बात हम

पढ़ते हैं और सवेरे उसी से हम लोग पूरा ज्ञान लेते हैं, अखबार से, चैनल से, हम उसको असत्य कैसे मानें ? 50 से भी अधिक पत्रकारों ने हमसे इस बात को कहा, लिखकर दिया, तो क्या सभी पत्रकार गलत हैं ? अगर पत्रकार गलत होते, तो संसदीय कार्य मंत्री जी आप सत्ता में नहीं होते। अखबारों और चैनल ने मोदी जी के गुणगान से जनता को प्रभावित किया कि मोदी जी देश के सबसे बढ़िया नेता हैं। लोग समझ गये और वोट दे दिया। जब वोट पा लिये तो आप उन्हीं को गलत कहने लगे। यह तो आपका बड़प्पन है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सूचना अग्राह्य की जाती है। अब अमन मणि त्रिपाठी जी की सूचना को मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन को संदर्भित करता हूं। श्री वीरेन्द्र यादव जी की सूचना है, उस पर भी मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और शेष सूचनायें निरस्त की गयीं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना अभी तक ली ही नहीं गयी, आपने कहा था कि आयेगी सूचना।

श्री अध्यक्ष-

आप तो अपनी सूचना पर बोल चुकी हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

नहीं अध्यक्ष जी, अभी नहीं बोले हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब माननीय राम गोविन्द जी बोले और वर्मा जी बोले।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

वो तो एन0आर0सी0 और सी0ए0ए0 पर बोले। मेरी सूचना उससे अलग है।

श्री अध्यक्ष-

उसी में हमने पुकारा था। एन0आर0सी0 पर आपकी सूचना थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

नहीं, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

तब फिर आप क्यों बोलीं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

कल जो घटना कचेहरी में हुई, जो बम चले, मैंने उस पर नियम-56 में सूचना दी थी। आपने उसको स्वीकार भी किया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पढ़ता हूं। सूचना मेरे पास है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आपने कहा कि उसको बाद में लेंगे। सबसे पहले तो माननीय नेता विरोधी दल ने बोला।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल की सूचना अलग थी, वर्मा जी की अलग थी, आपकी अलग थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मेरी और कांग्रेस पार्टी की सूचना नियम-56 में थी उस पर दो मिनट मुझे बोल लेने दें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राजधानी में कानून-व्यवस्था को ले करके है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में जो आपकी सूचना है, उसमें एक साथ तमाम बातें हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

सर, पहली घटना 13 फरवरी, 2020 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सिविल कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े बम बाजी हुई।

श्री अध्यक्ष-

आप देखिये आपके पास कागज होगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मेरे पास कागज है।

श्री अध्यक्ष-

उसमें 8 फरवरी, 2020 को लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में, दामोदर नगर का किस्सा है, फिर कमलेश तिवारी का किस्सा है, फिर प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोंगों....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, क्या करें, अखबार जब उठाकर पढ़ते हैं तो लगातार इसी पर जवाब देना पड़ता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ढाई बज गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी आना है। बाकी को आप कल ले लीजियेगा। एक बार आप नियम-56 पर बोल भी चुकी हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। देश की राजधानी में, कचेहरी में जिस तरह से बम चलाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले बात सुन लीजिये। नियम-56 की अगर नियमावली हो तो आप पढ़ लीजिये। नियम-56 में 400-500 घटनायें एक साथ नहीं दी जाती। जो अन्य सूचनायें थीं उनके साथ हमने आपको सुन लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपका हो गया जब माननीय नेता विरोधी दल बोले थे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मुझे दो मिनट सुन लीजिये, इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कागज देखिये, उसमें कहां हैं जो नियम-56 में आता है। आपने तो कई घटनायें बताई हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आप केवल एक घटना पर मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपको हम एक बार सुन चुके हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि इसके बाद आपकी सूचना लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब लगता है कि हमारे आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आप केवल 5 मिनट इस पर सुन लीजिये यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अविलम्बनीय है।

श्री अध्यक्ष-

सारी सूचनायें सुबह हमने पढ़ी थीं। आप सारे लोग निबन्ध बोल रहे हो। कोई पर्टीकुलर विषय तो बोलते नहीं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैं आपके माध्यम से सरकार से इस पर जवाब चाहती हूं। जिस तरह से कल जिस वक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा का सेशन चल रहा था, उस वक्त यहां की कचेहरी में जिस तरह से दिनदहाड़े बमबाजी की घटना हुयी, जिसमें दर्जनों वकील घायल हुये और अफरातफरी का माहौल पूरी कचेहरी में फैल गया। आखिर कहां हैं आपकी कानून व्यवस्था। कचेहरी में कौन जाता है, गरीब आदमी वहां न्याय मांगने जाता है और अधिवक्ता जो कानून व्यवस्था की रीढ़ है यदि वही न्यायालय में सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। अगर न्याय वहां नहीं मिलेगा तो फिर कहां पर न्याय मिल सकता है यह मैं सरकार से जानना चाहती हूं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बिजनौर के न्यायालय में दिनदहाड़े जज के सामने गोली मार दी गयी और उससे भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली। आज सरकार अपना इकबाल खत्म कर चुकी है और पूरी तरह कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आज अगर कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वह है जनता। अपराधी इस उत्तर प्रदेश की सरकार में संरक्षित हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि न उनको न्यायालय की चिंता है और न सरकार की चिंता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार को इस पर जवाब जरूर देना चाहिये। इससे बड़ी और कोई घटना नहीं हो सकती कि विधान सभा के चलते कचेहरी में बमबारी हो। यह अविलम्बनीय है इस पर कार्य-स्थगन लाकर आप जरूर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वकीलों का आपस का मामला है दो गुटों का कहिये या बार के दो पदाधिकारियों का आपस का मामला है और इसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया भी गया है और पूरी तरीके से शान्ति है। जहां कहीं कोई अशान्ति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी, यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। मान्यवर, अब कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पर पूरी तरीके से शान्ति है दो लोगों की आपसी बात थी, उस सम्बन्ध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और जो आप बम की बात कर रही है वह सुतलीनुमा कुछ पाया गया है। इस समय वहां कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं है जो कोड की जाय। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाय।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, कचेहरी के अंदर बम ले जाये जा रहे हैं इससे बड़ी कानून व्यवस्था की बात और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

यह कह रहे हैं कि उसकी जांच हो रही है। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये इसे अग्राह्य किया जाता है। इसके बाद श्री वीरेन्द्र यादव तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अगर दो लोगों का झगड़ा था तो क्या कचेहरी के अंदर बमबारी होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और यह सरकार पूरी तरह अक्षम है, मैं और मेरी पार्टी इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गयीं)

[02:43 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय डॉ0 मन्जू शिवाच जी धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डॉ0 मन्जू शिवाच-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल महोदया ने दोनों सदनों के समक्ष जो अपना अभिभाषण दिया मैं विनम्रतापूर्वक उसके लिये धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदया ने सरकार की नीतियों और कार्यों का जो उल्लेख किया मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करती हूं। राज्यपाल जी का अभिभाषण निश्चित ही हमारी नीतियों व सरकार के कार्यक्रमों के पत्रक के रूप में तथा सरकार की कार्यशैली को पूर्ण रूप से दर्शाता है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुयी है महिलाओं का सम्मान बढ़ा, महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार आया। साथ ही साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी बने और युवाओं ने तेजी से उनका फायदा भी उठाया। हमारी सरकार जहां एक तरफ इंडस्ट्रियल समिट करके व्यापारियों से चर्चा करती है और प्रदेश में व्यापार लाने की पूरी कोशिश करती है, जिससे हमारे प्रदेश में व्यापार आये और हमारे कारखाने लगें और इस उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े ग्रुप्स आयें, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, ऐसा हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार व्यापारियों का भी ध्यान रखती है, रोजगार का भी ध्यान रखती है और दूसरी तरफ हमारी सरकार किसानों का भी पूरा ध्यान रखती है। किसानों को समय-समय पर डी0बी0टी0 के माध्यम से निश्चित समय पर धनराशि भेजी जाती है। किसानों के लिए जो भी हमारी नई योजनायें आती हैं और साथ ही साथ किसानों को नये तरीके से कैसे खेती करनी चाहिए, हमारी सरकार किसानों को क्या-क्या सब्सिडी दे रही है, यह समय-समय पर किसानों की पाठशाला लगाकर ब्लाक स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर हमारी सरकार उनको बताती

रहती है। किसान के जीवन में भी खुशहाली आये और युवा भी खुशहाल रहें, ऐसी हमारी सरकार की इच्छा है। सरकार हर वर्ग पर, हर तबके पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार गांधी जी व पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के विचारों से पूर्ण रूप से प्रेरित होकर काम करती है। यह सिर्फ बातें ही नहीं हैं, वह अपनी कार्य-शैली में भी इसको दर्शाती है। हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की नीतियों का लाभ मिल सके और यह लाभ 100 परसेण्ट हमारे आखिरी छोर के व्यक्ति को मिले और बिना किसी भ्रष्टाचार के मिले। क्योंकि हमारा जो आखिरी छोर पर व्यक्ति रहता है, वह किसी न किसी रूप में पहले वंचित रह जाता था। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार जो सोचती है, जो मन में इच्छा रखती है, वह ही प्रत्यक्ष रूप में करती है। हमारी सरकार ने चाहे गांधी जयन्ती पर 36 घण्टे का लगातार एक सेशन किया हो, चाहे संविधान दिवस पर एक स्पेशल सेशन किया हो, चाहे हमारी सरकार ने सतत् विकास की प्रक्रिया पर चर्चा किया हो, हालांकि विश्व के स्तर पर बहुत समय से इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब इसको गम्भीरता से और प्रदेशों से भी लेने के लिए कहा तो हमारे प्रदेश की सरकार ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, उसके बारे में गम्भीर चर्चा की और यदि इसी को लेकर, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, तभी हम आने वाले 10-15 सालों के प्रोग्राम बना सकते हैं और जनता को हमारी डेवलपमेंट की योजनाओं का फायदा मिल सकता है। उसमें एक गम्भीर चर्चा हमारे सदन में हुई, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं अध्यक्ष जी, व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा एक अपना घर हो। बहुत सालों से, आजादी के भी सात दशक से ऊपर हो गये, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनका अपना घर नहीं है। इसके बारे में आदरणीय मोदी जी ने सोचा और प्रदेश के स्तर पर आदरणीय योगी जी ने अपने प्रदेश के अब तक लगभग 17 लाख व्यक्तियों को अपना घर मुहैया करा दिया है। बाकी अभी एक लेविल या दो लेविल पर उनका काम चल रहा है। निकट भविष्य में वह घर भी पूरे हो जायेंगे। जो हमारी जनता का सपना होता है कि मेरा एक अपना घर हो, वह उनको अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कार्यशैली से जरूर निकट भविष्य में मिलेगा। घरों के साथ-साथ लगभग 01 करोड़ 47 लाख परिवारों को उज्जवला योजना का लाभ मिला। मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इसकी चर्चा करी, क्योंकि उज्जवला के माध्यम से जो हमारी बहनों को घरों में गैस मिली है, वह सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित बात नहीं है। यह गैस उनको देना, यह उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, उनकी आंखों से संबंधित है। क्योंकि यह देखा गया था कि महिलाओं की आंखें और फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। उसका कारण यही था कि हमारी ग्रामीण बहनें अधिकतर चूल्हे में खाना पकाती थीं और उससे उनको यह परेशानियां होती रहती थीं। इससे उनकी आयु भी कम हो रही थी। राज्यपाल महोदय ने जो इसको उठाया, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि

महिलाओं की जीवन शैली बदलने में यह उज्जवला योजना, बहुत जादा महत्वपूर्ण है (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) और आज महिलाओं की जीवनशैली बदल रही है, महिलाओं का स्वास्थ्य बदल रहा है, महिलाओं की शिक्षा बदल रही है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को हमारी सरकार ने बहुत तेज गति से शौचालय दिये। अध्यक्ष जी, हालांकि शौचालय आजादी के बाद बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि यू0एन0ओ0 का भी बहुत प्रेशर रहता था। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को ओ0डी0एफ0 किया गया। एक-एक जिले को लेकर ओ0डी0एफ0 किया गया और हमारे लगभग सभी जिले ओ0डी0एफ0 हो गये हैं। यह सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, यह महिलाओं के मान-सम्मान और उनकी मर्यादा से भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि कितने सालों से हम लगे हुए थे कि पोलियो हमारे देश से हटे, इन शौचालयों के माध्यम से जितने भी संक्रमण के रोग हैं इनमें निश्चित ही कमी आई है। आने वाले पांच सालों में जब डाटा कलेक्ट होगा तो हमारे ग्रामीण अंचल में और खास तौर से जो शहरी बाहरी क्षेत्र हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास शौचालय नहीं थे और अब वह शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आयेंगे, ऐसा इस शौचालय से फायदा होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने बिजली के कनेक्शन की भी चर्चा की, आजादी के इतने सालों के बाद हमारे देश और प्रदेश में कितने सारे लोग बिजली के तारों से बिजली के बल्बों से महरूम रह गये थे। हमारी सरकार ने 1 करोड़ 24 लाख कनेक्शन सौभाग्य योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीणों को और शहर से दूर बसे व्यक्तियों को दिये और उनकी जिन्दगी में रोशनी आई। बिजली का बल्ब होना सिर्फ रोशनी से ही सम्बन्धित नहीं है, जहां-जहां बिजली जाती है उस गांव के हालात बदल जाते हैं, उस गांव के बच्चों और महिलाओं के हालात बदल जाते हैं और निश्चित ही जहां-जहां बिजली जाती है वहां साक्षरता दर भी बढ़ जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बिजली के जो 1 करोड़ 24 लाख कनेक्शन हैं ये सिर्फ कनेक्शन मात्र ही नहीं हैं ये दर्शाते हैं, ये कनेक्शन देने के पीछे हमारी सरकार की बहुत बड़ी मेहनत है। अगर आज हम सड़क पर चलते हैं तो कहीं हमें हाईटेंशन वायर दिखते हैं, कहीं डोमेस्टिक सप्लाई के वायर दिखते हैं और कहीं पर हमें इंडस्ट्रियल एरिया के वायर दिखते हैं तो कहीं पर जंगलों में हमें खेती के लिए हमें वायर दिखते हैं। सड़क के चारों ओर अगर हम नजर दौड़ाएं तो कहीं पर तीन तरह के खंभे हैं, कहीं चार तरह के खंभे हैं और कहीं पर पांच-पांच तरह की विद्युत लाइने हैं। यह सब कुछ हमारी सरकार के कार्यकाल में सम्भव हो पाया है कि हर व्यक्ति को चाहे वह अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह बड़ा व्यवसायी हो उसको उसके हिसाब से विद्युत की सप्लाई की गई है। साथ ही साथ हमारी

सरकार ने ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिए क्योंकि जब विद्युत ज्यादा यूज होगी तो ट्रांसफॉर्मर का वियर एण्ड टियर है वह भी होगा और वह खराब हो सकते हैं। पहले की सरकारों के समय में ट्रांसफॉर्मर बदले नहीं जाते थे, ग्रामीण परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने निश्चित किया कि ट्रांसफॉर्मर बदलना जनता का काम नहीं है बल्कि सरकार का काम है और आज ट्रांसफॉर्मर जल्दी से जल्दी 24 से 48 घण्टे में बदल दिये जाते हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आधुनिकीकरण के साथ-साथ लोग शहर की ओर भागते हैं और शहर तथा गांव के बीच में जो खेती की जमीन होती है वहां घर बनाकर रहने लगते हैं, ये सभी गरीब तबके के लोग होते हैं और देखने में आया है कि ये लोग छोटे-छोटे घर बनाते हैं और अधिकतर यह होता है कि कभी छज्जे बाहर निकल रहे हैं, कभी घर के ऊपर की मंजिल बाहर आ रही है और बिजली के तार छू जाते हैं। हमारी सरकार ने गरीबों के जानमाल की चिन्ता की और यदि हम नजर दौड़ायेंगे तो आज हमारी छोटी-छोटी कॉलोनीज में और हमारे जो शहर के बाहर के मोहल्ले डेवलप हो गये हैं, इनमें प्लास्टिक कोटेड तारों से उन नंगे तारों को रिप्लेस किया जा रहा है जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार के लिए गरीब से गरीब आदमी की भी सुरक्षा कितना मायने रखती है। साथ ही साथ सरकार ने स्वच्छ जल पर भी बहुत ध्यान दिया है, आदरणीय महोदया ने भी इस पर चर्चा की थी कि स्वच्छ जल हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हो भी क्यों ना क्योंकि यदि स्वच्छ जल नहीं होगा तो हमारी जनता को तरह-तरह की बीमारी हो सकती है। हमारी सरकार स्वच्छ जल नल से देने की योजना बना रही है और उस पर कार्य भी चल रहा है। आज गांवों में भी हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि नल से ही जल दिया जाय और उसमें आगे कार्य भी चल रहे हैं। इसी तरह से स्कूलों में, गांव में, पंचायत घरों में सोलर एनर्जी से चलने वाले आर0ओ0 सिस्टम भी लगाये जा रहे हैं जिससे कि हमारे ग्रामीण भाई-बहनों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर न होना पड़े, उनको साफ आर0ओ0 वाला जल मिल सके, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूं खास तौर से माननीय राज्यपाल महोदया ने कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की गम्भीरता को दर्शाया था। उन्होंने बताया था कि कमिश्नर प्रणाली हमारे दो शहरों में शुरू हो गई है, यह प्रणाली कई सालों से अटकी पड़ी थी इसके लिए हमारे आदरणीय योगी जी ने कदम बढ़ाया और दो शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की। निश्चित रूप से इससे कानून-व्यवस्था आने वाले समय में सुधरेगी और हमारी जनता को जल्दी से न्याय मिल सकेगा। खास तौर से जो बदलती कानून-व्यवस्था है उसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूं कि फर्रूखाबाद में जिस तरह से हमारे पुलिस बल ने बच्चों को सुरक्षित निकाला, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी कितना और समय लगेगा।

डॉ0 मन्जू शिवाच-

मान्यवर, केवल पांच मिनट बोल लेती हूं फर्रुखाबाद में जिस तरह से हमारे पुलिस बल ने हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाला उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूं कि एक बच्चे को भी खरोच नहीं लगी। हमारी पुलिस जिसकी हम अधिकतर बुराई करते रहते हैं वह इन सारे के सारे बच्चों को सुरक्षित ले करके आई। यातायात के लिए हमारी सड़कें अच्छी होना बहुत जरूरी है। यह निश्चित है कि जहां सड़कें अच्छी होती हैं, वह प्रदेश और जिला प्रगति करता है। मैं अपने सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड में सड़कों का जाल फैलाया है, एक्सप्रेस-वे, हाई-वे बन रहे हैं और जो बुन्देखण्ड और रूहेलखण्ड का पिछड़ा इलाका था, वहां निश्चित ही ये हाइ-वे होने के कारण व्यापार बढ़ेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो निश्चित ही वहां की जनता को रोजगार के अवसर उनके घर पर ही मिल जाएंगे। इससे उनके जिंदगी में बहुत से परिवर्तन आएंगे। इसी तरह से हमारे पश्चिम के क्षेत्र को प्रयागराज से जोड़ा गया है। चाहें धार्मिक स्थलों को एक दूसरे से जोड़ना हो, चाहे व्यापार के माध्यम से जोड़ना हो। सड़कों का जो जाल बढ़ रहा है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और आम जनमानस को सुविधा भी मिलेगी। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सड़क मार्ग के अलावा हवाई मार्गों को भी पूरी तरह से विकसित कर रही है। इसका एक उदाहरण हमारा हिण्डेन एयरवेज है जहां से बड़े-बड़े शहरों के लिए हर हफ्ते कोई न कोई नई उड़ान हो रही है। हमारी सरकार की यह इच्छा है कि उच्च वर्ग के लोग अधिकतर एअर ट्रैवल करते हैं, लेकिन मध्यवर्गीय लोग भी एअर ट्रैवल करें और हवाई सफर करके अपने समय की बचत करें। हमारी सरकार यह चाहती है कि गांवों के बच्चों का, खास तौर से गरीब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी हो। मा0 महोदया ने भी इस पर चर्चा की थी। प्राथमिक शिक्षा हमारी सरकार का बहुत बड़ा ऐम है। हमारे ये बच्चे अगर 5वीं कक्षा तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम 6वीं क्लास में एक क्वालिटी स्टूडेन्ट नहीं दे पाएंगे। सरकार ने इस पर तीन साल बहुत मेहनत की है और आज मैं गर्व के साथ कहती हूं कि हमारे प्राथमिक स्कूलों के बच्चे अच्छी यूनिफार्म में आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसके साथ-साथ हमारे शिक्षकों में भी बदलाव आया है। मा0 अध्यक्ष जी, जब बच्चों के प्रति सरकार चिंतित होती है तो वहां के अफसर और शिक्षकों में भी बदलाव आता है। मैंने स्वयं देखा है कि हमारे शिक्षक गांव-गांव घूमकर मजदूरों के बच्चे, भट्ठे मजदूरों के बच्चे और बंजारों के बच्चों को स्कूलों में लेकर आते हैं और उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उन शिक्षकों के साथ अपनी सरकार को भी धन्यवाद देती हूं। ईश्वर कृपा से बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है, लेकिन वह बच्चा गरीब और अशिक्षित न रह जाए, ऐसा हमारी सरकारी सोचती है और उस दिशा में पूरे-पूरे प्रयत्न कर रही है। स्कूलों में लड़के और लड़कियों की सुविधा के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाये हैं और पानी का भी बेहतर इंतजाम किया है, जिससे बच्चे अधिक समय तक स्कूलों में रहकर पढ़ाई कर सकें। इसके साथ ही हमारी सरकार वनवासियों का भी पूरा ध्यान दे रही है। हमारी सरकार जहां एक

तरफ प्राथमिक शिक्षा में ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हायर एजूकेशन में भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है। मेरी सरकार के समय ही अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, गांवों में बहुत सारे इण्टर कॉलेज खोले गये हैं। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि हमारे मेडिकल कॉलेजेज में बहुत सारे स्टूडेन्ट्स अभी सेकेन्डियर में आ गये हैं। एक डॉक्टर बनने में लगभग 5 से 6 वर्ष का समय लगता है। इससे मुझे लगता है कि आने वाले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में इतने डॉक्टर आ जाएंगे कि डॉक्टरों की कमी ही नहीं रहेगी।

हमारी केन्द्र/राज्य सरकार अपने गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। जिस तेजी से हमारे उत्तर प्रदेश में 'आयुष्मान योजना', मा0 मुख्य मंत्री जी की 'जन आरोग्य योजना' को लागू किया गया, इससे गरीब को बहुत राहत मिली है। मा0 अध्यक्ष जी, आज गरीब अपने हार्ट की सर्जरी करा सकता है, घुटने बदलवा सकता है, स्टेन्ट भी डलवा सकता है, अपने हेड इन्जरी का इलाज करा सकता है और पथरी का भी दूरबीन द्वारा इलाज करा सकता है। दूरबीन से आपरेशन लग्जरी सर्जरी मानी जाती थी, जो गरीब तो कभी सोच ही नहीं सकता था, लेकिन यह सब कुछ सम्भव हो पाया हमारी सरकार से, क्योंकि उन्होंने बहुत तीव्र गति से आयुष्मान योजनाएं लागू की हैं। मैं राज्यपाल महोदया को विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आज देश में जैसे पोलियो हटा है, ऐसे ही राज्यपाल महोदया ने टी0बी0 पर भी बहुत ध्यान दिया है और उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी सरकार टी0बी0 के केस देखने के लिए, उनको ढूंढकर दवा खिलाने के लिए और उनके खाने-पीने के लिए खर्चा देने के लिए तैयार है। आज हर गांव में, हर ब्लाक में टी0बी0 के मरीज ढूंढे जा रहे हैं, जिससे टी0बी0 का देश से खात्मा हो सके। हमें एवं हमारे परिवार में टी0बी0 नहीं है, इस बात से फक्र नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आस-पास कितने लोगों को टी0बी0 है, इस बात से फर्क पड़ता है। क्योंकि उनसे टी0बी0 पूरे समाज में फैल सकती है और आज कल टी0बी0 के खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। जैसाकि राज्यपाल महोदया ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा सभी के लिए चिंतित है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमें जो 'एम0एम0आर0 सम्मान' मिला है, मैटरनिटी मॉर्टलटी रेट में हमारे प्रदेश में बहुत गिरावट आयी है। अगर किसी प्रदेश का हमें स्तर देखना हो कि वह प्रदेश विकसित, विकासशील या विकास में बहुत पीछे है, तो हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है यह एम0एम0आर0 का रेशियो ही हम देख लें। हमारे उत्तर प्रदेश में इसका 30 प्रतिशत घट जाना बहुत बड़ी बात है और यह हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, उनकी शिक्षा को जाहिर करता है तथा प्रदेश सरकार की जो गम्भीरता है उसको बताता है। उत्तर प्रदेश में प्रसव के समय में बहुत डेथ हो जाया करती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जो स्कीम है, यदि एक महिला गर्भवती होती है तो मातृ-वंदन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, ए0एन0एम0 बहिनें हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराती हैं। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल एक

गर्भवती महिला को 6 हजार रुपया दे दिया जाये। उसको कई चरणों में पैसा दिया जाता है ताकि महिला आये डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराये, तो उसको एक किस्त डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जाती है, फिर उसको टी0टी0 का टीका लग गया तो दूसरी किस्त दी जाती है, उसकी हॉस्पिटलाइज डिलीवरी हुई तो तीसरी किस्त दी जाती है, फिर जब उसने अपने बच्चे को टीका लगा दिया तब फाइनल किस्त दी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है बच्चे को टीका लगवाने के बाद यदि वह बच्चा लड़की है तो हमारी सरकार की और भी योजनायें शुरू हो जाती है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जो भी चाहे अपनी बच्ची की भविष्य के लिए उसमें पैसा जमा कर सकता है। साथ ही साथ हमारी सरकार की कन्या सुमंगला योजना भी इन बच्चियों के लिए शुरू हो जाती है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

आप सभी ने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 5 साल से समाज में परिवर्तन आया है। आज लड़कियों का पैदा होना इतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि पहले माना जाता था। इस बदलाव के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार ने धीरे-धीरे करके जनमानस के मनोभाव को बदला है और लड़कियों के प्रति सम्मान इसलिए भी बढ़ा है। कन्या सुमंगला योजना भी यही है कि लड़की को अलग-अलग स्तर पर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए, कहीं न कहीं से हमें टीकाकरण के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। डब्ल्यू0एच0ओ0 का भी प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर है और अगर हम टीकाकरण से कोई बीमारी रोक सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है। टीकाकरण पर उस बच्ची को पैसा मिलता है फिर उसको पहली क्लास में एडमिशन लेने पर पैसा मिलता है। इसलिए बच्ची के माता-पिता को प्रेरित किया जाए कि बच्ची के मां-बाप उसको स्कूल में डालें, चाहे वह गरीब हों, चाहे ईंट भट्ठे के मजदूर की बेटी हो। कैसी भी हो वह स्कूल जायेगी तो पहली क्लास में उसको धनराशि मिलती है। इसी तरह से वह बच्ची जब अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेती है तो छठीं, दसवीं और बारहवीं क्लास में उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार की बहुत ही तारीफ करती हूं, बहुत धन्यवाद देती हूं हमारी राज्यपाल महोदया भी बहुत संवेदनशील हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। बात यहीं नहीं खत्म हो जाती जब लड़की 12वीं पास कर गयी तो उसकी शादी की चिंता होती है। माननीय योगी जी ने उसका भी उपाय निकाल लिया और जो गरीब हैं उनके सामूहिक विवाह की योजना लागू की गयी। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) ऐसा नहीं कि यह एक सरकारी योजना है, सामूहिक विवाह एक उत्सव की तरह से होते हैं जैसे रामजी की बारात शहरों में चलती है इस तरह से उसका आयोजन होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सामूहिक विवाह के साथ सिर्फ बच्चियों के खाते में जो सरकारी पैसा है केवल वह उनके खाते में नहीं जा रहा है, इससे समाज में भी बदलाव आया है। आज व्यापारी वर्ग, एन0जी0ओज0, सोशल वर्कर्स बढ़-चढ़कर इन सामूहिक विवाहों में भाग लेते हैं। जो सरकार उनको मद्द कर रही है वह तो मिलती ही मिलती है। कोई सिलाई की मशीन दे

देता है, कोई फ्रिज दे देता है, कोई टी0वी0 दे देता है इतना सब कुछ दिया जाता है तो उस लड़की की शादी का एक ग्रैण्ड सेलीब्रेशन हो जाता है, वह भी सामूहिक विवाह के रूप में। इससे प्रेरित हो करके बहुत सारे सामाजिक लोग भी अपने हिसाब से, बिना सरकार से मदद लिये भी दो-दो, चार-चार बच्चियों की शादी करा रहे हैं, यह सरकार ने हमारे समाज में बदलाव किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी खूबसूरती इस योजना की यह है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में दे दिया जाता है। आज के समय में मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी हैं। यहां हम इतने लोग बैठे हैं, मैं यह नहीं समझती कि अधिकतर के पास हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा की, गंगा यात्रा की चर्चा की, इसके लिए मैं उनको विशेष धन्यवाद देती हूं क्योंकि गंगा यात्रा 1380 किलोमीटर की सिर्फ यात्रा मात्र ही नहीं है, यह गंगा को कैसे टूरिज्म और राफ्टिंग के लिए प्रयोग किया जाए। यह कैसे गंगा के किनारे जो गांव हैं, उनकी संस्कृति को संजो कर रखा जाय। कैसे गंगा के किनारे जो प्रदूषण हो गया है उसको कम करा जाय, वृक्षारोपण करा जाय। यह गंगा यात्रा इसी को डैपिक्ट करती है कि गंगा जी में जो प्रदूषण हो गया है हम कैसे उसको खत्म करें। वृक्षारोपण कैसे करें और भविष्य में गंगा जी को हम कैसे प्रयोग करें इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं आदरणीय राज्यपाल महोदया जी को कि उन्होंने इस पर चर्चा करी (मेजों की थपथपाहट)। अंत में अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट यह कहना चाहूंगी कि यह हमारा सभी का सौभाग्य है कि अयोध्या जी का फैसला हमारे कार्यकाल में आया और मेरी सरकार को यह मौका मिलेगा यह शुभ काम करने का कि अयोध्या जी का पूरा विकास हो सके। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने आज मुझे पूरा समय दिया और पूरे सदन को भी धन्यवाद देती हूं कि आप सबने मुझे सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद आपको। माननीय योगेन्द्र जी आप बोलें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने श्रीमती मन्जू जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अनुमोदन करने का अवसर दिया। 13 फरवरी को मान्यवर, यही मंडप था, दोनों सदनों के समवेत् अधिवेशन का अवसर था। राज्यपाल महोदया को अपना अभिभाषण करना था लेकिन हो क्या रहा था। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा था। हुड़दंग हो रहा था यहां पर। कुछ लोग अर्थहीन, आधारहीन नारों की पट्टिकाएं लेकर सदन के वेल में खड़े थे। यह वह मंदिर है

लोकतंत्र का जिसमें बैठने का गौरव प्रदेश के 20 करोड़ लोगों में से सिर्फ 403 लोगों को मिलता है और उस मंदिर की जिस सीट पर बैठने का अवसर मिलता है उसी सीट पर जूतों को पहने खड़े होकर उधम मचा रहे थे, यह हो रहा था। (शेम-शेम की आवाजें) इससे भी ज्यादा उधम कर उन्हें मालूम था कि इन नारों में कोई दम नहीं है, वह पट्टिकाएं फर्जी नारों से भारी हो गई थीं तो ये उनका बोझ उठा नहीं पा रहे थे तो उनको गोल करके हुआ..हुआ.. जंगल की तरह स्थिति बना दी थी और उससे भी शर्मसार करने वाली घटना कि एक राष्ट्रीय पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी पट्टिकाओं के उस बिगुल से जागते रहो, हुआ.. यह कर रहा था। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था उस दिन। यह पावन मंदिर लोकतंत्र का उस दिन कराह रहा था कि ये क्या हो रहा है ? हमको इसलिये नहीं चुनकर भेजा है जनता ने। हमको भेजा है कुछ करने के लिये। राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है ? राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियां, जनहितकारी योजनाएं, भावी कार्यक्रम इसका वह उल्लेख होता है। इसको सुनना चाहिए था, उस पर गुनना चाहिए था लेकिन हो रहा था हुड़दंग। वजह इसकी मैंने सोचा कि क्या हो सकती है क्योंकि तीन साल का माननीय योगी जी का कार्यकाल, जिसमें जितनी उपलब्धियां हासिल हुईं, जिसमें न जाने कितनी जनहितकारी योजनाएं बनीं और न जाने कितने भावी कार्यक्रम हैं कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे क्या विरोध करें क्योंकि अभिभाषण को सुनते, सुनना चाहिए था, उसे गुनना चाहिए था। उसमें खामियों को निकालना चाहिए था जो कुछ जोड़ सकते थे उसके सुझाव देने चाहिए थे। यह विचार बनना चाहिए था लेकिन तीन साल के कार्यकाल में योगी जी ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जो कि इनको ऐसी कोई खामी मिलती, ऐसा कोई सुझाव मिलता। इसलिये हुड़दंग के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। यह उनकी राजनैतिक विचारों की बेचारगी थी। यह जो अभिभाषण है 38 पेज का लेकिन 38 पेजों में सरकार की उपलब्धियां समाहित नहीं हो सकतीं।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का कार्य ब्यौरा 38 पेज में यह समाहित नहीं हो सकता, जो हमारी सरकार ने पिछले 03 सालों में किया है। अगर 03 साल की उपलब्धियां, योजनायें, कार्यक्रम को छाप दिया जाए और वह यहां वितरित किया जाता तो हम सब सदस्यों को एक-एक आटो मंगवाना पड़ता कि इसको हमारे फ्लैट पर ले जाओ। योगी ने कुछ तो छोड़ा होता जो यह कुछ बोलते, यह बेचारे होकर रह गये। मैं विपक्ष के विचारों की बेचारगी पर आपके माध्यम से इस अवसर पर दो पंक्तियां प्रतिपक्ष के लिए कहना चाहूंगा। ''इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा'' सादगी की जगह दूसरा शब्द यूज कर लेता हूं। ''इस बेचारगी पर कौन न तरस खाए ए खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं है''। बिना तर्क के, बिना हथियार के, बिना तर्कों के वार के, बिना विचारों के वार के लड़ने आए थे। बिना विचारों के मैदान में आए, वैचारिक जंग में आए, बिना मुद्दों के लड़ाई के मैदान में आए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। इस अभिभाषण का पठन होना चाहिए, उस पर मनन होना चाहिए, उस पर चिन्तन होना चाहिए, चर्चा में यहां मन्थन होना चाहिए और फिर उस मन्थन से जो

अमृत निकले समाज और जनता में उसका वितरण होना चाहिए, यह इस सदन की कार्यशैली है, अगर इसको पढ़ा होता तो यह सदन इस सरकार पर गर्व कर रहा होता। अभिभाषण के पेज नं0-3, 4 और 7 को पढ़ लें। न जाने कितनी ऐसी योजनायें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। आवास स्वीकृत कर 17 लाख से अधिक आवास बनाकर देश में प्रथम स्थान। 86 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कर देश में प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 47 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कर देश में प्रथम स्थान। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय देकर देश में प्रथम स्थान। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) एवं अन्य योजनाओं में 1 करोड़ 24 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं आम आदमी बीमा योजना में देश में प्रथम स्थान। दुग्ध, चीनी, गन्ना एवं आम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम स्थान। न जाने कितनी ऐसी योजनायें हैं जिसमें प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, उस पर गर्व करना चाहिए। इण्डिया टुडे का एक सर्वे हुआ था, उस इण्डिया टुडे सर्वे में हिन्दुस्तान भर के मुख्य मंत्रियों में प्रथम स्थान, अव्वल स्थान मा0 योगी जी को मिला, इस पर हमें गर्व है। दो पंक्तियां मा0 योगी जी की शान में पेश करना चाहूंगा। ''कमी नहीं है कद्रदानों की ए अकबर, कोई कुछ कमाल तो करे।'' योगी जी ने कमाल किया, धमाल किया। यह अभिभाषण पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान, उद्योगों के उत्थान, शिक्षा के नए सोपान....

प्रदेश के स्वाभिमान और देश के गौरव की नई पहचान बनाने का यह स्वर्णिम अध्याय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की गीता है, यह एक पाकेट गीता है। हमने विकास दिया है यहां एक बहुत अहम विचारणीय प्रश्न है क्योंकि राजनीति वह शक्ति है, राजनीति में वह ताकत है जो समाज सेवा के लिए सबसे अहम भूमिका अदा कर सकती है। देश के विकास के लिए प्रदेश के विकास के लिए सबसे बड़ा औजार है राजनीति लेकिन प्रश्न उठता है कि विकास किसके लिए। विकास दूर दराज समाज में बैठे अन्तिम छोर के व्यक्ति के लिए हो जहां पर विकास पहुंचे वह उससे लाभ ले और समृद्धिशाली हो विकास समृद्धिशाली बनाने के लिए हो या समृद्धिशाली लोगों की सुख सुविधा के लिए हो यह प्रश्न है ? विकास सैफई के लिए हो या अन्तिम छोर पर बैठे झोपड़ी वाले व्यक्ति के लिए हो ? हमने समाज के लिए विकास किया है। समाज के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए विकास किया है। दलित, बुनकर, पिछड़े, सुविधा विहीन, दिव्यांग इन लोगों के लिए विकास के रास्ते खोले हैं। अभिभाषण को पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। उदाहरण के तौर पर राज्य पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन इन सबको योगी जी की सरकार ने बढ़ाया है। पांच सौ

रुपए किया है और लाभार्थियों की संख्या भी पिछली सरकार से डेढ़ गुनी हुई है यह उपलब्धि है हमारी सरकार की।

जिनके सिर पर छत नहीं थी जो ठंड में ठिठुरते थे, गर्मी में लू के थपेड़े सहते थे, बरसात में बर्षा की मार सहते थे उनको घर देने का काम सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 17 लाख लोगों से अधिक लोगों के लिए आवास का निर्माण हुआ है, एक रिकार्ड है। मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 5 हजार 740 व्यक्तियों को निःशुल्क आवास प्रदान किया है, यह एक उपलब्धि है। अभी शौचालय का जिक्र हो रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं निवृत्त होने के लिए लोक-लाज के कारण या तो पौ फटने से पहले जाती थीं या सूरज अस्त होने के बाद जाती थीं हमारी सरकार ने ''इज्जत घर'' के नाम से उनको शौचालय देने का काम किया दो करोड़ 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत 9.13 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ यही वर्ग नहीं हम जिसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हम ''स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं'' जिनके लिए धन देकर हम उनका कोई मोल नहीं लगा सकते हैं लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन कर सकते हैं हमारी सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाकर 20 हजार 176 रुपए प्रति माह की है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया है। उनको नमन किया है, उनका वंदन किया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मान्यवर, भारतीय संस्कृति का इसमें समावेश है उनके सिद्धान्तों का, संस्कारों का। हर एक प्रतिमा में भगवान हो न हो यह जरूरी नहीं कि हर एक प्रतिमा में भगवान हो लेकिन प्रतिमा में भगवान होता है यह सही है। मान्यवर, महिला सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार ने काम किए हैं, मातृ शक्ति को पूज्यनीय बनाने के लिए हमारी सरकार ने काम किए हैं। पॉक्सो न्यायालयों का गठन, उनके लिए 194 नवीन न्यायालयों के कक्षों का निर्माण कराया है। एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन से महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं में कमी आयी है। महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धन से मातृ मृत्युदर में 30 प्रतिशत गिरावट आयी है, जो एक रिकार्ड है। इसीलिये उत्तर प्रदेश को एम0एम0आर0 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर व रेस्क्यू वैन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो, इसके लिये 'मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना', 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना', 'निराश्रित महिला पेंशन योजना' इन सबका प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। 'नारी तुम केवल एक श्रद्धा हो' हमारे नेता का यह आदर्श वाक्य है, 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग, पगतल में, पियूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।' (सत्तापक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) यह हमारा आदर्श वाक्य है और पूर्व के लोगों का आदर्श वाक्य था 'अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।' आंखों में

पानी लिये पिछले समय में जब नारी शक्ति जाती थी, अपने उत्पीड़न पर, अपनी अस्मिता पर चोट लगने पर जब न्याय के लिये गुहार करती थी तो पूर्व सरकार के पिता जी कहते थे कि इस उम्र में तो गलतियां हो जाती हैं। यह बोलते थे और मनोविज्ञान से अपराध को जोड़ते थे, अपराध को संरक्षण देते थे, लेकिन मेरा नेता कहता है कि अगर करोगे तो फिर भरोगे भी। (सत्तापक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) यह मेरा नेता कहता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हवा के बाद पानी ही व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता होती है। हवा ईश्वर प्रदत्त है। पानी भी ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन उसका प्रबन्धन व्यवस्था को करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है और इसकी महत्ता को जानते हुए कि 'जल है तो कल है', जल से खेती है, जल से जीवन है, इसलिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है और उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार यह हुआ है। मा0 योगी जी की सरकार ने 98.48 लाख हेक्टयर भूमि की सिंचाई की सुविधा का प्रबन्धन किया है। अभिभाषण में पूरा जिक्र है कि वर्षों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं जैसे बाणसागर बांध, पहुंज बांध, पथराई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध आदि परियोजनाओं को 04 हजार 333 करोड़ रुपये लगाकर पूरा किया गया और इससे ढाई लाख किसान लाभान्वित हुआ, यह हमारी सरकार ने किया है। (सत्तापक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) इसके अतिरिक्त 14 अन्य बांधों की परियोजनाएं चालू की गयी हैं इससे लगभग साढ़े 18 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, यह होने जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' उपलब्ध हो, यह योजना बनायी जा रही है। बुन्देलखण्ड जिसके बारे में सब जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जल संकट ग्रस्त इलाका है। अभी जो पूछ रहे थे तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकारों ने बुन्देलखण्ड के लिये क्या किया ? इस अभिभाषण में उल्लेख है कि मा0 योगी जी की सरकार ने उसके लिये एक अति महत्वाकांक्षी, अति विशाल योजना तैयार की है, जिससे बुन्देलखण्ड की पानी की समस्या का निदान हो। मान्यवर, आगरा जहां से मैं आता हूं जल संकट से पीड़ित एक शहर था और हिन्दुस्तान भर में खराब जल के कारण, गन्दे जल के कारण इसे जाना जाता था। आगरा का भू-गर्भ जल खारा और यमुना में ओखला, दिल्ली, मथुरा और आगरा के गिरने वाले नाले, सीवर का जल हम लोगों को पीना पड़ता था। राम तेरी गंगा मैली हो गयी पापियों के पाप धोते-धोते और कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गयी ओखला और दिल्ली के नाले ढोते-ढोते, यह हम महसूस करते थे। हम सुनते थे कि आगरा में पानी की समस्या के निदान के लिए गंगा जल आएगा, आगरा की प्यास बुझायेगा लेकिन गंगा जल आता नहीं था और आगरा प्यासा रह जाता था। लेकिन जब योगी जी की सरकार आयी तब इस परियोजना को गति मिली और 9 जनवरी, 2019 आगरा वासियों के लिए इतिहास की वह तारीख बन गयी जब मेरे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और यमुना मइया के शहर में गंगा मइया कलकल करती हुई आ गयीं, और आगरा की प्यास बुझ गयी। जो शहर

पानी के मामले में सबसे खराब माना जाता था आज वही आगरा शहर क्वालिटी वाइज़ और क्वान्टिटी वाइज़ हिन्दुस्तान का बेस्ट शहर बन चुका है, यह योगी जी की सरकार में हुआ है।

चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात की जाये तो जैसा कि मैंने कहा कि मानव के लिए हवा और पानी जितना जरूरी है उतना ही शिक्षा, चिकित्सा, दवाई और पढ़ाई भी जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि 2016 तक इस बात के लिए यह लोग कितने गम्भीर थे। वर्ष 2016 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे और 2017 से अब तक 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और उनमें पढ़ाई चालू हो चुकी है। 8 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है, 13 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृती मिल चुकी है। 2016 के बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 8 नए मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग खोलने की अनुमति मिल गयी है और कार्य प्रारम्भ हो गया है। आगरा का एस0एन0 मेडिकल कॉलेज हिन्दुस्तान के 3 प्राचीनतम् मेडिकल कॉलेजों में से एक था, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली स्थान रखता था। हमने अपने बचपन में स्वयं श्री कमलापति त्रिपाठी जी का एस0एन0 मेडिकल कांलेज में इलाज होते हुए देखा है जो कि इस प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री थे, पिछले 15 साल में उस मेडिकल कॉलेज की ऐसी दुर्दशा हो गयी है कि वहां पर आम आदमी भी इलाज कराना नहीं चाहता है। लेकिन 2017 के बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसे 120 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा और 80 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार से यानी 200 करोड़ रुपयों से भवन निर्माण शुरू हो रहा है और उसमें सुपर स्पेशियलिटी वार्ड खोलने की अनुमति प्रदान हो गयी है। अब आगरा वासियों को इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ, मद्रास और जयपुर नहीं भागना पड़ेगा और आगरा के पास के लोगों को भी वहीं इलाज मिल सकेगा। हमारी सरकार के द्वारा एस0एन0 मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही बर्न यूनिट का शिलान्यास वहां पर हुआ है और एक बर्न यूनिट ऐसी बनने जा रही है जो हिन्दुस्तान में उत्तम क्वालिटी की बनने जा रही है। मान्यवर, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। आगरा के अन्दर बेस्ट ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। दो साल और इन्तजार कर लीजिए हिन्दुतान के सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेजों में से एक एस0एन0 मेडिकल कॉलेज होगा। सर्वांगीण विकास के लिए अवस्थापना की बहुत आवश्यकता होती है। पगडन्डियों को सड़क में बदलना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, फ्लाईओवर बनाना और एक्सप्रेस-वे बनाना आदि-आदि। आप एक-एक एक्सप्रेस-वे का झुनझुना लेकर घूम रहे हैं एक बसपा सरकार का, एक सपा सरकार का और हमारी सरकार के एक्सप्रेस-वे गिन लीजिए ? पांच एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 341 कि0मी0, गोरखपुर एक्सप्रेस-वे 91 कि0मी0, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे 297 कि0मी0 का और गंगा एक्सप्रेस-वे 637 कि0मी0 का बन रहा है। आपने गड्ढा युक्त सड़कें दी थीं, हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। पिछली दो सरकारें एक एक्सप्रेस-वे लेते थे हमने न जाने कितने एक्सप्रेस-वे ले डाले मान्यवर, मैंने जैसा कहा कि यह अभिभाषण गीता है उपलब्धियों की, जन हितकारी कार्यक्रमों की, योजनाओं की।

ऐसा है अपमान तो आपका हो रहा है इस समय क्योंकि आपके पुराने चिट्ठे खुल रहे हैं, इसलिए परेशान हैं बेचारे। लेकिन फिर भी इसमें कृषि क्षेत्र को देख लें, उद्योग क्षेत्र को देख लें, शिक्षा क्षेत्र को देख लें, चीनी उत्पादन और गन्ना मूल्य के भुगतान क्षेत्र को देख लें, ग्रामीण क्षेत्र को देख लें, ऊर्जा क्षेत्र को देख लें, पर्यटन, समाज कल्याण क्षेत्र को देख लें हर क्षेत्र में ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हैं जो अपने आप में रिकार्ड हैं। योगी जी की जो उपलब्धियां हैं जन हितकारी, कल्याणकारी हम क्या कहें कोई संज्ञा नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल उस शायर की तरह परेशान हूं जो अपनी माशूका के लिए कहता है, नेता प्रतिपक्ष मुस्कुरा गये हमारे चौधरी साहब, आज वेलेन्टाइन-डे है न चौधरी साहब को पुरानी बात याद आ रही है। मैं माननीय योगी जी की शान में अर्ज करना चाहूंगा कि-

'झील है, कमल है या जाम है,
झील है, कमल है या जाम है,
बता तेरी आंखों का क्या नाम है।'

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, ये योगी जी के लिए ही कहे हैं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हम आपके लिए नहीं कहेंगे। मान्यवर, ये परेशान हैं कि इनके लिए क्यों नहीं कहा गया, आप इस शेर को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लीजिए। मैं जरा कन्क्लूड कर दूं सेन्टेन्स में।

श्री अध्यक्ष-

क्या शेर का अभिभाषण से कोई सम्बन्ध है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मैं अपना मन्तव्य पूरा खत्म करता हूं। अच्छा उनके लिए कह देता हूं कि-

'उसने कहा बेवफा, ये वक्त की बात है,
हमने भी सुन लिया, ये वक्त की बात है'

मान्यवर, 2017 में सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, सरोकार भी बदले, 2017 में सिर्फ सरकार नहीं बदली, सरकारी काम-काज करने के संस्कार भी बदले, 2017 में सिर्फ सरकार नहीं बदली, नये सपने साकार हुए इस प्रदेश की जनता के, इसलिए मैं डा0 मन्जू जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अनुमोदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपने बोलने का समय दिया इसलिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आपने काफी शेरों-शायरियां सुनाईं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, भाषण के लिए मैं इनको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 से मद संख्या-37 तक की मदें स्थगित रहेंगी और सोमवार के दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा उस दिन नियम-56 नहीं होगा।

[03:31] लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने विषयक डॉ0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय स्वातन्त्रय समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय।''

जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाये।''

जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जायें।''

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना करायी जाये।''

जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।''

जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाय।''

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाय।''

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना की जाय।''

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्रीमती नीलम करवरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाय।''

जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री मनीष असीज, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करायी जाये।''

जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री फतेह बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करायी जाये।''

जनपद-झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाये।''

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उपमण्डी की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उपमण्डी की स्थापना कराई जाय।''

प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछा कर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछा कर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाया जाय।''

जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिठौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिटौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाया जाय।''

जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की तहसील पैलानी के ग्राम-जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री बृजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी की तहसील पैलानी के ग्राम जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराई जाय।''

जनपद-वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाय।''

खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल की जाय।''

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास-खण्ड जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय।''

जनपद-फिरोजाबाद में यमुना नदी के तट से सटे दर्रों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके 'झील का निर्माण' कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में यमुना नदी के तट से सटे दर्रों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके 'झील का निर्माण' कराया जाय''।

वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलेक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलेक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करायी जाय।''

जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री ब्रज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोला जाय।''

जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत अपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत अपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।''

[03:32] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री छत्रपाल सिंह गंगवार की जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की तहसील प्रशासन द्वारा कतिपय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद बिजनौर व रामपुर में खनन माफियाओं की मिलीभगत से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत नगर निगम में कतिपय खसरा नम्बरों में कूड़ा डम्प किये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में कतिपय सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रवि कुमार सोनकर की डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान गोमती नगर में कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा दसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के थाना सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा तुन्दहा निवासिनी अवयस्क बालिका को अगवा किये जाने की घटना पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र उत्तर स्थित शीतगृह वाटिका के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा बदलापुर में सई नदी के तट पर पम्प कैनाल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत राजस्व हानि के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौल में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् के प्रभारी निदेशक द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है, सोलवहीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवा में वनों के किनारे की खाई का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा सत्रहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में कतिपय सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री अमिताभ बाजपेई, श्री ओमकार सिंह, श्री सुभाष राय, श्री नफीस अहमद, श्री मनोज कुमार पारस, श्री उमाशंकर सिंह, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री विक्रम सिंह सैनी, श्री संजय सिंह गंगवार, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री प्रमोद उटवाल, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री पूरन प्रकाश, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, डॉ0 श्याम बिहारी लाल, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, डॉ0 अरूण कुमार, डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्री गंगा, श्री दलवीर सिंह, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री राम अचल राजभर, श्री लाल जी वर्मा, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री असलम अली, श्रीमती सावित्री कठेरिया, श्री राहुल प्रकाश, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री पारस नाथ यादव, डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री पल्टूराम, श्रीमती जय देवी एवं श्री जटाशंकर त्रिपाठी।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती से सम्बन्धित यह वक्तव्य है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रार्थना की गई है कि इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह स्थगित है।

जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी का यह वक्तव्य है। सम्बन्धित सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[''मैं मा0 सदन का ध्यान अपने जनपद बांदा की नगर पालिका परिषद्, अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी द्वारा बरती जा रही वित्तीय अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नगर पालिका परिषद्, अतर्रा, बांदा का अतिरिक्त प्रभार श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मटौंध के पास है, जो नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में घोर वित्तीय अनियमिततायें कर रहे हैं। इन्होंने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में लाइट खरीद, केमिकल खरीद, जे0सी0बी0 खरीद का ई-टेण्डर न कराकर गोपनीय टेण्डर कराये हैं इसकी तकनीकी जांच भी नहीं करायी गयी है, इन्होंने वायर, सोलर लाइट, बैट्री की खरीद एवं मरम्मत का कार्य श्री इलेक्ट्रानिक्स से नियम विरुद्ध तरीके से कराया है, जिसकी भी तकनीकी जाँच नहीं कराई गई है। इन्होंने संविदा सफाई कर्मियों के पदों पर 59 लोगों की अनियमित भर्ती की है, जिसमें अपने क्षेत्र के कई लोगों को अनियमित नियुक्ति दी है। यह शासन के आदेशों के विरुद्ध लिपिकों के 03 पदों पर अनियमित भर्ती प्रक्रिया संचालित कर रहे थे, जिसे जिलाधिकारी, बांदा द्वारा रोक दिया गया है। इन्होंने मटौंध में तत्कालीन अध्यक्ष के सगे दामाद की सफाई कर्मी के पद पर कागजों पर अनियमित नियुक्ति करके वित्तीय हानि पहुँचाई है। कान्हा पशु आश्रय योजना में बिल वाउचर प्राप्त किए बिना लाखों का अनियमित भुगतान करके अनियमितता बरती है। यह जनपद बाँदा में पिछले नौ वर्षों से नियम विरुद्ध ढंग से कार्यरत हैं।

अधिशासी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में विभिन्न सरकारी करों तथा जी0एस0टी की कटौती की जा रही है, लेकिन सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित राजकोष में जमा न करके उसका उपयोग अन्य कार्यों में करके वित्तीय अनियमितता की जा रही है। नगर विकास अनुभाग-6 के पत्र दिनांक 88 (1)9-6-2019-1 नियम/ 2019, दिनांक 08-02-2019 द्वारा उक्त अनियमितता की पुष्टि हुई है, किन्तु दोषी होने के बावजूद श्री नरेन्द्र कुमार से अभी तक अतर्रा का प्रभार हटाया नहीं गया है। इन्होंने अपनी एल0पी0सी0 कूट रचना करके राजकोष से लगभग 55 लाख रुपये अतिरिक्त आहरित कर लिये हैं, जिस पर जिलाधिकारी, बांदा ने दिनांक 08-01-2019 ने नगर विकास विभाग को इनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है, जिसे दबा दिया गया है।

जनपद-बांदा के मा0 प्रभारी मंत्री (मा0 सिंचाई मंत्री) ने समीक्षा बैठक के दौरान नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में वित्तीय अनियमितताओं हेतु श्री नरेन्द्र कुमार को दोषी पाते हुए इनसे अतर्रा का प्रभार हटाने हेतु शासन को दिनांक 18-01-2019 तथा 04-02-2019 को संस्तुति की है, जिसे शासन के अधिकारियों ने दबा दिया है। मैं जनहित में मांग करता हूँ कि श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी से नगर पालिका परिषद्, अतर्रा, बांदा का अतिरिक्त प्रभार हटाकर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन्हें मुख्यालय सम्बद्ध किया जाये और टी0ए0सी0 द्वारा इनके कार्यों/अनियमितताओं की जांच कराई जाय। मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर वक्तव्य की मांग करता हूँ।''

2-नियम-51 के अन्तर्गत मा0 विधायक द्वारा दी गयी सूचना पर जिलाधिकारी, बांदा की आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि-

1-फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है न ही केमिकल खरीद सम्बन्धी निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार-पत्र में किया गया। आयकर, जी0एस0टी0 की धनराशि राजकोष में जमा किये जाने का कोई साक्ष्य भी पत्रावली में नहीं पाया गया है।

2-जे0सी0बी0 मशीन के क्रय में आयकर, जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने न ही स्टाक में प्रविष्टि किया जाना पाया गया है तथा पृथक से तकनीकी जाँच कराया जाना भी नहीं पाया गया।

3-लाइट खरीद, वायर, सोलर लाइट तथा बैट्री की खरीद के सम्बन्ध में श्री मिश्र के कार्यकाल में खरीद न किये जाने तथा कोई पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

4-संविदा के पदों पर भर्ती की जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

5-नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति किया जाना नहीं पाया गया।

6-मटौंध में तत्कालीन अध्यक्ष के सगे दामाद की नियुक्ति सम्बन्धी कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण जाँच आख्या दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया।

7-कान्हा पशु आश्रय योजना में भुगतान के समय आयकर, व्यापार कर तथा लेबर सेस में की गयी कटौती राजकोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं पाये जाने का उल्लेख जाँच आख्या में किया गया है।

8-श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र की एल0पी0सी0/वेतन प्रमाण-पत्र की पुष्टि सम्बन्धित जारीकर्ता कार्यालय से कराया जाना आवश्यक बताया गया है।

9-जी0एस0टी0 की धनराशि को राजकोष में जमा न करके उसका उपयोग अन्यत्र कार्यों में करके वित्तीय अनियमितता किये जाने की जांच संगत अभिलेखों तथा शासन के पत्र दिनांक 08-02-2019 की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं बताया गया तथा जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधान दिनांक 01-10-2018 से लागू होने के बाद उक्त तिथि के उपरान्त किये गये भुगतानों में से टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 की

कटौती नहीं की गयी न ही उसे राजकोष में जमा किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में पाया गया।

श्री नरेन्द्र मिश्रा, अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में लाइट खरीद, केमिकल खरीद तथा जे0सी0बी0 खरीद का ई-टेण्डर न कराकर गोपनीय टेण्डर कराये जाने की तकनीकी जांच न कराये जाने सम्बन्धी शिकायत की जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है न ही केमिकल सम्बन्धी निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार-पत्र में किया गया। आयकर, जी0एस0टी0 की धनराशि राजकोष में जमा किये जाने का कोई साक्ष्य भी पत्रावली में नहीं पाया गया साथ ही श्री मिश्रा द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधान दिनांक 01-10-2018 से लागू होने के बाद उक्त तिथि के उपरान्त किये गये भुगतानों में से जी0एस0टी0 पर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी न ही उसे राजकोष में जमा किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में पाया गया। इसके अतिरिक्त कान्हा पशु आश्रय योजना में भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर तथा लेबर सेस में की गयी कटौती राजकोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व (आयकर, जी0एस0टी0) के सम्बन्ध में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

3-जिलाधिकारी, बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा जो दिनांक 31 मई, 2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महराजगंज जनपद आजमगढ से जारी एल0पी0सी0/वेतन प्रमाण-पत्र की सत्यता की पुष्टि कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं नगर पंचायत, महराजगंज को निर्देश दिये गये थे। जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 21-08-2019 के साथ प्राप्त आख्या दिनांक 20-08-2019 के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महराजगंज जनपद आजमगढ़ की एल0पी0सी0 /वेतन प्रमाण-पत्र की जांच में पाया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र सत्य है तथा कार्यालय नगर पंचायत द्वारा ही जारी किया गया है।

नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में दिनांक 02 अगस्त, 2018 को हुयी तैनाती से नगर पालिका परिषद्, अतर्रा में कार्यरत रहने की तिथि 31-05-2019 तक अर्थात् कुल 09 माह 29 दिन में उनके द्वारा कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच करने हेतु पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2019 द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को निर्देशित कर दिया गया है।

4-शासन से प्रेषित पत्र दिनांक 08-02-2019 के क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, अतर्रा द्वारा दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 28-02-2019 तक रु0 2.50 लाख से ऊपर के सभी भुगतानों पर 02 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती के रूप में कुल रु0 2,75,159.00 (रुपये दो लाख पचहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) को मार्च, 2019 में

आनलाइन जमा कर दिया गया है। अन्य एजेन्सियों द्वारा चालान प्रस्तुत किये जाने पर जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किये जाने की पुष्टि अभिलेखों से हुयी है। अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 17-12-2018 जो श्री शुभकान्त शुक्ला, प्रो0बी0 टेल, पावर कम्यूनिकेशन को सम्बोधित है, में एजेन्सी को जी0एस0टी0 की धनराशि जमा करके चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जी0एस0टी के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में जी0एस0टी0 के भुगतान के सम्बन्ध में प्राविधानित है कि निविदा के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा कार्य सम्पादित कराया जायेगा, जिसके सापेक्ष निकाय द्वारा भुगतान किया जायेगा। फर्म द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा तथा जी0एस0टी0 भुगतान विषयक वाउचर निकाय में जमा करने के उपरान्त (वास्तविक के अनुसार) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म को किया जायेगा।]

जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज व विकास खण्ड मुसाफिरखाना में 14वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री राकेश प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज व विकास खण्ड मुसाफिरखाना में 14वें वित आयोग की धनराशि आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-07-2019 को सूचना दी गई थी।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 में विकास खण्ड-शाहगढ़ में मु0 7,42,99,453, बहादुरपुर में मु0 4,27,13,622, अमेठी में मु0 13,95,53,705, जामों में मु0 8,22,07,324, संग्रामपुर में मु0 16,50,86,815 एवं भेटुआ में मु0 5,48,28,811 की धनराशि सम्बन्धित विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों को अधिक आवंटित हुई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास खण्ड-बाजार शुकुल में मु0 3,53,123, मुसाफिरखाना में मु0 9,48,69,417, सिंहपुर में मु0 16,95,05,101, गौरीगंज में मु0 6,95,88,773, जगदीशपुर में मु0 16,21,65,345, तिलोई में मु0 5,89,32,695 एवं भादर में मु0 32,75,278, इस प्रकार कुल मु0 55,86,89,732/- की धनराशि वर्ष 2016-2017 से 2019-20 की किस्त की धनराशि उक्त विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों को कम आवंटित हुई है।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को प्रदेश की ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण हेतु राज्य स्तर से पूर्व में तैयार साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, जिसका हस्तान्तरण लखनऊ स्थित 09 लीड बैंकों के माध्यम से किया जाता है। आवंटन का साफ्टवेयर 14वें वित्त आयोग के प्रारम्भिक वर्ष में तैयार किया गया था। साफ्टवेयर एवं वर्षवार आवंटन का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि साफ्टवेयर तैयार करते समय जनपद अमेठी के कुल 13 विकास खण्डों में से 12 विकास खण्डों की जनसंख्या के सापेक्ष आवंटन हेतु तैयार इन्डेक्स त्रुटिपूर्ण रूप से मैप हो जाने के कारण धनराशि आवंटन में विसंगति हुई है।

यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से प्राप्त बेसिक ग्रान्ट की द्वितीय किस्त से विसंगति पूर्ण आवंटित धनराशि का समायोजन करते हुए धनराशि सम्बन्धित निकायों/ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गयी है। इस प्रकार समस्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का विसंगतिपूर्ण आवंटन को ठीक कराकर समायोजित कर लिया गया है।]

जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

यह वक्तव्य जनपद प्रयागराज में अवैधानिक ढंग से हो रहे भूमि अधिग्रहण को रोके जाने से सम्बन्धित है, जो श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दी गई सूचना से सम्बन्धित है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह तो जबसे अध्यक्ष हुए हैं तबसे यह सदन उनकी फोटो तक देखने को तरस गया है।

श्री अध्यक्ष-

आज तो सुबह वह सदन में थे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, वह आज सदन में थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहां वेल में दिखे थे, वहां अपनी सीट पर तो दिखे नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब यह लोग दर्शन देने के लिए आपके नजदीक आ जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप इनसे कहिये कि यह लोग दर्शन दिये रहें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

हम आपका संदेश कह देंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो चलिये, इस वक्तव्य को भी पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण सम्पूर्ण नगर में विधि विरुद्ध बल पूर्वक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, शहरी आवास एवं विकास कानूनों, महायोजना 2021 का उल्लंघन करके मध्यम कमजोर वर्ग के हजारों लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर चुका है। किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया।

अभी प्रयागराज के ही बहुत पुराने समय अंग्रेजों के जमाने में बसे मुहल्ले राजापुर (म्योर रोड) में महायोजना 2021 में संलग्न नक्शा नं0 9 तथा अभिलेखों में 8 मी0 से 10 मी0 दर्ज सड़क को निर्मित क्षेत्र से निकाल कर 24 मी0 करने हेतु सैकड़ों मध्यम व कमजोर वर्ग के लोगों के घरों में लाल निशान लगा दिया गया है, बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के अपनी फ्री-होल्ड भूमि पर बने अपने मकान को स्वयं तोड़ने हेतु धमकाया जा रहा है कि न तोड़ने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेज दिया जायेगा। राजापुर मलिन बस्ती है और लोग नीचे दुकान ऊपर मकान बनाकर पुश्त दर पुश्त से प्राधिकरण के गठन से बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, इनकी रोजी-रोटी तथा आवास दोनों इस समय अन्धकार में हैं।

भू-मानचित्र राजापुर देहमाफी परगना व तहसील चायल, जनपद इलाहाबाद सन् 1913 में नगर पालिका (नगर निगम वर्तमान) खसरा मानचित्र में यह 'निर्मित क्षेत्र' था जिसे भू-माफियाओं से साठ-गाँठ कर जान बूझकर बिना स्थलीय निरीक्षण किये इसको हटाकर यहाँ निवासित लोगों को अपनी ही भूमि पर अतिक्रमणकारी बताने का प्रयास किया जा रहा है। राजापुर के मध्यम व कमजोर वर्ग के हजारों लोग इस समय अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं, अनियमितता एवं भय के बीच जी रहे हैं। नागरिकों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित कई

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महिलाओं ने आत्मदाह की भी घोषणा की है जिसके लिए उ0प्र0 सरकार और प्रयागराज प्राधिकरण जिम्मेदार होगा।

अतः अत्यन्त अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर राजापुर (म्योर रोड-स्टैनली रोड चौराहा से पश्चिम म्योर रोड, क्लाइव रोड चौराहा तक) में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अवैधानिक ढंग से लोगों को उजाड़ने को तत्काल रुकवाने, सड़क चौड़ीकरण यदि बहुत आवश्यक है तो विधि संगत ढंग से भूमि अधिग्रहण करके भूमि भवन का मुआवजा दिलाने तथा विस्थापित लोगों का पुनर्वासन कराने तथा प्रयागराज में अवैधानिक एवं गैर कानूनी ढंग से लोगों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के कृत्यों की जाँच कराकर कठोर कार्यवाही कराने की माँग करता हूँ तथा उक्त प्रकरण पर शासन से वक्तव्य की माँग करता हूँ।''

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार म्योर रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रयागराज स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निर्दिष्ट है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमटेड के निदेशक मण्डल की 6वीं बैठक दिनांक 04-07-2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार म्योर रोड का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से 04 लेन सड़क के रूप में कराया जाना है।

प्रयागराज नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अनेक जनहित याचिकाओं में यह निर्देशित किया गया है कि नगर के यातायात को सुगम बनाया जाय, जिसके लिए मार्गों का चौड़ीकरण अति आवश्यक है। प्रश्नगत रोड पर ट्रैफिक पुलिस लाइन चौराहे से बाबा चौराहे तक के भाग में सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण व्यापक जाम की समस्या बनी रहती है। कुम्भ मेला-2019 के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत म्योर रोड के कुछ भाग का चौड़ीकरण किया जा चुका है। इस सड़क के अवशेष भाग का भी चौड़ीकरण कराया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। प्रयागराज हेतु महायोजना-2021 में एवं उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र का जोनल डेवलपमेंट प्लान बना हुआ है, जो दिनांक 18-03-2011 से प्रभावी है। उक्त दोनों दस्तावेजों में प्रश्नगत म्योर रोड की चौड़ाई 24 मी0 है जबकि वर्तमान में 04 लेन सड़क ही प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से दुकानों व भवनों का निर्माण किया गया है। मार्ग चौड़ीकरण की परिधि में आने वाले अनेक भवन/भू-स्वामियों द्वारा अपने निर्माणों/अतिक्रमणों को स्वयं हटा लिया गया है। अवशेष सड़क का चौड़ीकरण अतिक्रमणों/निर्माणों को नियमानुसार हटवाते हुए किया जायेगा, जिसमें किसी व्यक्तिगत भूमि का नियमों के अन्तर्गत ही उपयोग किया जायेगा।

प्रयागराज शहर भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चिन्हित शहरों में से एक शहर है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रयागराज नगर की कई सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण पूर्व में किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित कुछ मार्ग यथा डा0 लोहिया मार्ग, क्लाइव रोड, एस0पी0 रोड, म्योर रोड तक पहुँचते हैं एवं न्याय मार्ग पूर्व से ही म्योर रोड तक स्थित है। लखनऊ, जौनपुर, सुलतानपुर एवं प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले यातायात को जो मा0 उच्च न्यायालय, सर्किट हाउस, राजापुर, अशोक नगर, नेवादा एवं सदर बाजार आना चाहता है उसके लिए यह न्यूनतम दूरी का मार्ग होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। अतः प्रश्नगत सड़क के चौड़ीकरण से बाहर से आने वाले यातायात के साथ-साथ शहरी यातायात को भी अत्यन्त लाभ होगा।]

कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच कराये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

कृषि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मिट्टी की जांच व सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने विषयक श्री उज्जवल रमण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 19-07-2019 के सम्बन्ध में।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(कृषि मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[नेशनल मिशन फार सस्टेनेबुल योजनान्तर्गत संचालित 'मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम' के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से फर्जी ढंग से मृदा परीक्षण कराकर लगभग 50 लाख कृषकों को फर्जी कार्ड वितरण कर 28 से 30 करोड़ रु0 की लूट किये जाने के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

2-उपरोक्त के सम्बन्ध में कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेखों के आधार पर मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

(1) मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्ड वितरण का कार्य किसी निजी संस्था या किसी निजी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया, अपितु मण्डल स्तर पर चयन की गयी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संस्थाओं द्वारा केवल विश्लेषण का कार्य कराया गया था। योजनान्तर्गत प्रथम चक्र (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 मार्च, 2017 तक) में विभागीय प्रयोगशालाओं में विश्लेषित किये गये नमूनों के सापेक्ष तैयार किये गये कार्डों को विभागीय कर्मियों के माध्यम से किसानों को वितरण कराया गया है। द्वितीय चक्र के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भी विभागीय प्रयोगशालाओं एवं मण्डल स्तर से चयन की गयी संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किये गये नमूनों के परिणामों को भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिन्ट कर विभागीय कर्मियों के माध्यम से ही विशेष अभियान चलाकर किसानों को वितरित किया गया है।

(2) प्रथम चक्र में कुल 4927902 नमूनों के सापेक्ष विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की विश्लेषण क्षमता कम होने के कारण 2574680 नमूनों का ही विश्लेषण मार्च, 2017 तक कराया जा सका था तथा 2353222 नमूने अवशेष रह गये, जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2017 तक कुल 7891262 मृदा स्वास्थ्य कार्ड ही वितरित हो पाये थे। योजना के द्वितीय चक्र वर्ष 2017-18 व 2018-19 में भी 4867422 मृदा नमूनों का परीक्षण किया जाना था प्रदेश में परीक्षण किये जाने वाले मृदा नमूनों की संख्या काफी अधिक हो जाने के कारण तत्कालीन कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-127 दिनांक 19-04-2015 एवं तत्क्रम में तत्कालीन अपर कृषि निदेशक (चावल) नोडल अधिकारी, एन0एम0एस0ए0, (मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) के पत्र संख्या-338/दिनांक 15-05-2017 के द्वारा वर्ष 2017-18 बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं झांसी आदि मण्डलों में भारत सरकार की तत्समय प्रचलित गाइड लाइन के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से मृदा विश्लेषण कराने के लिए फर्मों के चयन हेतु निविदाएँ मण्डल स्तर पर आमंत्रित कर फर्मों का चयन मण्डल स्तर द्वारा ही किया गया था। इन मण्डलों में निविदाओं की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा गठित समितियों द्वारा क्रमशः दिनांक 26-07-2017, 12-08-2017, 15-06-2017 एवं 25-08-2017 को की गयी थी, जो बिना ई-टेण्डर में की गयी थी तथा दिनांक 01-09-2017 को शासनादेश हो जाने के कारण निविदायें ई-टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित की गयीं।

चूँकि प्रथम चक्र (मार्च, 2017) की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी 2353222 नमूनों का विश्लेषण अवशेष था तथा 9123311 मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण नहीं हो सका। जिसका मुख्य कारण विश्लेषण संसाधनों का न होना था तथा गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं सहारनपुर आदि मण्डलों में टेण्डर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी थी। इन मण्डलों में भी काफी संख्या में मृदा नमूने विश्लेषण से लम्बित थे। अतः लम्बित मृदा नमूनों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत अन्य मण्डलों में निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर विश्लेषण कार्य कर रही आउटसोर्सिंग संस्थाओं से उनके सहमत होने पर व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अन्य मण्डलों यथा-गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं सहारनपुर आदि में कार्य कराया गया। चूँकि उक्त फर्में पूर्व से ही टेण्डर के आधार पर ही चयनित थीं, अतः उनके चहेती होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश दिनांक 15-01-2018 में दर अनुबन्ध से भिन्न प्रकरणों (यानि कि मात्रा अनुबन्ध के प्रकरणों) में विभागाध्यक्ष को 50 लाख रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं के क्रय का अधिकार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में भारत सरकार द्वारा नमूनों के विश्लेषण एवं भारत सरकार के पोर्टल पर डाटा फीडिंग, कार्ड प्रिन्टिंग एवं लेमिनेशन आदि की दरें पूर्व से ही निर्धारित की गयी। अतः तत्कालीन कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्रांक-शो0 एवं मृ0 सर्वे0/127/एन0एम0एस0एस0/एस0एच0सी0/2017-18 दिनांक 19-04-2017 के क्रम में तत्कालीन अपर कृषि निदेशक एवं नोडल अधिकारी, एन0एम0एस0ए0 के पत्रांक-शो0 एवं मृ0 सर्वे0/338/एन0एम0एस0एस0/एस0एच0सी0/2017-18 दिनांक 15-05-2017 द्वारा निविदा की कार्यवाही मण्डल स्तर पर कराकर कार्य प्रारम्भ कराया गया था।

जहाँ तक 10 लाख रुपये से ऊपर की ई-टेण्डर की बाध्यता का प्रश्न है, इस प्रकरण में ई-टेण्डर व्यवस्था लागू होने के शासनादेश संख्या-21/2017/2723/78-2-2017-42 आई0टी0/2017 टी0सी0, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से पूर्व की निविदाएँ पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की गयी थीं तथा तद्दिनांक के उपरान्त आगरा एवं लखनऊ मण्डल में ई-निविदा के माध्यम से ही कार्यवाही की गयी थी एवं जहां तक कृषि निदेशालय के पत्र दिनांक 26-09-2017 एवं 08-12-2017 का प्रश्न है, ये दोनों पत्र सुझावात्मक हैं। इनमें कोई भी वित्तीय स्वीकृति नही दी गयी है।

(4) सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-1/20 2018/868/18-2 2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनांक 15-01-2018 द्वारा 50 लाख से ऊपर के कार्यों का अनुमोदन शासन स्तर से कराये जाने का प्राविधान है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में मृदा नमूनों का विश्लेषण, भारत सरकार के पोर्टल पर डाटा फिडिंग, कार्ड प्रिन्टिंग व लेमिनेशन आदि का कार्य विशेष प्रकार की तकनीकी सेवाओं का कार्य है जिसमें भारत सरकार द्वारा स्वयं कार्य की प्रति इकाई दरें क्रमशः रु0 150 एवं रु0 50 पूर्व से ही निर्धारित हैं। अतः तत्कालीन अधिकारियों द्वारा प्रचलित नियमों का संज्ञान लेते हुए मण्डल स्तर पर निविदा की कार्यवाही किये जाने के निर्देश पत्रांक-338, दिनांक 15-05-2017 द्वारा दिये गये।

(5) बिन्दु संख्या-4 में वर्णित आख्या के अनुसार तत्कालीन अधिकारियों के स्तर से तत्समय विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप कार्य की विशेष तकनीकी प्रकृति एवं भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दरों के अनुरूप मण्डल स्तर पर निविदा की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी थी। जिसमें सबसे कम दर वाली कम्पनियों को मण्डलीय निविदा समिति के अधिकारियों द्वारा कार्य सौंपा गया। मृदा परीक्षण के कार्य त्वरित गति से सम्पन्न कराने हेतु टेण्डर के माध्यम से ऐसी फर्मों का चयन किया गया जिनके पास अत्याधुनिक आई0सी0पी0-ओ0ई0एस0 मशीन एवं तकनीकी रूप से दक्ष जनशक्ति उपलब्ध थी। अलीगढ़ एवं सहारनपुर मण्डल में वर्ष 2017-18

में किसी प्रकार की निविदा की कार्यवाही नहीं की गयी थी एवं शेष मण्डलों में इस वर्ष में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी थी। परन्तु वर्ष 2018-19 में इन फर्मों के मध्य हुए कार्टेलाइजेशन को समय से पकड़ कर निविदायें निरस्त की जा चुकी हैं तथा प्रथम दृष्टया दोषी 21 अधिकारियों में से 03 अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित जांच समाप्त की जा चुकी है। 01 अधिकारी का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित है, शेष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्रमिक है।

(6) प्रदेश में कुल 18 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। इन प्रयोगशालाओं में संबंधित शाखा के प्रोन्नत किये गये अधिकारियों के अतिरिक्त पूर्व से तैनात अनुभवी अधिकारियों में कोई फेर बदल नहीं किया गया। ये सभी अधिकारी रसायन शाखा के विशेषज्ञ अधिकारी हैं, जो लोक सेवा आयोग से पदोन्नत होकर आये थे। उन्हीं की तैनाती की गयी है। अतः चहेते, अप्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती का आरोप पूर्णतः निराधार है।

(7) प्रकरण की निष्पक्ष जाँच उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन कराकर की गयी। जाँच समिति का कोई भी सदस्य सीधे तौर पर यथा परियोजनाधिकारी अथवा नोडल अधिकारी (योजनाधिकारी) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संचालन से सम्बन्धित नहीं था। प्रकरण में जाँच कराकर जांच में दोषी पाये गये प्रदेश मुख्यालय पर कार्यरत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के परियोजनाधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, उ0प्र0 सहित निविदा समितियों में सम्मिलित कुल 12 अधिकारियों को निलम्बित कर प्रथम दृष्टया दोषी 21 अधिकारियों में से 03 अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित जांच समाप्त की जा चुकी है। 01 अधिकारी का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित है, शेष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्रमिक है। जिन निविदा कम्पनियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज संलग्न कर टेण्डर प्राप्त किये गये उनके समस्त भुगतान रोक कर उन्हें काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी अधिकारी को बचाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(8) प्रकरण को प्राक्कलन समिति के एक सदस्य द्वारा सम्मानित सदस्यों के मध्य उठाया गया था जिस पर समिति को तत्समय अवगत कराया गया था कि सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच की जा रही है। जांचोपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी 21 अधिकारियों में से 03 अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित जांच समाप्त की जा चुकी है। 01 अधिकारी का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित है, शेष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्रमिक है।

(9) एवं (10) तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त के द्वारा की गयी उच्च स्तरीय जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा दोषी पाये गये फर्मों को काली सूची में डाला गया है।]

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मिट्टी की जांच में 30 करोड़ रुपये घोटाले का यह प्रकरण है और इसमें जो जवाब आया है वह छिपा अधिक रहा है और बता कम रहा है। यह मृदा परीक्षण का बहुत बड़ा घोटाला है लेकिन सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है। अभी भी प्रमुख सचिव, पशुपालन और प्रमुख सचिव, उद्यान दो जगहों की जांच एक-एक साल से लम्बित है। सरकार इतने दिनों में इस जांच को क्यों नहीं पूरा कर पा रही है यह हम सरकार से जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने जो जानकारी दी है और जो आपके पास नई जानकारी है आप उस पूरे विवरण को लिख कर दे दीजिये। मैं इनको कहता हूं कि यह उसे दिखवा लेंगे।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मैं इसकी जांच ई0ओ0डब्ल्यू0 यानि आर्थिक अपराध शाखा से कराने की मांग करता हूं और मुझे लगता है कि सरकार अगर पारदर्शिता चाहती है तो वह जांच करायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप नये सिरे से लिख कर भिजवा दीजिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार ई0ओ0डब्ल्यू0 जांच की बात मान ले तो बात यहीं खत्म हो जायेगी।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय सदस्य की मांग के अनुसार इसकी जांच करवा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप वक्तव्य में दिए गए उत्तर का संज्ञान लें तो यह काफी कुछ इन्फारमेटिव है। अगर आप कहें तो इसको पढ़कर सुना दें। मेरा सब्मिशन यह है कि इस प्रकरण को बहुत गहराई और गम्भीरता से लिया गया है फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो इस बिन्दु को अलग से दिखवा लेंगे।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सिर्फ एक मांग है कि इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा से करा ली जाये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

यह भ्रष्टाचार की जांच है कृपया इसको आप करा दीजिये। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि वैसे तो आप कुछ भी कहें शिरोधार्य है लेकिन टाइम बहुत लगता है, हम करा देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने ई0ओ0डब्ल्यू0 की जांच की मांग को मान लिया है, अब हमें कुछ नहीं कहना है। आपने जांच की बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

(हंस कर) हमने स्वीकार कर लिया है ? कहां कह दिया है कि करा देंगे। हमने यह कहा है कि ई0ओ0डब्ल्यू0 से टाइम बहुत लगता है। अगर आप इसी पर प्रेश करेंगे तो जांच कराने में दिक्कत नहीं है लेकिन इट विल टेक टाइम। यह सही है कि इस जांच में टाइम लगता है।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

एक-एक साल से प्रमुख सचिव, पशुधन और प्रमुख सचिव, उद्यान की जांच लम्बित है। इसलिये हम चाह रहे हैं कि इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा से करवा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह है तो कृषि विभाग का। आप पशुधन की बात कर रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

कृषि विभाग का मामला है लेकिन पशुधन विभाग से जांच हो रही है। आप ई0ओ0डब्ल्यू0 जांच करा दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह पहले ही मांग मान चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अब इसमें हम जांच करवा देंगे कोई हमें दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इसमें पहले से हो चुका है। परन्तु चलिये खैर आगे चलिये।

जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ 84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दर की दुकान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ 84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दुकान....

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ग्राम पंचायत राजेपुर की उचित दर विक्रेता श्रीमती श्याम सुन्दरी द्वारा नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता के रूप में लगायी गयी टी0सी0 के फर्जी होने के सम्बन्ध में पूर्व में श्री अवधेश प्रताप सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट राजेपुर, विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव से प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी-फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव से करायी गयी थी। उक्त करायी गयी जांच के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ''सम्बन्धित विद्यालय भगतसिंह जू0हा0 स्कूल, गौसगंज, जनपद हरदोई को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 17-9-1981 को मान्यता प्रदान की गयी है, जबकि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा निर्गत टी0सी0 में शैक्षिक सत्र-1979-80, 1980-81 व 1981-82 दर्शाये गये हैं, जबकि विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक द्वारा निर्गत टी0सी0 में विद्यालय के अभिलेखानुसार मिलान किया जाना प्रमाणित लिखा गया है तथा कथित उक्त विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ष एवं टी0सी0 के शैक्षिक सत्रों में विरोधाभाष स्पष्ट नहीं किया जा सका, अतः टी0सी0 की वैधता संदिग्ध प्रतीत होती है।''

3-इसी बीच श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य उ0प्र0 राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत राजेपुर में मृतकों व अपात्र व्यक्तियों के कार्ड बने होने एवं फर्जी टी0सी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के क्रम में की गयी जांच में अनियमितता पायी गयी तथा उचित दर विक्रेता श्रीमती श्याम सुन्दरी की दुकान का अनुबन्ध पत्र दिनांक 08-08-2017 द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बनोपरान्त उचित दर विक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की जांच में आरोप सिद्ध पाये जाने पर श्रीमती श्याम सुन्दरी की उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र दिनांक 06-8-2018 द्वारा निरस्त किया गया। उक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06-08-2018 के विरुद्ध उचित दर विक्रेता द्वारा मा0 न्यायालय, संयुक्त आयुक्त, (खाद्य) लखनऊ मण्डल, लखनऊ के समक्ष योजित वाद संख्या- सी0 201810000002086/2018 श्याम सुन्दरी बनाम सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14-11-2018 में उचित दर विक्रेता द्वारा योजित उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06-08-2018 को निरस्त कर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए स्पीकिंग

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेश निर्गत करने के आदेश दिये गये। तत्क्रम में प्राप्त उचित दर विक्रेता के स्पष्टीकरण का पुनः विस्तृत परीक्षण किया गया तथा संतोषजनक पाये जाने पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बांगरमऊ द्वारा आदेश दिनांक 30-01-2019 द्वारा अनुबन्ध पत्र बहाल किया गया।

4-प्रकरण में उचित दर विक्रेता द्वारा नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता के रूप में लगायी गयी टी0सी0 पर पुनः शिकायत प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव से प्राप्त सत्यापन आख्या में उक्त टी0सी0 की वैधता विद्यालय स्तर से संदिग्ध पाये जाने के फलस्वरूप उचित दर विक्रेता श्रीमती श्याम सुन्दरी का पक्ष सुनने हेतु उन्हें नोटिस जारी की गयी तथा माह जुलाई, 2019 में अत्यधिक कार्डों पर प्रॉक्सी सुविधा से खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने के कारण उप जिलाधिकारी, बांगरमऊ के आदेश दिनांक 05-08-2019 द्वारा उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत न किये जाने के कारण उन पर लगाये गये समस्त आरोप सिद्ध होने के दृष्टिगत जिलापूर्ति अधिकारी, उन्नाव के आदेश दिनांक 16-08-2019 द्वारा श्रीमती श्याम सुन्दरी की निलम्बित उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्त/समाप्त कर दिया गया है।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि काफी एजेण्डा है, लेकिन यह पहले ही खत्म हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी तो कई बार आए-गये और नाश्ता भी कर लिये, लेकिन हम लोग तो सदन में बैठे ही रह गये।

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर.....

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक अकबरपुर में ग्राम सभा तिवारीपुर के जगत नरायन तिवारी के ढाबे से ग्राम सभा विश्वनाथपुर रमघड़ा तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। मार्ग का 1.25 कि0मी0 भाग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है, जिसकी औसतन चौड़ाई 2.50 मीटर है। मार्ग का शेष 250 मीटर भाग मिट्टी स्तर तक निर्मित है। मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग नहीं है। अतः इस पर मरम्मत की कोई कार्यवाही लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

मार्ग पर पड़ने वाला ग्राम मल्ही विश्वनाथपुर एवं ग्राम रमघड़ा की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 212 एवं 109 है। लोक निर्माण विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 250 से अधिक आबादी की बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने की नीति प्रचलित है। प्रश्नगत संरेखण में बसावटों की जनसंख्या कम होने के कारण जगत नरायन तिवारी के ढाबे से मल्ही विश्वनाथपुर होते हुए रमघड़ा तक मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण किये जाने की वर्तमान में प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।]

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन शुरू होने के पहले दिन और अन्तिम दिन सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है और विधान सभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। कोई कैसे माने की आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और किसी को इस चीज की नोटिस भी नहीं दिया। हम यही याद दिलाना चाह रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इनको भोजन भी कराएंगे और पूड़ी भी खिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपने तो इसका नोटिस ही नहीं दिया (हंसी)। ठीक है अब हम 17 तारीख को प्रातः 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 03 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2020 को दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 14 फरवरी, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी (क)

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 33-36 पर)

क्रम0	जिले का नाम	पोषक का नाम	गजरा/टोला	गजरावार प्रोजेक्ट की घनराशि (लाख में)	जनसंख्या	घरों की संख्या	गाहवार खर्च (किलो वाट घंटा)	ए0बी0 केबिल लगाने के पहले लाइन हानि	ए0बी0 केबिल लगाने के बाद लाइन हानि	ए0बी0 केबिल लगाने के बाद गाहवार ऊर्जा बचत	गाहवार बची ऊर्जा की कीमत	लागत की वापसी अवधि (वर्ष में)
1	आजमगढ़	दीदारगंज	भर बस्ती	3.058	1275	142	17000.0	60%	27%	5610.0	0.31	0.8
2			कंकई	4.224	1700	189	22666.7	60%	27%	7480.0	0.42	0.8
3			कौरा गहरी	5.521	2000	222	26666.7	60%	27%	8800.0	0.49	0.9
4			नोगरी	2.159	1000	111	13333.3	60%	27%	4400.0	0.25	0.7
5			पारा	4.950	1001	111	13346.7	60%	27%	4404.4	0.25	1.7
6			चिरारा	5.290	1510	168	20133.3	60%	27%	6644.0	0.37	1.2
7			राजभर बस्ती	2.345	1280	142	17066.7	60%	27%	5632.0	0.32	0.6
8			गारी	3.760	1500	167	20000.0	60%	27%	6600.0	0.37	0.8

नत्थी (ख)

(देखिये नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 37-43 पर)

(संलग्नक-1)

उ0प्र0 विधान सभा के प्रथम सत्र 2020 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री नाहिद हसन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-10 प्रदेश में विद्युत विभाग के तारो से किसानो की फसल जलकर राख होने की चालू वर्ष 2019-20 में दिनांक 10.05.2019 तक जनपद-शामली में हुई विद्युत दुर्घटनाओं का विवरण :-

क्र0 सं0	दुर्घटना का पूर्ण विवरण (पीड़ित का नाम व पता एवं दुर्घटना की तिथि)	भुगतान का विवरण			टिप्पणी (क्षतिपूर्ति न दिये जाने का कारण)
		चैक संख्या	तिथि	राशि (रूपये में)	
1	दिनांक 27.04.2019 को श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द ग्राम ज्ञान माजरा, पोस्ट-हसनपुर जोहरी, थाना चरथावल, तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर के गेहूँ की फसल में घटित अग्निकाण्ड।	58374	01.10.2019	रू0 12,700.00	निस्तारित
2	26.04.2019 को श्री अफलातून पुत्र श्री शहजाद निवासी ग्राम रानडा, पोस्ट कैराना जिला-शामली के गेहूँ की फसल में घटित अग्निकाण्ड	060969	06.02.2020	रू0 28,000.00	निस्तारित
3	दिनांक 27.04.2019 को श्री मोहित पुत्र श्री धर्मवीर व दो अन्य निवासीगण ग्राम मुण्डेट खादर, पोस्ट-खास, शामली के गेहूँ की फसल में घटित अग्निकाण्ड।	096860 (श्री मोहित) 096861 (श्री सागर) 096863 (श्रीमती सत्यवती)	13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020	रू0 35000.00 रू0 30,000.00 रू0 30,000.00	निस्तारित
4	दिनांक 28.04.2019 को श्री आकाश प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेश सिंह व श्रीमति सरमिष्ठा पत्नी श्री राजेश सिंह ग्राम मनट नन्टी पोस्ट थाना भवन, शामली के गेहूँ की फसल में घटित अग्निकाण्ड।	096858 (श्री आकाश प्रताप सिंह) 096859 (श्रीमती सरमिष्ठा)	12.02.2020 12.02.2020	रू0 12,500.00 रू0 12,500.00	निस्तारित
5	दिनांक 28.04.2019 को श्रीमती राजकली पत्नी स्व0 श्री रघुवीर सिंह, ग्राम खेड़ा गदाई, थाना भवन, शामली के गेहूँ की फसल में घटित अग्निकाण्ड।	096862	13.02.2020	रू0 48,000.00	निस्तारित
		कुल भुगतान की गयी धनराशि		रू0 2,08,700.00	

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संलग्नक-01

नत्थी (ग)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-05 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 44 पर)

मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड पुवायां
पोषक पर क्षमतावार वितरण परिवर्तकों की सूची

10 के0वी0ए0	16 के0वी0ए0	25 के0वी0ए0	63के0वी0ए0	100 के0वी0ए0	250 के0वी0ए0	400 के0वी0ए0	630के0वी0ए0	वितरण परिवर्तकों की कुल संख्या
753	348	3306	3757	109	268	419	1	8961

अधीक्षण अभियन्ता
शाहजहांपुर

संलग्नक-02

उपभोक्ताओं का श्रेणीवार भार का विवरण

क0सं0	श्रेणी	भार
1	LMV-1	76272.5
2	LMV-2	6458.83
3	LMV-4 A	467.44
4	LMV-4 B	474.44
5	LMV-5	64992.5
6	LMV-6	1664.87
7	LMV-7	218.89
8	HV-1	125
9	HV-2	11825
कुल भार		162499.47

अधीक्षण अभियन्ता
शाहजहांपुर

नत्थी (घ)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 45-47 पर)

क्र0	ब्लाक	ग्राम	कार्य प्रगति
1	बण्डा	बरीभरा	
2	बण्डा	गधुलिया	
3	बण्डा	पिपरिया धारी	
4	बण्डा	देवकली	कार्य पूर्ण
5	बण्डा	उगरासेंआ मिन्नी	
6	बण्डा	अखत्यारपुर बोकल	
7	बण्डा	गौंगी	
8	बण्डा	गकरा(दापुर	
9	बण्डा	उदरा टिकरी	
10	बण्डा	पट्टी छजलूपुर	
11	बण्डा	जमाहा डाह	
12	बण्डा	नगीची	
13	बण्डा	रामटाला	
14	बण्डा	जमुनिया नवदिया	
15	बण्डा	कन्धरपुर आल्हादपुर	
16	बण्डा	उदयगुर खखरा	
17	बण्डा	गानपुर पिपरियरा	
18	बण्डा	इंतग नगला	
19	बण्डा	सिंघापुर पेनाई	कार्य पूर्ण
20	बण्डा	फुलुग जुझारपुर	कार्य पूर्ण
21	बण्डा	विशहागपुर झाझरिया	कार्य पूर्ण
22	बण्डा	भगवन्त नगर फातेपुर	
23	बण्डा	इन्दलपुर	
24	बण्डा	ददूरी	कार्य पूर्ण
25	बण्डा	उगनपुर	कार्य पूर्ण
26	बण्डा	धरमन्दापुर बुजुर्ग	कार्य पूर्ण
27	बण्डा	भाउटा जगालपुर	
28	बण्डा	बाजपुर केसारी	
29	बण्डा	अजोधपुर	
30	बण्डा	कन्धेरमोरा	
31	बण्डा	डका घनश्यामपुर	कार्य पूर्ण
32	बण्डा	कुडरा	कार्य पूर्ण
33	बण्डा	नटिउरा	
34	बण्डा	रूरा	कार्य पूर्ण
35	बण्डा	कैठ ज.चेहरा	कार्य पूर्ण
36	बण्डा	अन्नापुर	
37	बण्डा	दिहुना	
38	बण्डा	मुनाह ज.खगरिया	
39	बण्डा	चिल्लोटा	कार्य पूर्ण
40	बण्डा	शिवनगर	कार्य पूर्ण
41	बण्डा	शिवपुरी खन्जी	कार्य पूर्ण
42	बण्डा	रोवापुर छेपघाट	
43	बण्डा	खबराउआ रोवा	
44	बण्डा	आलमपुर पिपरिया	कार्य पूर्ण
45	बण्डा	पडरिया दलेलपुर	

नत्थी (ङ)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 48-50 पर)

जनपद बस्ती के सरकारी विभागों पर विद्युत बकाया का विवरण

विभाग का नाम	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम		विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय		विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय		विद्युत वितरण खण्ड-दर्यिा		विद्युत वितरण मण्डल-बस्ती	
	संयोजनों की संख्या	बकाया (लाख में)	संयोजनों की संख्या	बकाया (लाख में)	संयोजनों की संख्या	बकाया (लाख में)	संयोजनों की संख्या	बकाया (लाख में)	संयोजनों की संख्या	कुल बकाया (लाख
कृषि	5	9.57			3	11.62			8	21.19
पशुपालन	2	2.37	1	0.05	3	9.87	2	6.95	8	19.24
बस्ती विकास प्राधिकरण	1	0.21							1	0.21
पशिक्ष नगर	1	1.66							1	1.66
सहकारिता	1	0.04							1	0.04
जिला प्रशासन	8	27.52					5	25.82	13	53.34
शिक्षा	14	66.40	184	344.03	156	273.98	272	505.56	626	1189.97
विद्युत सुरक्षा	1	0.59							1	0.59
लेखागार	1	0.30							1	0.30
वन	1	0.28							1	0.28
उच्च शिक्षा	1	0.20	1	0.71			5	8.61	7	9.52
स्वास्थ्य	10	55.22	32	241.96	122	275.36	39	190.52	203	763.06
औद्योगिक	2	1.24							2	1.24
सिंचाई	17	37.14					2	15.74	19	52.88
खाद्य एवं रसद	3	0.82							3	0.82
श्रम	1	1.17							1	1.17
गृह	8	57.17	8	21.72	4	4.23	8	9.45	28	92.57
लोक निर्माण	9	22.88					2	1.96	11	24.84
देसंव	1	3.71					3	5.71	4	9.42
राजस्व	7	6.16	3	10.67			4	4.21	14	21.04
सड़क परिवहन	1	0.02					1	0.05	2	0.07
ग्रामीण विकास	5	16.57	2	9.1	4	12.08	4	13.09	15	50.84
खेल	2	4.39							2	4.39
उद्यान	4	11.55			1	7.5			5	19.05
समाज कल्याण	4	12.99	1	20.23	1	0.22	1	1.36	7	34.80
दूरसंचार	3	19.21	19	223.05	1		14	57.77	36	300.03
प्रशिक्षि शिक्षा			1	5.74					1	5.74
शहरी विकास			1 -	0.56			1	0.02	2	0.58
निर्माण निगम					1	1.63			1	1.63
खादी ग्रामोद्योग							1	6.81	1	6.81
कुल योग	113	359.38	253	877.82	295	596.49	364	853.63	1025	2687.3

मुख्य अभियन्ता(वि0)

नत्थी (च)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 51 पर)

औद्योगिक संयोजनों का विवरण

क्र0सं0	नाम	श्रेणी
1	श्री जगदीप सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह खुटार रोड थण्डा	12005
2	श्री मो0 हफीज पुत्र श्री नजमुल्ला, खानपुर कुरसण्डा	12008
3	श्री सावन कुमार गुप्ता, बडागॉव	12010
4	श्री रामऔतार पुत्र श्री मूधरलाल, रनमस्तपुर	12012
5	श्री बी.के. कोल्ड स्टोर रूजहा कला खुटार	एच0यी0.2/201
6	मै0 सीड प्लान्ट पार्थ गोयल, थण्डा	12013
7	बडौदा स्वरोजगार ग्रामीण नियामतपुर	12016
8	श्री राजकमार सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह, नियामतपुर	12017
9	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री पप्पू प्रसाद, कमलापुर	12020
10	श्री जे0पी0 देवल राइस मिल, थण्डा	एच0वी0.2/202
11	श्रीराम इण्डस्ट्रीज, थण्डा	एच0वी0.2/203
12	सनरूप एग्री इण्डस्ट्रीज, थण्डा	एच0वी0.2/204
13	श्री गजानन इण्डस्ट्रीज, खुटार	एच0वी0.2/205
14	श्री रमेश कुमार सक्सेना, बडागॉव	12062
15	रवि अवस्थी, भिलावा	12064
16	श्री कुलदीप कुमार, थण्डा	एच0वी0.2/206
17	श्री ओम राइस मिल, थण्डा	एच0वी0.2/207
18	श्री कामता प्रसाद रौतापुर कलां	12066

Superintending Engineer
Electy. Distn. Circle
M.V.V.N.L.
Shahjahanpur

E.E.

वाणिज्यिक संयोजनों का विवरण

AL NO.	नाम	पिता का नाम	संयोजन संख्या
1	शुयेब खान	शमशाद खॉ	3165320418822
2	अरवती	कृष्ण किशोर	3165420418823
3	सतीश	राम प्रसाद	3165320418824
4	अनुज कुमार	रमेश चन्द्र	3165420418830
5	करमीर सिंह	बीर सिंह	3168005418831
6	रामनरेश गुप्ता	घासी	3165320418833
7	मैनेजर बलदेव सिंह	करनैल सिंह	3167020418835
8	सरस्वती शिशु मंदीर खुटार		3165320418839
9	सरस्वती स्कुल गंगसरा		3167020418840
10	अजीत सिंह	अनोख सिंह	3165320418852
11	सम्राट बारल	श्रीधर	3165320418854
12	जसवीर सिंह	पूरन सिंह	3165320418856
13	श्रवण सिंह	पूरन सिंह	3165320418857
14	सन्दीप सिंह	संतोष सिंह	3165320418859
15	रवीन्द्र कुमार	कृष्ण मिश्रा	3165320418863
16	इसलामुद्दीन	मो0 मन्दीन	3168010418865
17	शुभम सिंह	गुरमीत सिंह	3165320418867
18	गुरुप्रीत सिंह	हरपाल सिंह	3165420418868
19	हरदीप सिंह	हरपाल सिंह	3165320418869
20	मनोज कुमार	रामकुमार	3167030418870
21	कृष्ण सक्सेना	सियाराम	3165320418879
22	सत्यम गुप्ता	राकेश कुमार	3167030418882
23	हरिशंकर अवस्थी	राजकुमार	3165320418890
24	नरेन्द्र कौर	कुलदीप सिंह	3165520418895
25	गौरव त्रिपाठी	अशोक त्रिपाठी	3165420419405
26	विटोली देवी कालेज		3165420419406
27	शिला देवी	लाल जीत	3167040419425
28	आफताव खॉ	महमुद खॉ	3165420419428
29	अवधेश यादव	नेउर यादव	3167020419429
30	सतीश सिंह	विश्राम सिंह	3165520419431
31	जाकिम अली	अली रजा	3165420419432
32	हरजीत सिंह	जागीर सिंह	3167040419435
33	बैजाद खॉ	रज्जाक खॉ	3165520419436
34	अवधेश	रामऔतार	3165420419440
35	युगल किशोर	शिवशंकर	3165520419663
36	विनोद सिंह	कृष्ण पाल सिंह	3165420419664

37	मंयक गुप्ता	विनोद कुमार	3165420419667
38	शिवम मिश्रा	अशोक कुमार	3165420419668
39	मो0 हनीफ	अब्दुल नसीर	3165420419669
40	बावला गुप्ता	विपुल गुप्ता	3168010419671
41	अमित सिंह	अशोक सिंह	3164119329750
42	नाजिम अली	याक अली	3164120329754
43	विवेका नन्द	बाबू राम	3168010329756
44	श्रीमती राजवन्त कौर	दिदार सिंह	3164120329757
45	विशाला शर्मा	लक्ष्मण प्रसाद	3164119329758
46	संजय कुमार मिश्रा	रामलखन	3164119329761
47	[illegible]	इसरार	3167040329762
48	राजेन्द्र प्रसाद	मगली प्रसाद	3167040329765
49	राजेंद्र कुमार	नोखे लाल	3164120329767
50	योगेश कुमार	रामासरे वैश्य	3167020329768
51	अनुज कुमार	राम औतार	3164119329771
52	श्री राज पांडे	जलाल पांडे	3164120329773
53	विनोद रस्तोगी	चंद्रा भेल रस्तोगी	3164120329775
54	महेश चंद्रा शुक्ला	बालक राम	3165420329782
55	मो साईद	मोहम्मद हनीफ	3167040329785
56	शिवेंद्र कुमार सिंह	राजेन्द्र सिंह	3167040329787
57	अमित गुप्ता	रामाकान्त गुप्ता	3164119329790
58	कौशलेन्द्र मिश्रा	रामकृष्ण मिश्रा	3164120329791
59	साचिन गुप्ता	महेश चन्द्र गुप्ता	3164119329792
60	नाजिम मनसूरी	जमालुद्दीन	3164119329795
61	शुभम गुप्ता	रामकुमार गुप्ता	3164119329800
62	उतकर्स	मैथलेश कुमार गुप्ता	3167020331305
63	श्रीमती सुमन गुप्ता	राम मोहन गुप्ता	3164119331307
64	चंद्रा पाल सिंह	पूरन सिंह	3164119331308
65	पूरन लाल मिश्रा	श्री चद्र मिश्रा	3164119331309
66	श्रीमती रंजना गुप्ता	रामचंद्र गुप्ता	3164119331310
67	आशीष कुमार	विजय सिंह	3164119331319
68	पावन कुमार बाजपेई	ब्रजेश कुमार बाजपेई	3164119331320
69	पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता	सुंदर नाथ	3164119331321
70	दवीन्द्र सिंह	पूरन सिंह	3164119331328
71	श्रीमती मिथलेश मिश्रा	अनिल कुमार मिश्रा	3162520331329
72	शिवाकान्त	रामबहादुर	3167020330330
73	मनिन्दर सिंह	जसविन्दर सिंह	3164120331338
74	शहजमा	गुलाम मोहम्मद	3164119331341

75	धुव ऑटो मोबाइल	अशोक कुमार	3162520331351
76	शिवम गुप्ता	संजय गुप्ता	3164119331352
77	शंकर दयाल	कालीचरण	3167020331353
78	शुभाष चन्द्र गुप्ता	सूरज प्रसाद	3164119331355
79	राम कृपाल	आशाराम	3164119331356
80	प्रदीप मिश्रा	शिव अवतार	3164120331357
81	देवेश पांडे	सत्य देव पाण्डेय	3164120331377
82	श्रीमती सम्मी अरोरा	हेमन्त अरोरा	3164119331380
83	अब्दुल्ला	शफी उल्ला	3164119331396
84	सचिन	प्रेम चन्द	3164120331398
85	जीत सिंह	रुढ सिंह	3164119331402
86	शमशेर सिंह	मंगल सिंह	3167020331404
87	सुखदेव सिंह	बलविंद्र सिंह	3167020331405
88	रामविनोद	सुमेर लाल	3167040331411
89	हेमंत कुमार	भगवानदास	3164119331424
90	प्रबंधक यूनियन बैंक		3164120331432
91	विजेन्द्र कुमार शुक्ल	दरवारी लाल	3164119331436
92	राहीश खान	इसतियाक खान	3167020331455
93	निर्भय गुप्ता	ओम गुप्ता	3167020331456
94	विवेक कुमार गुप्ता	संजीव गुप्ता	3167020331457
95	श्रीमती सर्वजीत कौर	परमजीत सिंह	3167040331462
96	शैलेन्द्रा कुमार शुक्ला	जंग बहादुर शुक्ला	3164119331471
97	सलीमुद्दीन	शाहबुद्दीन	3167040331485
98	चंद्रा शेखर दीक्षित	अनिल कुमार दीक्षित	3167040331486
99	सन्तोष कुमार	हीरा लाल	3167040331497
100	भूषन बीर सिंह	राजेन्द्र सिंह	3167040331498
101	जय प्रंकाश	राम स्वरुप	3167040331499
102	श्रीमती रेशमा अनसरी	रफी अनसारी	31625203315032
103	मिन्टू वैश्य	मिलन वैश्य	3164120331505
104	मुनेश शुक्ला	बाबू राम शुक्ल	3164120331506
105	कुलविन्दर सिंह	बलवीर सिंह	3164120331509
106	पीयुष गुप्ता	जगदीश प्रसाद	3164119331519
107	इन्सान	जुल्ला	3162520331557
108	कमलेश वर्मा	राकेश कुमार	3164120331558
109	विकेश राठौर	महिपाल	3164120331559
110	अनुज शुक्ला	अनिल शुक्ला	3167040331579
111	फतेन्द्र वर्मा	पूरन लाल वर्मा	3167040331531
112	इमदाद हुसैन	नजरुद्दीन	3167040331581

113	अवनीश कुमार	अनिल कुमार	3164120331582
114	शालिनी गुप्ता	संजय गुप्ता	3164120331583
115	सुनील अग्रवाल	रामदास अग्रवाल	3164120331584
116	नारायण गुप्ता	अशोक कुमार गुप्ता	3164120331585
117	श्रद्धा देवी	महादेव	3164120331586
118	संजीव कुमार गुप्ता	गंगा राम गुप्ता	3164120331587
119	चरण प्रीति सिंह	जितेन्द्र पाल सिंह	3164120331588
120	सन्तोष कुमार	सुखदेव	3164120331589
121	आरिफ खान	हसन खान	3164120331595
122	श्रीमती राम सुक्खी	रामासरे पांडे	3164120331599
123	सोनू	भगवानदास	3164120331602
124	[illegible]		3164120331603
125	मुजम्मिल खान	सफीउल्ला खान	3162520331609
126	अमर प्रकाश सिंह दुर्ना	नरेश सिंह	3167040331667
127	गुरुपाल सिंह	रविन्द्र सिंह	3167040331668
128	नेहा गुप्ता	जितेन्द्र गुप्ता	3164120331688
129	बालवीर सिंह	संता सिंह	3164120331690
130	मीरा गुप्ता	अशोक कुमार	31641193316914
131	अंकित गुप्ता	राजीव गुप्ता	3164119331701
132	रामचंद्र	धनीराम	3164120331703
133	नरेंद्र कुमार	श्याम लाल	3162520331717
134	अर्पित गुप्ता	सतीष चन्द्र	3164119331718
135	अकील	जाबिर अली	3164119331719
136	मुक्ता विदुम अग्निहोत्री	गजेंद्र दत्त अग्निहोत्री	3164120331720
137	मीनू देवी	प्रदीप कुमार	3164120331721
138	सुमित गुप्ता	सुरेश चन्द्र गुप्ता	3164120331723
139	शक़ील	नासिर खान	3162520331743
140	अमित राना	सूरज प्रसाद	3164120331751
141	नवीन कुमार	कैलाश	3164119331831
142	रामेन्द्र कुमार	चेतराम	3164120331836

संलग्नक-01

नत्थी (छ)

(देखिये नत्थी 'ख' अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 52 पर)

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 134, पुवायाँ के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-पुवायाँ, शाह0 के कार्यशाला खण्ड से सम्बन्धित सूचनायें निम्नवत हैं:-

प्रश्नांश	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	आख्या										
			परिवर्तक की क्षमता (के0वी0ए0) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक									जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019	
			10	16	25	63	100	160	250	400	630	योग	परिवर्तक की मरम्मत पर कुल खर्च (करोड़ में)
विधान सभा क्षेत्र 134 पुवायाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक में परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता एवं क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को मरम्मत में लगे व्यय का विवरण।	शाहजहाँपुर	पुवायाँ	119	34	794	229	66	2	6	–	–	1250	1.959

नत्थी (ज)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 53-58 पर)

(वर्ष–2019–20)		
माहवार मुख्यालय को स्थानान्तारित धनराशि का विवरण		
		करोड़ में
अप्रैल–2019	–	2.87
मई–2019	–	3.18
जून–2019	–	2.92
जुलाई–2019	–	3.05
अगस्त–2019	–	3.60
सितम्बर–2019	–	2.99
अक्टूबर–2019	–	3.18
नवम्बर–2019	–	4.09
दिसम्बर–2019	–	4.64
जनवरी–2020	–	7.04
कुल योग	–	37.56
प्राप्त लक्ष्य	–	64.19

संलग्नक-02

क्र0	नाम	एफ0आई0आर
1	स्व0 श्री समीर पुत्र श्री शेराली	138 बी
2	मो0 अहमद पुत्र. श्री मो0 सैनी	138 बी
3	मो0 हासिम पुत्र श्री मो0 आरिफ	138 बी
4	श्री सोनपाल पुत्र श्री सहदेव पाल	138 बी
5	मैयालाल पुत्र श्री बैवी लाल	138 बी
6	ओम प्रकाश पुत्र श्री केशव दयाल	138 बी
7	राकेश पुत्र श्री हेमराज	138 बी
8	रामगुलाम पुत्र श्री नत्थू लाल	138 बी
9	जावेद पुत्र श्री नासरुल्लाह	138 बी
10	जावेर पुत्र श्री नासरुल्लाह	138 बी
11	इक्बाल पुत्र श्री करामात	138 बी
12	नाथू पुत्र श्री रज्जाक	138 बी
13	इरफान पुत्र श्री करामात	138 बी
14	अर्जुन प्रसाद पुत्र श्री राम भरोसे	138 बी
15	श्रीमती अर्चना पत्नी श्री मुकेश कुमार	138 बी
16	विनोद कुमार शुकला पुत्र श्री त्रिवेणी सहाय शुक्ला	138 बी
17	शिवपाल पुत्र श्री मुन्ना	138 बी
18	श्री राम खिलारी पुत्र श्री फेरुल	138 बी
19	ओम प्रभाष पुत्र श्री सालीग्राम	138 बी
20	जगदीश सिंह पुत्र श्री भैकू लाल	138 बी
21	वीरसिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह	138 बी
22	लखविंदर सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह	138 बी
23	रजनीश कुमार पुत्र श्री जगदीश	138 बी
24	राम किशोर पुत्र श्री कोल्हिल	138 बी
25	गोदान लाल पुत्र श्री नारायण लाल	138 बी
26	बालवीर सिंह पुत्र श्री गुरु बैक्स सिंह	138 बी
27	दरसन सिंह पुत्र श्री चनन सिंह	138 बी
28	मुखतियार सिंह पुत्र श्री बाहाल सिंह	138 बी
29	जनीफ पुत्र श्री शफीउल्लाह	138 बी
30	मशरूदीन पुत्र श्री इसरार	138 बी
31	लतीफ पुत्र श्री नासिर अहमद	138 बी
32	श्रीमती जेयाबगम पत्नी श्री सागीर आलम	138 बी
33	मूर मोहम्मद पुत्र श्री अतीउल्लाह	138 बी
34	सत्य पाल पुत्र श्री राजाराम	138 बी
35	बाल्दीव सिंह पुत्र श्री इंद्र सिंह	138 बी
36	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह	138 बी
37	सता सिंह पुत्र श्री बरियन सिंह	138 बी
38	श्रीमती कुलवत कुमार पत्नी श्री भजन सिंह	138 बी
39	बलदेव सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह	138 बी
40	हरि प्रसाद पुत्र श्री जय लाल	138 बी

	रन सिंह पुत्र श्री राजा राम	138 बी
	वेदराम पुत्र श्री रमेश चन्द्र	138 बी
	राजपाल पुत्र श्री द्वारिका	138 बी
44	तेजराम पुत्र श्री शिव दीन	138 बी
45	राम सरन पुत्र श्री उजागर	138 बी
46	छविनाथ पुत्र श्री राम भरोसे	138 बी
47	बालक राम पुत्र श्री हरिलाल	138 बी
48	वीरेंद्र कुमार	138 बी
49	ओमप्रकाश	138 बी
50	पप्पू पुत्र श्री केदार	138 बी
51	बालकराम पुत्र श्री सीताराम	138 बी
52	रामपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप	138 बी
53	श्याम सिंह पुत्र श्री धीर सिंह	138 बी
54	श्रीराम पुत्र श्री लोका सिंह	138 बी
55	कालीचरण पुत्र श्री भोला सिंह	138 बी
56	शाह आलम पुत्र श्री अजरूल	138 बी
57	शमशाद पुत्र श्री इरशाद खान	138 बी
58	कल्लू खान पुत्र श्री इस्माइल खान	138 बी
59	छोटे खान पुत्र श्री अजवली खान	138 बी
60	कासीन खान पुत्र श्री इसामुल्ला खान	138 बी
61	वसी अहमद पुत्र श्री रफायत खान	138 बी
62	सतार खान पुत्र श्री करमाली खान	138 बी
63	सिद्दीकी खान पुत्र श्री अन्नू खान	138 बी
64	कलीमुल्ला खान पुत्र श्री सफीउल्ला खान	138 बी
65	जाहिर खान पुत्र श्री मतलो कहन	138 बी
66	इसमाक खान पुत्र श्री मिन्टू	138 बी
67	नोखे लाल	138 बी
68	शभू श्री	138 बी
69	श्री दशरथ	138 बी
70	सत्यपाल	138 बी
71	राजेंद्र कुमार	138 बी
72	राम नरेश	138 बी
73	राम सूरेंद्र	138 बी
74	राम मुरारी	138 बी
75	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह	138 बी
76	नरेश सिंह	138 बी
77	चुएई	138 बी
78	जोरी लाल	138 बी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (विद्युत) बरेली क्षेत्र, बरेली

धारा-5 द्वारा प्रेषित धारा-5 /आपत्तीय के विवरण हेतु प्रारूप

लाइन का नाम	माह जनवरी 2018 से जनवरी 2019					अधिग्रहण से लिए जाने वाली भावी वनस्पति की कुल वनस्पति (कि0 लाख)	जमाबन्दी विवरण दिनांक 16.01.2020			
	धारा-5/आपत्तीय की कुल संख्या	वनस्पति (लाख में)	जिलाधिकारी द्वारा धारा-5 की नोटिस जिले वार की संख्या	अधिग्रहित धारा-5 की आपत्तीय की वनस्पति (कि0 लाख में)	जिलाधिकारी द्वारा धारा-5 की नोटिस पर समस्त आपत्तीय के समाधान किये जाने की कार्यवाही (संख्या)		वर्तमान में उपलब्ध वनस्पति (कि0 लाख)	नेट वनस्पति जल एवं (कि0 लाख)	वर्तमान में उपलब्ध वनस्पति (कि0 लाख)	अन्य विवरण
2	3	4	5	6	7	8	4+8=9	10	9-10=11	12
EDD-POWAYASPN	255	245.68	69	79.12	18	0	165.66	28.99	137.57	

(एन0के0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता

नत्थी (झ)

(देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 59 पर)

अविद्युतीकृत मजरों की सूची सौभाग्य योजना द्वितीय चरण विधानसभा लालगंज

संलग्नक-01

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	विधायक का नाम	ग्राम का नाम	मजरों का नाम
1	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अछीछी	अछीछी
2	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अगहता	गौर्या बस्ती
					हरिजन बस्ती
3	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अहिरौली खिजिरपुर	अहिरौली खिजिरपुर
4	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अकबरपुर तरफकाजी	अकबरपुर तरफकाजी
5	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अकबालपुर	अकबालपुर
6	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बघरावा उर्फ मोलनापुर	बघरावा उर्फ मोलनापुर
					हरिजन बस्ती
7	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बानरपुर	बारनपुर
					चौहानबस्ती
					हरिजन बस्ती
8	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बरसेरवा	बरसेरवा
9	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बसहीं	बसहीं
10	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बीबीपुर कलीचाबाद	बीबीपुर कलीचाबाद
11	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चाँदपुर बछिनी	हरिजन बस्ती
12	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चौकी देवगाँव	चौकी देवगाँव
13	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चौकी नसरतपुर	हरिजन बस्ती
14	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चिरकिहिट	मस्तवानी
15	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चिउथरा	हरिजन बस्ती प्रथम
					हरिजन बस्ती द्वितीय
16	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	देवनाथपुर	देवनाथपुर
					अहिरान
					डोमनपुर
					हरिजन बस्ती
17	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	फैजुल्लाहपुर	फैजुल्लाहपुर
					हरिजन बस्ती
18	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	फिरोजपुर उर्फ पुरा बैजू	फिरोजपुर
19	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गंगापुर	यादव बस्ती
20	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गरौली	हरिजन बस्ती
21	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	घोर साहना	घोर साहना
22	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गोबर्धनपुर	गोबर्धनपुर
23	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गोगही	हरिजन बस्ती
24	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हालेपुर	हालेपुर
25	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हिलालपुर	हरिजन बस्ती
26	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जगदीशपुर खुर्द	जगदीशपुर खुर्द
27	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जालेसरी	जालेसरी
28	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जिगनी	जिगनी
29	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	कलीचाबाद	हरिजन बस्ती
					कलीचाबाद
30	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	कल्यानपुर मानिकपुर	कल्यानपुर मानिकपुर/रायबस्ती
31	लालगंज	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	करचा देवगाँव	हरिजन बस्ती
					करचा देवगाँव खास
					कोइरान

					मुसलमान बस्ती
32	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	कथौनी	हरिजन बस्ती
					कथौनी
					चटिया पुरवा
					यादव बस्ती
33	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	खेतउरा	खेतउरा
					हरिजन बस्ती
34	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	किशुनपुर	चौहान पूरा
35	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	लाखीपुर	लाखीपुर
36	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मधुपुर धरंग	पासी पुरवा
					यादव बस्ती
					राय पुरवा
37	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मरहटी	हरिजन बस्ती
					भरहटी खास
					यादव बस्ती
38	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मौलानीपुर	मौलानीपुर
39	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मई खरगपुर	हरिजन बस्ती दक्षिण/राय बस्ती
					हरिजन बस्ती पश्चिमी
					बड़ा सरोज पुरवा
40	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मेहरो खुर्द	मेहरो खुर्द
41	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मिर्जापुर आदमपुर	हरिजन बस्ती
42	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	मोनीपुर उर्फ नई कोट	चौहान बस्ती
43	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	रामचन्दरपुर	रामचन्दरपुर
44	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	रतनपुर	अहिराना
					रतनपुर
45	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	रतौरी	रतौरी
46	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	रेवसा	रेवसा
47	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	साफीपुर उर्फ सरूपहुवा	सौपहा
48	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	सहारी बन्धा	बन्धा
49	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	शेखपुर बछौली	हरिजन बस्ती
					रामगछी
50	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	सिकरौरा	हरिजन बस्ती
51	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	सोफीपुर	भरौटी
					हरिजन बस्ती
52	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	श्रीकान्तापुर	हरिजन बस्ती
					मुस्लिम बस्ती
					श्रीकान्तापुर
					यादव बस्ती
53	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	ताहिरपुर सकहा	ताहिरपुर सकहा
54	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	तरफकाजी	हरिजन बस्ती द्वितीय
55	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	ठखौवा	हरिजन बस्ती
				ठखौवा	ठखौवा
56	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	टीकरगढ़	हरिजन बस्ती
					मुस्लिम बस्ती
					बक्सानगर
57	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	तिरौली	तिरौली
					यादव बस्ती
58	लालगंज	लालगंज	गा0 आजाद अरिमर्दन	उसेन्टा	हरिजन बस्ती

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उपेन्दा
59	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अहिबरनपुर	अहिबरनपुर
60	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अहिरौली	लोहार बस्ती
					पासी बस्ती
					ठाकुर बस्ती
61	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अमउरा	हरिजन बस्ती उत्तरी
62	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर
63	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	असवनियाँ	हरिजन बस्ती प्रथम
					हरिजन बस्ती द्वितीय
					हरिजन बस्ती तृतीय
64	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	अवदह खास	धोबियान
65	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बागपुर	बागपुर
66	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बाकेस	भरौटी 2
					बाकेस
					मुसहर बस्ती
67	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बक्सपुर	बक्सपुर
68	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बालपुर	बालपुर
69	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बड़ागाँव	बाभन बस्ती
					भरौटी पूर्वी
70	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बरसाँवा	बरसावा
71	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बरवा	बरवान चौहान बस्ती
					चौहान बस्ती दक्षिण
					हरिजन बस्ती
72	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बउवापार	मुसहर
					बाजार
					चौहान बस्ती
					हरिजन बस्ती
					पासी बस्ती
					यादव बस्ती
73	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बेला खास	यादव बस्ती 2 (पकड़िया)
					बेला खास
					हरिजन बस्ती
					यादव बस्ती
					बेला खास
					हरिजन बस्ती
					पासी बस्ती
					चौहान बस्ती
74	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	भगउतीपुर	भगउतीपुर
75	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	भउतर चक भवतर	भउतर चक भवतर
76	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	भूलनडीह	भरौटी
77	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बिजौली	हरिजन बस्ती
					पसियान
					यादव बस्ती
78	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	बीकापुर	भरौटी
79	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चक गुलाबराय	चक गुलाबराय
80	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चकिया	चकिया
					पासी बस्ती
81	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चन्द्रभानपुर	हरिजन बस्ती पूर्वी
					पासी बस्ती

					यादव बस्ती
82	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चौकी बरदह	चौकी बरदह
83	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	छत्तरपुर	हरिजन बस्ती उत्तरी
					मुस्लिम बस्ती
					पसियान
					छत्तरपुर
84	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	चिउटहीं	चिउटहीं हरिजन बस्ती
					लोहरान
85	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	दरियापुर	मुस्लिम बस्ती
86	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	धावन्तपुर	धावन्तपुर
					गड़ेरिया
87	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	डोरीपुरा	डोरीपुरा
					यादव बस्ती
88	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	दुर्गापुर	दुर्गापुर
					यादव बस्ती
89	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	इरनी	भरौटी उत्तरी
					भरौटी दक्षिणी
					खदुई पुरवा पूर्वी
					यादव बस्ती
90	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गरहा	यादव बस्ती
91	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गरहवीपुर	गरहवीपुर
92	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	घाटमपुर	घाटमपुर
93	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गिनउर	गिनउर
					हरिजन बस्ती पूर्वी
					हरिजन बस्ती पश्चिमी
					साहूकार बस्त
					ठाकुरान
					यादव बस्ती
94	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गोभाडीह	हरिजन बस्ती
					पसियान 2
95	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गोपालपुर	हरिजन बस्ती
					यादव बस्ती
96	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	गोसाईपुर	हरिजन बस्ती, पासी
					पासी बस्ती
97	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हदिशा दयालपुर	हदिशा दयालपुर
98	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हजारे गालपुर	पासी बस्ती/शंकरपुर
99	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हरई रामपुर	मौर्या बस्ती
					पसियान बस्ती पटिला
					पसियान बस्ती पूर्वी
100	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हरिश्चन्दपुर	हरिश्चन्दपुर
					हरिजन बस्ती 2
					खारा
					पासी बस्ती
101	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हाजीपुर	हाजीपुर
102	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	हीरा गयासपुर	हीरा गयासपुर
103	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	इशहाकपुर	मुसहर बस्ती
104	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जगदीशपुर	यादव बस्ती
105	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर
106	ठेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिमर्दन	जगदीशपुर	जगदीशपुर

107	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जयरामपुर	खास
108	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जयतीपुर	हरिजन बस्ती
109	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जलालपुर	जलालपुर
110	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जगीन करौंदा	हरिजन बस्ती
111	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जगुयाँवा	यादव बस्ती
112	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	झिरवा कमालपुर	झिरवा कमालपुर
113	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	जिन्दोपुर	धरिकार बस्ती
					हरिजन बस्ती प्रथम
					हरिजन बस्ती द्वितीय उत्तरी
					यादव बस्ती उत्तरी
					यादव बस्ती दक्षिणी
114	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	कटघर	हरिजन बस्ती
115	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	केदलीपुर	हरिजन बस्ती
					केदलीपुर
116	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	खनिया	यादव बस्ती 1
117	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	खरैला	खेतला
118	तेकमा	लालगंज	मा0 आजाद अरिगर्दन	खरैत	धोबी बस्ती
					हरिजन बस्ती
					हरिजन बस्ती 2

अविद्युतीकृत मजरों की सूची
सौभाग्य योजना द्वितीय चरण
विधानसभा मेहनगर

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	विधायक का नाम	ग्राम का नाम	मजरों का नाम
1	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	अराजी फलइच	अराजी फलइच
2	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बछवल	घटकना
3	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बागपुर	बागपुर
4	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बैजनाथपुर	बैजनाथपुर
					हरिजन बस्ती
5	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बरवा सागर	उसरइया
6	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	भदिया	बाजार
					भदिया
7	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	भोपालपुर	भोपालपुर
					पसियान
8	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बिसानी	हरिजन बस्ती
					मुसहर बस्ती
9	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	बिसुनपुर	चौहान बस्ती
					कोहार बस्ती
					मुसहर बस्ती
10	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	चक फिरोजपुर	चक फिरोजपुर
11	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	चक कथवारी / खुटवा	चक कथवारी
12	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	फुलाइच	हरिजन बस्ती
					कोहरौटी
13	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	गदृदीपुर	हरिजन बस्ती पूर्वी
14	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	गंजोर	कोहरान बस्ती
					मुसहर बस्ती
					पसियान बस्ती दक्षिणी
15	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	गौरा	अराउर हरिजन बस्ती
					भट्ठा हरिजन बस्ती
					गौरा
					गौरा बिउठिया
					गौरा पश्चिमी बस्ती
					गौरा उत्तरी पूरा
16	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	घटिया	नोनरा बस्ती
17	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	गुरहेथा	पश्चिमी हरिजन बस्ती
18	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	करौती	हरिजन बस्ती
					मुसहर बस्ती
					मुस्लिम बस्ती
19	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	करेन्हुआ	असगल बस्ती
20	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	कटाटा	चौहान बस्ती उत्तरी
					हरिजन बस्ती
					पासी बस्ती
21	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	खरगपुर	खरगपुर
22	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	खुटवा चक खुटवा	हरिजन बस्ती पूर्वी
					यादव बस्ती
23	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	लखन्सीपुर	लखन्सीपुर
24	मेहनगर	मेहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	लोहानपुर	हरिजन बस्ती
					कोहार बस्ती

25	मोहनगर	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	मनिहा	मनिहा
26	मोहनगर	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	नियामतपुर	चौहान बस्ती
27	मोहनगर	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	मुहम्मदपुर नियामतपुर	मुहम्मदपुर नियामतपुर
28	मोहनगर	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान	नरसिंहपुर	हरिजन बस्ती
					सियादपुर
29	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	भोजपुर	बरौटी
					भोजपुर
30	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	दुबहना	हरिजन बस्ती पूर्वी
					हरिजन बस्ती
					गरतौनीपुर
					उसरइया हरिजन बस्ती
					पश्चिमी हरिजन बस्ती
31	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	रसूलपुर	गोबरहा हरिजन बस्ती
					रसूलपुर
32	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	सिंहपुर	भिटौरी
					हरिजन बस्ती
					सिंहपुर
					राजभर बस्ती
33	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	पकड़ी कलान	मुस्लिम बस्ती
					हरिजन बस्ती
34	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	सुरहन	हरिजन बस्ती
35	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	चौकी	हरिजन बस्ती
36	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	धरौहरा	हरिजन बस्ती
37	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	हैबतपुर	दुग्गनपार
38	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	खुर्शू खास	खुर्शू पण्डिताना
39	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	करराड़ा	भरौटी
40	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	लहुवाकला	हरिजन बस्ती
41	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	लोदपुर	लोदपुर
42	पल्हना	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	नरसिंहपुर	हरिजन बस्ती
43	उरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	बनगाँव	हरिजन बस्ती
					बनगाँव
					भरौटी पूर्वी 1
44	उरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	नवरसिया	दशवतपुर
					हरिजन बस्ती
					नवरसिया/डिहवा
45	उरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	जीयापुर	हरिजन बस्ती पूर्वी
					हरिजन बस्ती पश्चिमी
					जीयाबस्ती/राजभर बस्ती

					यादव बस्ती
46	तरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	अशधीरपुर	हरिजन बस्ती
					अशधीरपुर
					राजभर बस्ती
					यादव बस्ती
47	तरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	जमुखा	हरिजन बस्ती
					जमुखा
48	तरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	मोहनाजपुर	पूर्वी पुरवा
					तिवारी पुरवा
49	तरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	रज्जाबपुर	रज्जाबपुर
					यादव बस्ती
50	तरवाँ	मोहनगर	मा0 कल्पनाथ पासवान/ मा0 आजाद अरिमर्दन	तरवाँ	कटाई टोला
					लोरी पुरवा